पंचम माला, खंड 47, अंक 25 बुधवार, 18 दिसम्बर, 1974/27 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII, No. 25 Wednesday, December 18, 1974/ Agrahayana 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25—बुधवार, 18 दिसंबर 1974/27 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 25—Wednesday, December 18, 1974/Agrahayana 27, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
516	कोयला सप्लाई किये जाने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर बकाया धनराशि	Arrears outstanding against DESU for supply of Coal	3
518	राज्यों के सूचना मंत्रियों के 11 वें सम्मेलन में की गई सिफारिशें	Recommendations made at the 11th Conference of Information Ministers of States	4-8
519	ढलाई (कास्टिंग) मशीनों के निर्माण के लिए लाइसेन्स जारी करना	Issue of Licences for manufacturing Casting Machines .	8-10
520	विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से ली गई सहायता	Assistance taken from CRP in Arrest of Opposition Leaders.	10-12
521	सीमेन्ट उद्योग में पूंजी-निवेश	Investment in Cement Industry	12-15
522	बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की क्षति	Loss of Industrial Production due to Power Shortage .	15-17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
515	"स्टेट्समन" में नौकरी से हटाया जाना और कदाचार	Victimisation and Malpractices in Statesman . . .	17
517	बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा के कार्यकरण के बारे में अभ्यावेदन	Representations regarding Working of Burn and Company, Howrah . . .	18
523	पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों का अपने डिजाइन एवं विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए भारत लाने का प्रस्ताव	Proposal from West German Industrialist to bring Designs and Specifications to India for Final Processing .	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—45 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
524	इण्डियन रेयर अर्थस्, अल्वाइ के श्रमिकों के साथ समझौता समाप्त होना	Expiry of Agreement with Workers of Indian Rare Earths, Alwaye	19
525	सीमेन्ट की आवश्यकता	Requirement of Cement .	19-20
526	ट्रैवल एजेन्सियों की अवैध गतिविधियां	Illegal Activities of Travel Agencies	20-21
527	'इण्डिया'ज प्लांस कैननाट बी इम्प्लीमेन्टेड' शीर्षक से समाचार	News item Captioned 'India's Plans cannot be Implemented,	21
528	लद्दख का विकास	Development of Ladakh . .	21
530	आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने सम्बन्धी योजना	Scheme to Streamline Public Distribution System for Essential Commodities . . .	22
531	सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Government Officers . .	22
532	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर तथा छोटे उद्योग	Cottage and Small Scale Industries in Tribal Areas of M.P.	22-23
533	स्वर्गीय सेनापति बापट के सम्मान में डाक टिकट	Postal Stamp on Late Senapati Bapat	23
534	उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कटौती लागू करना	Introduction of Power cut on Industries and Commercial Consumers . . .	23-24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4930	'बोहरा' पुरुषों और महिलाओं का विवाह	Marriage of Bohra Men and Women	24-25
4931	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को सुविधाएं	Facilities to Winners of National Awards	25
4932	योजना आयोग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Workers in Planning Commission	25
4933	उड़ीसा में "थोरियम" के निक्षेप	Deposits of Thorium in Orissa .	25-26
4934	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए श्री कल्याण कुमार बसु के विरुद्ध जांच	Inquiry against Shri Kalyan Kumar Basu for violation of Foreign Exchange Regulations	26
4935	सी० पी० डब्ल्यु० डी० इण्डस्ट्रियल वर्कर्ज कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के सदस्यों को शेअर सर्टिफिकेट जारी करना	Issue of Share Certificates to Members of C.P.W.D. Industrial Workers' Cooperatives Thrift and Credit Society Ltd.	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4936	भारी इन्जीनियरी निगम के अधिकारियों के वेतन और महंगाई भत्ता क्रमों का पुनर्गठन	Re-Structure of Pay and D.A. Scales of Heavy Engineering Corporation Officers . .	27
4937	पटना प्रसारण केन्द्र में अधिक शक्ति वाला ट्रान्समीटर लगाया जाना	Installation of High Power Transmitters at Patna Broadcasting Centre	28
4938	राजस्थान में सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries in Rjasthan . .	28
4939	कोयला खान प्राधिकरण का कोयले की प्राप्ति का मूल्य	C.M.A. Achievement of Coal Target	28-29
4940	मध्य प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान गावों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in M.P. during Current Year .	29
4941	झालावाड़ जिले (राजस्थान) का विकास	Development of Jhalawar District (Rajasthan) . .	29-30
4942	वर्ष 1975–76 के लिए राजस्थान के लिए वार्षिक योजना	Annual plan for Rajasthan for 1975-76 . . .	30-31
4943	गोआ को सीमेन्ट की मांग और सप्लाई की गई मात्रा	Demand of Cement in Goa and Quantity Supplied . .	32
4944	क्रीम, पाउडर, जूते, एयर कण्डीशनर और कूलरों का उत्पादन	Production of Cream Powder, Shoes, Air Conditioners and Coolers	32
4945	वार्षिक विवरणियां न प्रस्तुत करने के कारण समाचार पत्र प्रकाशकों पर मुकदमें चलाना	Prosecution of Newspaper Publishers for non submission of Annual Statements . .	32-33
4946	टायरों की किस्म	Quality of Tyres . . .	33
4947	आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को राजनैतिक पीड़ित पेन्शन के लाभ देना	Giving Political Sufferers Pension benefits to Ex-Indian National Army Personnel .	33
4948	मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरियां	Jobs for Educated Unemployed in Madhya Pradesh . .	33-34
4949	नये सीमेन्ट संयंत्र को स्थापित करने का लागत व्यय	Cost of Setting up New Cement Plant	34-35
4950	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धनराशियों का दुर्विनियोग	Misappropriation of Funds by Khadi and Village Industries Boards	35
4951	विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग में श्रेणी I के वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती नियम	Recruitment Rules for Class I Scientific Posts in the Department of Science and Technology	35-36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4952	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तैनात किये गए अधिकारियों को देय भत्ता	Allowances payable to officers posted in Andaman and Nicobar Islands	36-37
4953	महाराष्ट्र के सांगली जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Sangli District in Maharashtra	37
4954	इलैक्ट्रोनिक पूर्जों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना	Setting up of a Unit in Public Sector to Manufacture Electronic Components . .	37
4955	जनता ट्रक यूनियन, मोगा (पंजाब) की ओर से अभ्यावेदन	Recoesentation from Janta Truck Union, Moga (Punjab)	37-38
4956	'जोगी' जाति को पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता	Recognition of Jogi Caste as a backward Class . . .	38
4957	बड़े औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार और पंजी निवेश	Employment and Capital investment in large Industrial Undertakings . . .	38-39
4958	उड़ीसा की सीमेंट की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Cement to Orissa. . . .	39
4959	फूलपुर उर्वरक संयंत्र	Phulpur Fertilizer Plant . .	40
4960	राष्ट्रपति पदक पाने वाले श्री मोहम्मद दीन एवं श्री गुलाम दीन को दी गई सुविधाएं	Amenities for Shri Mohammad Din and Shri Gulam Din who were Awarded President's Medals . . .	40-41
4961	देश में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस की गोलियों से मृत्यु	Deaths due to Police Firing during Communal Riots in the country . . .	41
4962	बेरोजगार वैज्ञानिकों के लिए रोजगार	Employment for jobless Scientists	41
4963	वायदा व्यापार विनियमन नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि करना	Enhancement of Penalties for the Violation of Forward Contract Regulation Law	41-42
4964	100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का खतरे का भविष्य	Future of 100 Vital projects in Jeopardy	42
4965	बिहार को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Bihar .	42-43
4966	पन बिजली परियोजनाओं में विसर्जित जल का उपयोग	Use of Tall Water in Hydel Projects . . .	43
4967	केरल हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल तथा बाल आहार डीलर लाइसेंसिंग आदेश, 1974	Kerala Hydrogenated Vegetables Oils and Baby Food Dealers Licensing Order, 1974	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4968	लघु उद्योगों में पूंजी निवेश	Capital Investment in Small Scale Industries . .	43-44
4969	'पांच लाख रोजगार कार्यक्रम' के अन्तर्गत तमिलनाडु में रोजगार के अवसर पैदा करना	Jobs created in Tamil Nadu under Half-a-million Jobs Programme . . .	44-45
4970	भारत में कोयले के अधिक उत्पादन के लिए सोवियत रुस द्वारा 'वाकिंग ड्रेग' का प्रस्ताव	Offer of Walking Drag Lines from U.S.S.R. for Higher Coal Production in India .	45-46
4971	डाक घरों का दर्जा बढ़ाने और नये डाक-घर खोलने पर रोक	Ban on upgrading and opening of new Post Offices . .	46
4972.	डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाली लाईनें	STD Routes . . .	46-47
4973	टेलीविजन यूनिटों में जबरी छुट्टी	Lay off in T.V. Units . .	47-48
4974	"14 स्टेट यूनिट्स फाल शार्ट आफ टारगेट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item captioned '14 State Units fall Short of Target' .	48-49
4975	लघु एवं माध्यमिक क्षेत्र द्वारा क्षमताओं की स्थापना न करना	Non-creation of Capacities by Small and Medium Sectors	49
4976	आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन	Administration of Tribal areas	50
4977	अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहायकों की पदोन्नति	Promotion of Assistants as Section Officers . . .	50
4978	केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र की विद्युत योजनाओं को स्वीकृति दिया जाना	Clearance of Power Schemes in Maharashtra by Centre .	50-51
4979	ईसाइयों की जनसंख्या	Population of Christians	51
4980	"आंसुका" के अधीन राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Political Leaders under MISA . . .	51
4981	त्रिपुरा में आनन्दनगर में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार	Rape of Tribal Women of Anandnagar in Tripura .	52
4982	सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों और आरक्षण के बारे में अनुदेश	Instructions about Appointments, Promotions and Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in Services . .	52
4983	बिजली की उपलब्धता के बारे में विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन	Study conducted by World Bank on availability of Power	52-53
4984	स्वाधीनता सेनानियों के संगठनों की ओर से अधिक सुविधाओं के लिए अभ्यावेदन	Representation from Freedom Fighters' Organisations for more facilities . .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4985	महाराष्ट्र में विशेष रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त यूनिटों की स्थापना	Setting up of Additional Units of Special Reserve Police Force in Maharashtra . . .	53
4986	पश्चिम बंगाल के उद्योगों की स्थापना के लिए धन देने का अनुरोध	Request for Funds for setting up of Industries in West Bengal .	53-54
4987	बिहार में मारे गये अथवा घायल हुए सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को अथवा उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा	Compensation to Families of BSF and CRP Personnel killed or injured in Bihar . .	54
4988	दूसरा प्रेस आयोग स्थापित करना	Setting up of a Second Press Commission	54-55
4989	संगणक केन्द्र में स्थायी पदों की संख्या	Permanent posts in Computer Centre	55
4990	चालू वर्ष के दौरान फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Film Makers during Current Year	55-56
4991	प्राकृतिक गैस से हीलियम का उत्पादन	Helium from Natural Gas .	56
4992	लघु क्षेत्र में टेलीविजन सेट बनाया जाना	Manufacture of T. V. Sets in Small Scale Sector . .	56-57
4993	राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Industries Ministers . . .	57
4994	पश्चिम बंगाल के जिला जलपाइगुड़ी में बीरपाड़ा में आदिवासियों और पुलिस पर गोली चलाया जाना	Firing at the Tribals and Police in Birpara, District Jalpaiguri West Bengal . . .	58
4995	सी० आर० पी० तथा बी० एस० एफ० द्वारा शिक्षा संस्थाओं के कैम्पसों में प्रवेश	Entry of CRP and BSF into Campuses of Educational Institutions	58
4996	कुछ फर्मों की लाइसेन्स क्षमता और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा बाहर भेजा जाना	Licensed Capacity and Foreign Exchange Remittances by Certain Firms . . .	58-59
4997	उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं विकसित करने का विशेष कार्यक्रम	Special Programme for Devellopping Communication Facilities in Tribal Areas of Orissa	60
4998	विदेशी ब्रांड नाम से टेलकम पाउडर का निर्माण	Manufacture of Talcum Powder in Foreign Brand Name .	60
4999	संगणक आंकड़े केन्द्र	Computer Data Centre . .	60
5000	एम० एन० एफ० के प्रचार का सामना करने के लिए सामाजिक सुधार	Social reform to counter the propaganda of MNF . .	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5001	वायु प्रदूषण	Air Pollution . . .	61-62
5002	बिहार आन्दोलन के बारे में प्रचार एवं समाचार प्रसारण	Publicity and News broadcasting re: Bihar Movement . .	62
5003	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच करार	Agreement between India and West Germany for cooperation in the field for Science and Technology . . .	62-63
5004	ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निर्बल लोगो का उत्थान करने के लिये संकुल योजना	Packing Scheme to uplift weaker sections of Soceity in rural areas	63-65
5006	रवीन्द्र रंग शाला में दिखाई गई एक फिल्म होने वाला औसत व्यय	Average expenditure incurred on a film show at Rabindra Rangahala	66
5007	रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में फिल्में दिखाया जाना	Shows at Rabindra Rangshala, New Delhi . . .	66
5008	मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा टायरों का उत्पादन	Manufacture of Tyres by M/s. Modi Rubber Limited .	66-67
5009	हांड़िधुआ कोयला खान का कार्यकरण	Working of Handidhua Colliery	67
5010	यूरेनियम का पकड़ा जाना	Seizure of Uranium . .	67
5011	नीजी कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Private Coal Mines	67
5012	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में अनुसंधान कार्य	Research work in Central Sericulture Research Centre, Berhampore, West Bengal .	68
5013	आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में सांविधिक राशन व्यवस्था	Statutory rationing in Asansol Rani Ganj Coal belt . .	68
5014	मंत्रियों पर व्यय	Expenditure on Ministers .	68
5015	कोयले को तेल में बदला जाना	Conversion of coal into Oil .	69
5016	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सरकार समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Sarkar Committee on C.S.I.R. . . .	69-72
5017	आसाम में उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries in Assam	72

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5018	बीरसिंगपुर कोयला खदान के बेकार पानी का उपयोग	Use of Birsinghpur Colliery Water Waste . . .	72-73
5019	स्वतन्त्रता-सेनानियों को पेंशन दियां जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters . . .	73
5020	शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी पर व्यय	Expenditure on the Detention of Sheikh Abdullah . . .	73
5021	अधिकतम रेडियो सेट वाले दस नगर	Ten Cities with Largest Number of Radio Sets . . .	73-74
5022	पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ouestees of Pong Dam . . .	74-75
5023	देश में आपात स्थिति समाप्त करने के प्रति राज्यों की आपत्तियां	Objections of States to the Lifting of Emergency in the country . . .	75
5024	हंगेरी से माइक्रोवेव उपकरण का आयात	Import of Microwave Equipment for hungary . .	75
5025	आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बार-बार होने वाले परिवर्तन	Frequent changes in AIR Programmes . .	75-76
5026	पंजाब में बिजली संकट	Power Crisis in Punjab . .	76
5027	पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित टेलीविजन सेट	T. V. Sets Earmarked for West Bengal . . .	76
5028	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण	Rural Electrification in Himachal Pradesh by REC . .	76-77
5029	स्वर्गीय श्री वी० के० कृष्ण मेनन द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति की राष्ट्र के नाम वसीयत	Bequeathal of movable and immovable property to the Nation by late Shri V.K. Krishna Menon	77
5030	अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Offices under Commissioner for S.C. and S.T. .	77-78
5031	तस्करी के कार्यों में पाकिस्तानियों का अन्तर्ग्रस्त होना।	Involvement of Pakistanis in Smuggling Activities . .	78
5032	पांचवीं योजना में उड़ीसा के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	Minimum Needs Programme for Orissa in Fifth Plan .	78
5033	नागालैण्ड में सैनिक कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध	Demand to Stop Army Operation in Nagaland . . .	79
5034	मध्य प्रदेश में टेलीफोनों की संख्या	Number of Telephones in M.P.	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5035	अमरीकी निवेशकों द्वारा भारत के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए दिखाई गई रुचि	Interest shown by U.S. investors for participation in India's economic Development.	79-80
5036	जयप्रकाश नारायण द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में बैठक बुलाया जाना	Convening of meeting at Office of Delhi University Students Unions by Jayaprakash Narayan	80
5037	अन्तर्जातिय विवाह	Inter-Caste Marriages	80-81
5038	बन्दियों को हथकड़ियां लगाने तथा बड़ियां डालने का प्रश्न विधि आयोग को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to Refer the Question of Handcuffs and Iron Shackles to Law Commission	81
5039	रुमानिया की सहायता से छिद्रण (ड्रिलिंग) उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Drilling Equipment with the Assistance of Rumania	81
5041	कोयला खान श्रमिकों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike Threat by Coal Mine Workers	81-82
5042	अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध जी० एन० पी० की प्रतिशतता	Percentage of GNP Available for Research and Development	82
5043	हरिजनों की शिक्षा सम्बन्धी शिकायतें	Educational Grievances of Harijans	82
5044	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों क अवैतनिक मजिस्ट्रट	Honorary Magistrates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	83
5045	डाक व तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Workers in P. & T. Department	83
5046	पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर बैत चार्ज	Police Cane Charge on Students	83-84
5047	सी० पी० डब्लयू० डी० इण्डस्ट्रियल वर्कर्स को-आपरेटिव थ्रिफट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड	C.P.W.D. Industrial Workers Cooperative Thrift and Credit Society Ltd.	84
5048	फरीदाबाद उद्योग समूह के उत्पादन पर बिजली की कटौती का प्रभाव	Effect of Power Cut on the production at Faridabad Industrial Complex	84-85
5049	बिहार में सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of B.S.F. and CRP in Bihar	85
5050	राजस्थान में सीमेन्ट की मांग तथा उसकी सप्लाई	Demand and Supply of Cement to Rajasthan	85

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5051	खान मालिकों को मुआवजा	Compensation to Mine Owners	86
5052	आकाशवाणी दिल्ली में उड़िया भाषा में समाचार प्रसारित किया जाना	Oria news reading in A.I.R. Delhi	86
5053	मध्य प्रदेश में उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Industries in Madhya Pradesh . .	86-87
5054	लद्दाख में अन्तरिक्ष सम्बन्धी नई परियोजनाओं की स्थापना	Location of New Projects of Space in Ladakh . . .	87
5055	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Electricity by DESU	87
5056	हंगेरी को कोक भट्टी संयंत्र की सप्लाई	Supply of a Coke Oven Plant to Hungary . . .	87-88
5057	कलमसारी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के वेतन मानों का संशोधन	Revision of Pay Scales of Workmen of Supervisory Staff in HMT at Kalamsery . .	88
5058	एच० एम० टी० क्राफ्टसमन वेलफेयर एसोसिएशन की मांगे	Demands of HMT Craftsmen Welfare Association . .	88
5059	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में टेलीफोन कालों में अधिक राशि के बिल बताने के बारे में शिकायतें	Complaints of Over Billing of Telephone Calls in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi	88-89
5060	संगीत तथा नाटय प्रभाग को शिमला से जालन्धर स्थानान्तरण करने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding shifting of Song and Drama Division from Simla to Jullunder .	89
5061	गोआ में सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries in Goa . . .	90
5062	दामोदर घाटी निगम द्वारा आरम्भ किया गया विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme undertaken by DVC . . .	90
5063	साइकिलों के मूल्य	Price of Bicycles . . .	90-91
5064	प्रचार द्वारा दबाव डाले जाने से कमजोर राष्ट्रों का संरक्षण	Protection of weeker nations from media subversion .	91
5065	"पुगवाशरु सम्मेलन"	Pugwash Conference . .	91
5066	युद्ध अपराधियों की सूची में नेताजी का नाम दर्ज होना	Netaji's name in list of war criminals . .	91-92
5067	भारत और जापान समितियों की बैठक	Meeting of India and Japan Committees . . .	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5068	जमाखोरों के लिए उद्योगपतियों की गिरफ्तारी	Arrests of Industrialists for hoarding	92-93
5069	उद्योग गृहों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे	Raids by C.B.I. on Industrial Houses	93
5070	श्री कल्याण कुमार वसु के विरुद्ध आरोप	Charges against Shri Kalyan Kumar Basu under Foreign Exchange Regulation Act .	93
5071	श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 'पद्मश्री' पुरस्कार वापस करना	Return of Padmashree Award by Shri Phanishwar Nath Renu	94
5072	कृषि में भारत जापान सहयोग	Indo Japanese Cooperation in Agriculture . . .	94
5073	औद्योगिक लाइसेंस नीति	Licensing policy . . .	94-95
5074	लाइसेन्सों का बेनामी हस्तान्तरण	Benami transfer of Licences .	95
5075	लघु उद्योगों के निर्यात साथ संघों के लिए सीमा	Limit for Export Consortia of Small Scale Industries .	95-96
5076	भारतीय क्रिकेट टीम के इंगलैण्ड के दौरे के दौरान क्रिकेट रेडियो कमेंटेटर श्री पियर्सन सुरिता द्वारा कमेंटरी के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करना	Services offerred by Cricket Radio Commentator Shri Pearson Surita to cover last summer India Cricket Tour of England	96
5077	भारत तथा वेस्ट इण्डिज के बीच क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए व्यक्तियों का चयन	Selection of persons for broadcasting running commentaries of India *vs* West Indies Cricket Matches . .	96-97
5078	हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities against Harijans .	97
5079	औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending applications for Industrial Licences . . .	97-98
5080	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसी	Central agency for Development of Backward Areas .	99
5081	कालागढ़, उत्तर प्रदेश में एक बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Power house at Kalagarh in U.P. . .	99
5082	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में बिजली का उत्पादन	Power Generation in First Year of Fifth Plan . . .	99-100
5083	दिल्ली/नई दिल्ली में अविवाहीत युवतियों के अपहरण की घटनायें	Incidents of kidnapping of unmarried Girls in Delhi/New Delhi	100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5084	राज्यों मे रोजगार परियोजनाओ के लिए राजसहायता बन्द करने का प्रस्ताव	Proposal to stop Subsidies for Employment projects in States	100
5085	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिकों के रिक्त पद	Scientific Class I Posts lyiag vacant in the Department of Science and Technology .	101-102
5086	आई० एफ० एफ० सी० ओ० और ईरान की शाहपुर कम्पनी के बीच फासफोरिक एसिड की सप्लाई के बारे में समझौता	Agreement between IFFCO and Shahpur Chemical Company of Iran for Supply of Phosphoric Acid . . .	102
5087	तमिल फिल्मों 'निर्मलायम' और काडू को दिए गए पुरस्कार की आलोचना	Criticism against Award given to Tamil films Nirmalayam and Kadu . . .	102-103
5088	सुरक्षा सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में मिजो विद्यार्थी संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Mizo students Union regarding atrocities by Security Forces .	103
5089	बिहार के राजगढ़िया बन्धुओं से बरामद किए गए दस्तावेज	Documents recovered from Rajgharia Brothers of Bihar	103-104
5090	नियंत्रित मूल्य पर स्कूटर तथा 'आटो' टायरों की सप्लाई	Supply of Scooter and Auto Tyres at Controlled Price .	104
5091	अशिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन की व्यवस्था	Self Employment for Educated Unemployed . . .	104-105
5092	सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने में कठिनाईयां	Difficulties in increasing Production of Cement .	105-106
5093	संकटग्रस्त कापड़ मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Judgement of Supreme Court on takeover of Sick Textile Mills	106
5094	शिक्षण सम्बन्धी टेलीविजन उपग्रह प्रयोग के लिए गांवों का चयन	Villages Selected for Satellite Instruction at Television Experiment . . .	106
5095	फिल्म को 'वयस्क' के स्थान पर 'सार्वजनिक' प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र देना	Change of Certificate of a Film from 'A' to 'U' . .	107
5096	देशी ट्रैक्टरो के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the prices of Indigenous Tractors . . .	107
5097	विदेशों को इलैक्ट्रानिक्स सामान का निर्यात	Export of Electronic Goods to Foreign Countries .	107-108
5098	सस्ते टेलीविजन सैटो का उत्पादन	Production of Cheap Television Sets	108

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5099	महाराष्ट्र के थाना जिले के पाईगांव के भूमिपतियों द्वारा आदिवासियों पर गोली चलाना	Firing on Adivasis by Land lords of Village Paigaon, Thana District, Maharashtra . .	108
5100	आई० एफ० एफ० सी० ओ० के उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन	Production at Fertiliser Plants of IFFCO . . .	109
5101	प्रतिभा पलायन पर कर	Tax on Brain Drain . .	109
5102	'इलस्ट्रेटिड विकली आफ इण्डिया' में धार्मिक तथा साम्प्रदायिक कटुता को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी लेखों का प्रकाशन	Articles promoting Religious and Communal Disharmony Published in Illustrated Weekly of India	109
5103	उपभोक्ता केन्द्रों की संख्या	Number of Consumer Contact Points	109-110
5104	राजस्थान में पंचायत समितियों में टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone Facilities in Panchayat Samiti in Rajasthan . .	110
5105	राज्यों में जिला योजना समितियां	District Planning Committees in States	110-111
5106	देश में निर्मित अथवा आयातित ट्रैक्टरों की संख्या	Tractors Manufactured or Imported into the country .	111
5107	मिजो विद्रोहियों द्वारा त्रिपुरा में दुकान और मकानों का जलाया जाना	Burning of Shops and Houses in Tripura by Mizo Rebels .	112
5108	राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध	Request by State Public Service Commissions for holding National Merit Test by UPSC	112
5109	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं को अखिल-भारतीय परीक्षाओं में माध्यम के रुप में प्रयोग करने के बारे में असमर्थता व्यक्त करना	Inability expressed by UPSC to introduce Indian languages as media for All India Examinations	112-113
5110	सीमन्ट के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Cement production	113
5111	ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी	Britannia Biscuit Company .	113-114
5112	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू किये जाने वाली नयी पन, ताप तथा अणु शक्ति-चलित विद्युत परियोजनायें	New hydro thermal and nuclear power projects to be commissioned during Fifth Plan .	114

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5113	सार्वजनिक परिवहन मोटर गाड़ियों का निर्माण	Production of Public transport vehicles	115
5114	बम्बई में सान्ताक्रुज स्थित इलैक्ट्रानिक औद्योगिक बस्ती	Electronic Industrial Estate at Santa Cruz, Bombay . .	115-116
5115	तमिल नाडु में कागज संयंत्र	Paper Plant in Tamil Nadu	116
5116	राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं का विकास	Development of Postal and Telecom facilities in backward areas of States . . .	116-117
5117	आदिवासी क्षेत्रों में उप-योजना	Sub-Plan for Tribal Areas .	117
5118	दिल्ली-भिलाई सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Delhi-Bhilai Direct dialling	117
5119	एक लाख जन संख्या के प्रत्येक समूह के लिए देश में टेलीफोन	Telephone in the country after every one lakh population .	117-118
5120	राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच सीधे टेलीफोन सम्बन्ध	Direct dialling between State Capitals and District headquarters	119
5121	देश में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर डाक घर	Post Offices in the country after every one thousand population	119-120
5122	धर्मपरिवर्तन	Religious conversions . .	120
5123	स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवारों को सुविधा	Facilities to the families of freedom fighters . . .	120
5124	पांचवीं योजना में रेशम का उत्पादन	Production of Silk in Fifth Plan	121
5125	विद्युत संयंत्रों के आयात पर रोक लगाया जाना	Restrictions on import of power plants	121-122
5126	इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) ऐक्ट के अधिन गठित जांच समिति	Enquiry Committee set up under Industries (Development and Regulation) Act . .	122
5127	आंसुका के अधीन जेलों से बाहर हिरासत में रखे गए व्यक्ति	MISA Detenu Accommodated Outside Jails . . .	122
5128	मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस के श्री आर० पी० भाटिया का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Shri R. P. Bhatia of MES	123
5129	उच्च न्यायालयों के भारतीय भाषाओं में निर्णय	Judgement of High Courts in Indian Languages . .	123-124
5130	गुजरात के डाकघरों में डाक टिकटों, पोस्ट कार्डों आदि की कमी	Shortage of Postal Stationery in Post Offices in Gujarat .	124

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Adjournment Motions	124-125
श्री आर० एन० गोयन्का के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न	Questions of Privilege Against Shri R. N. Goenka .	126-133
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134-136
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
49 वां प्रतिवेदन	Forty Ninth Report . .	136
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges—	
13 वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report . .	136
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
31 वां, 32 वां तथा 33 वां प्रतिवेदन	Thirty first, Thirty second and Thirty third Reports .	136-137
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी, समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
18 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Eighteenth Report and Minutes	137
भारत सेवक समाज के मामलों में श्री एल० एन० मिश्र द्वारा की गई कथित गंभीर अनियमितताओं तथा कदाचारों के लिए उन्हें सभा की सदस्यता से हटाने के बारे में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ—	Motion Re. Removal of Shri L. N. Mishra from Membership of the House for Allegedly Committing improprieties and malpractices in affairs of Bharat Sewak Samaj—Negatived—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	138-143 & 161-162
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat .	144-145
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	145
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	145-146
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	146-147
श्री अटल बिहारी वाजपेई	Shri Atal Bihari Vajpayee	148-149
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B .R. Shukla .	149-150
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	150-151
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar . .	151-152
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	152-153

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	153
		154-157
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	157-158
श्री डी० पी० धर	Shri D. P. Dhar . .	158-161
चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Functions of Election Commission—	
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	163

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार 18 दिसम्बर, 1974/27 अग्रहायण, 1896 (शक)

Wednesday, December 18, 1974/Agrahayana 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Madhu Limaye : Sir, I have given a notice . . .

Shri R. S. Pandey : It may be taken after the question hour is over.

Shri Madhu Limaye : I will agree to it if the hon. Speaker instructs me like this. If he asks me, I can take my seat. Sir, what is your opinion. I have no objection if you call me at 12 O'clock.

Mr. Speaker : The position is that he has given a question . . .

Shri Madhu Limaye : Should I raise it or not . . .

Mr. Speaker : If some officer or Assistant of the Lok Sabha Sectt. has changed or mutilated your Question . . .

Shri Madhu Limaye : That is a separate matter. The main thing is that one of my Question is missing. The question relates to the deposits of Maruti Ltd, . . .

श्री जगन्नाथराव : यह एक पुराना प्रश्न है।

मधु लिमये : पुराना नही है। आप मेरी बात मे व्यवधान न डालिये। यह बहुत गंभीर मामला है

श्री राम सहाय पांडे : हम सचिवालय के बारे में श्री मधु लिमये की शिकायत में रुचि नहीं रखते हैं। मेरे विचार में सचिवालय ठीक कार्य कर रहा है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have asked tnat if you instruct me then I may raise it at twelve of the clock...(*Interruptions*). Sir, I do not want to encroach upon the integrity of Parliament Secretariate. We have full confidence in this organization, Parliament Secretariate is the most efficient and impartial body . . .

Mr. Speaker : If you have any grievance against the Secretariat, you should come in my chamber. But I will not allow this to be raised here in the House.

2—45 L. S. S. (N.D.)/74

Shri Madhu Limaye : Sir, I am not going to accept it.

Mr. Speaker : I had called but you always think proper to raise such issues in the House.

Shri Madhu Limaye : Sir, are you going to allow such interruptions. I am submitting that I and Shri Ramdev Singh a member of my party have given a Question for 13th Dec. regarding the deposits of Maruti Ltd. and the directions of RBI. That question is missing. When I raised the matter, I was told that the Question is missing. When I produced the typed copy of the Question then after two days, I was told that the Question is available. I fail to understood that the Question which are embarassing to the Government and found missing, mutilated . . .

Mr. Speaker : The Question is there in the list.

Shri Madhu Limaye : But it has been included in the list for 20th Dec. the Question is as to why the Questions are found missing from the Secretariat. According to our Bulletin one question of each member should be accepted.

श्री राम सहाय पांडे : खेद की बात है कि आपने श्री लिमये को अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : सचिवालय के कार्यों के बारे में कोई शिकायत है तो आप अध्यक्ष के पास इसे ला सकते हैं। मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye : Sir, there are interruptions. I am not able to follow you. I would take to submit that your directions are being followed . . . One starred and one unstarred question of each member should be accepted. This is the practice. Why then my and Shri Ramdev Singh's question is missing from the list. Is it to save Maruti Ltd., from embarassment?

Secondly, my another question has been mutilated. I have been informed that this indigenous car is a fraud from the beginning to the end. Imported machineries costing Rs. one crore has been installed in the Maruti factory without obtaining proper licence. I request that a Committee consisting of opposition members should be constituted to discuss the matter regarding questions

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति की व्यवस्था है। मैं दूसरी समिति किस प्रकार नियुक्त कर सकता हूं ?

Shri Madhu Limaye : This is a rule by the Rules Committee. May I know whether the question Branch of the Secretariat is empowered not to include a particular question is the list ? वे नोटिस आफिस पर दोषारोपण करते है।
they said that the question is not available. I said that I have given the question personally. What is this all going on ,,. . . Why these things are not being looked seriously ?
म इसे सहन नहीं कर सकता। इस सचिवालय की पवित्रता बनाई रखी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि शिकायत ठीक है तो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसकी जांच की जायेगी। मेरे मस्तिष्क में कोई भेदभाव नहीं है और मैं इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।

Shri Madhu Limaye : Is this Parliament Secretariat is an agency of Maruti Ltd.?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जायेगा। परन्तु कोई उचित फोरम होना चाहिये। प्रधान मंत्री तथा सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यहां सभी सदस्य के रूप में समान हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, you have not understood my point. The Sacredness of this institution should be upheld.

Mr. Speaker : I had called you to discuss the matter with me. I may assure you that I have no reservations and anybody found guilty will not be spared. But there must be some proper reform this.

कोयला सप्लाई किए जाने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर बकाया धनराशि

***516. श्री राम कंवर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत संस्थान ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और भारतीय कोयला खान प्राधिकर द्वारा सप्लाई किए गए कोयले के लिए काफी बड़ी रकम का भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान की ओर कितनी धनराशि बकाया है और समय पर देय राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 1–12–1974 को कोयला संभरकों को देय बकाया राशियां इस प्रकार हैं :—

(i)	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	46.62 लाख रुपये
(ii)	मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी	20.49 लाख रुपये

भुगतान में देरों, संस्थान के राजस्व के उसके बढ़ रहे व्यय के बराबर न रहने तथा कुछ थोक उपभोक्ताओं से बकाया राशियों की वसूली न होने की वजह से संस्थान को कठिन वित्तीय स्थिति होने के कारण हुई है।

Shri Ramkanwar : Sir, May I know as to how such a huge arrears accumulated on DESU ? The hon. Minister in his statement has said that the delay in payment is due to the non-recovery of arrears from some of the bulk consumers. May I know whether the Coal to the bulk consumers is supplied on credit and if so, whether these consumers have so much funds with them or not. If not how do they propose to make good if this loss, do they propose to increase the rates of power ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheswar Prasad) : In the statement it has been mentioned that the delay in payment is due to difficult financial position of DESU. The hon. Member has asked whether the DESU propose increase the rates of power ? This undertaking comes under the administration of Delhi Corporation and Delhi Corporation is considering the matter.

Shri Ram Kanwar : May I know whether the lack of coordination amongst electricity workers and the mismanagement are the two reasons for the delay in payment ? May I know whether there are some complaints and if so, what actions are being taken to remove them ?

Prof. Sidheswar Prasad : There is no complaint regarding lack of coordination and mismanagement, But it appears that the cost of Coal, oil and other things required for generation of power has gone up, wages of electricity workers have also gone up, thus the expenditure of DESU has increased but the earnings are the same. The Corporation is considering to raise the earning of DESU,

Recommendations made at the 11th Conference of Information Ministers of States

***518. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to implement the recommendations made by the 11th Conference of the Information Ministers of the States held in December, 1972 ; and

(b) the names of the States in which Publicity Coordination Committees have been constituted indicating the names of the members of these committees and the criteria followed in nominating the members and the functions of these committee ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) का उत्तर : राज्यों के सूचना मंत्रियों के दिसम्बर, 1972 में हुए 11वें सम्मेलन की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण लोकसभा के 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7971 के उत्तर में सदन की मेज पर रखा गया था। 11 वें सम्मेलन की सिफारिशों पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई का राज्यों के सूचना मंत्रियों के अगस्त, 1974 में हुए 12 वें सम्मेलन में पुनर्विलोकन किया गया था और उनके निर्णयों को 12 वें सम्मेलन की सिफारिशों में शामिल किया गया था। 12 वें सम्मेलन का कार्यवृत्त गत नवम्बर, में राज्यों को सरकुलेट किया गया है।

प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर : राज्य स्तरीय प्रचार समन्वय समितियां निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र में स्थापित की जा चुकीं हैं।

आन्ध्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश
बिहार
दिल्ली
गुजरात
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू तथा काश्मीर
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मेघालय
मणिपुर
मिजोरम
नागालैण्ड
उड़ीसा
पाण्डिचेरी

पंजाब

राजस्थान

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

गोवा, दमन और दीव

राज्य सरकारों को इन समितियों को सामान्यतया निम्नलिखित आधार पर गठित करने की सलाह दी गई है :—

1.	राज्य के सूचना/जनसंपर्क/प्रचार विभाग के मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव	उपाध्यक्ष
3.	राज्य के सूचना/जनसंपर्क/प्रचार विभाग के सचिव . . .	सदस्य
4.	शिक्षा विभाग के सचिव	सदस्य
5.	स्वास्थ्य विभाग के सचिव	सदस्य
6.	कृषि विभाग के सचिव	सदस्य
7.	राज्य के सूचना/जनसंपर्क/प्रचार निदेशक	संयोजक
8.	राज्य की राजधानी में आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक . .	सदस्य
9.	राज्य की राजधानी में भारत सरकार को पत्र सूचना कार्यालय के उप प्रधान सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी	सदस्य
10.	भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक अधिकारी .	सह–संयोजक

वर्तमान सदस्यों के नाम उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकारें आम–तौर पर इन समितियों को गठन पदनाम से करती हैं।

सदस्यों को नामजद करने की सामान्य कसौटी यह है कि जन–सम्पर्क, सूचना और प्रचार विभाग से संबंधित सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी इस समिति में नियुक्त किये जाते है । इसके सदस्य सर्वथा सरकारी अधिकारी होते हैं और कोई गैर सरकारी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता ।

इन समितियों का काम एक और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों की और दूसरी और राज्य सरकारों की प्रचार एजेंसियों को गतिविधियों का समन्वय करना है। ये प्रचार के मुख्य विषयों को तय करती है और सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक स्वीकृति सम्पर्क लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रचार अभियानों की मोटी रुपरेखा निर्धारित करती हैं। ये वर्तमान संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये सम्पर्क के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए उपाय भी प्रस्तुत करती है।

Shri M. C. Daga : What is the criteria adopted information of Coordination Committee. The decision was taken in 1972 but the Committees has not been constituted in 15 states. Why it is so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharambir Sinha) : The Coordination Committee consists of the officers of the state and the officers of the Government of India. The criteria is to have a coordination between the States and the Centre. The Committees have been constituted wherever it has been possible.

Shri M. C. Daga : In additions to the States, the Committees have been constituted at district levels also. May I know the purpose for which these Committees have been formed ? What is the purpose and criteria behind the formation of these Committees ?

Shri Dharambir Sinha : Officers of Government of India and the State Government are the members of this Committee. The Committee is preeminently concerned with field publicity. As regards the Government of India they get the field publicity and coordination work done through Coordination Committee in which State Government Officers also find their place as members of the Committee.

Shri M. C. Daga : The Coordination Committee conveys the reactions of the people to the Government regarding the policy and programme of the Government, and if so, waht action is taken in tnis regard ? How it is implemented ?

Shri Dharambir Sinha : As regards the Coordination Committees, the Government of India is mostly concerned with the organisations of regional field publicity. It is correct that there is not so much publicity as it was expected to be made. But where the field publicity must exist, it makes publicity of the Government policy and conveys the reaction of tne people thereto to the Ministry and the Ministry forwards these reactions to otherMinistries as well.

Shri M. C. Daga : How the reactions of the people are made known to the Government ? These committees consists of Government officers why there is no representative from the people there ?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य को ठीक ही फीड़ बैंक संगठनो के बारे में चिन्ता है। जहां तक समिति का संबंध है, हमारे फीड बैंक संगठनों में सुधार किये जाने की आवश्यकता है हमें उनमें और सुधार करने की भी आवश्यकता है क्योंकि हमें अपने प्रचार अभियान के लिये ही लोगों की प्रतिक्रिया नहीं जाननी है अपितु हमें समय समय पर लोगों की विचारधारा को भी जानना होता है। कुछ सीमा तक हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। उदाहरणार्थ, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं जिसमें और कुछ भी करने की आवश्यकता हैं।

श्री समर गुह : मैंने यह मामला सदन में भी तथा परामर्शदात्री समिति में भी कई बार उठाया हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान विभिन्न राज्यों में लगाये जा रहे अश्लील सिनेमा पोस्टरों की और दिलाना चाहता हूं जिनमें देश की युवापीड़ी पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि राज्य मंत्रियों कि 12 वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया जायेगा क्यों कि उन्होंने कहा था विगत राज्य सरकारों का दायित्व है। क्या इस मामले पर विचार किया गया था और यदि हां, तो विभिन्न राज्य में प्रदर्शित किये जा रहे अश्लील पोस्टर्स को रोकने जो अब गांवों तक फैल रहे के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह समन्वय समिति के बारे में है। इसके सिनेमा पोस्टर्स कहां के आ गये।

श्री समर गुह : यह इससे भी संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री समर गुह : वह उत्तर देने के लिये तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हीं नहीं उठता। वे युवपीढी के लिये धातक सिद्ध हो रहे हैं।

श्री समर गुह : इसका सीधा संबंध भले ही न तो, परन्तु इसका प्रचार से संबंध तो है ही।

श्री अध्यक्ष महोदय : चाहे कितनी भी दूर का संबंध हो।

श्री समर गुह : वे अपने प्रचार पर नहीं दूसरों की प्रकार पर भी नियंत्रण रखते हैं। मंत्री-महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं। वह खड़े हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : वह तैयार हों, न तो इससे मेरा क्या तात्पर्य है। मेरा तात्पर्य सम्बद्ध से है। वे तो प्रत्येक बात का उत्तर देने के लिये खड़े हो जाते हैं।

Shri Samar Guha : They control not only their own publicity but the publicity of others also.

Mr. Speaker : How does it arise ?

Shri Samar Guha : They are expected to control the publicity of others also.

Mr. Speaker : This is correct.

Shri Dharambir Sinha : There was a consensus in the conference that the State Governments have not been able to get the work done upto the fixed target through local bodies and municipalities. It is considered that enacting a lagislation liked Bengal and Tamil Nadu, is necessary and the matter is being considered by the State Governments.

Dr. Kailash : The Coodination Committee stand for two purposes. The programmes. formulated by the center and the states are taken to the people by these Committees. Secondly the Committee should inform the Government that the people are not being benefitted by these programmes. The Government should try to see that these Committees take the programme and the Schemes of the Government to the people and inform the Government that programmes and schemes are proving useful to the people or not.

Mr. Speaker : You are making a speech.

Dr. Kailash : May I know whether certain non-officials and Social workers will also be included amongst the members of the Coordination Committees so that the schemes of Central and State Governments may be reach to the people and the Government in turn may know the difficulties and the problems of the people. It is only then these committees will be successful.

श्री धर्मवीर सिंह : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या ये समन्वय समितियां हिन्दी की अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओ की अश्लील फिल्मों के बारे में सिफारिश कर सकती हैं कि वे देश के सिनेमाघरों में न दिखाई जायें।

श्री आई० के० गुजराल : यदि किसी राज्य की समन्वय समिति किसी विशेष नियम की और हमारा ध्यान आकर्षित करती है तो हम उस पर ध्यान देंगे ही।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या मंत्रालय ने प्रचार साधन के माध्यम से बिजली की कमी खाद्यान्न सम्बन्धी कठिनाइयों तथा तेल संकट से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में जनमत को शिक्षित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है, यदि हां, तो इस मामले में क्या किया गया है और क्या करने का विचार है ?

श्री आई० के० गुजराल : जी, हां, फिल्म तथा रेडिओ आदि दृश्य माध्यम से देश के सामने ये जो समस्याएं है इनके बारे में हम जनता को वस्तुस्थिति की बताने तथा विदेशी मुद्रा बनाने में में लोग किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं यह बताने का भी हमने प्रयास किया है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Ministei has said that the Cooidination Committees consists of officials only. We have been informed that certain Congress workers who are not Government Officials and also the member of this committee in Uttar Pradesh, Why it is so ? Why only in Uttar Pradesh Congress Workers in the giuse of Social Worker have been included amongst the membes of the committee ?

श्री आई० के० गुजराल : जीहां तक केन्द्र का संबंध है, समन्वय समिति का उद्देश्य यह रखा गया था कि जिलास्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य करने वाले हमारे अधिकारियों और यूनिटों की राज्य सरकारों की ऐसी एजेंसियों से तालमेल हो ताकि कोई अतिक्रमण न हो। यह मूल बात है। जहां तक जिला और ताल्लुक समितियों का संम्बन्ध है उन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त नहीं करती है।

Issue of Licences for manufacturing Casting Machines

*519. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether three Indian companies had requested for licences for manufacturing continuous casting machines ; and

(b) whether the granting of licence to some foreign company for the manufacture of these machines is being negotiated as a result of which the country will have to spend foreign exchange on many items ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) किसी विदेशी कंपनी को निरन्तर ढलाई की मशीनों का निर्माण करने के लिए लाईसेंस देने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है। किन्तु विदेशी सहयोग से इस प्रकार की मशीनों का निर्माण करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में एक उपक्रम से प्राप्त हुआ एक प्रस्ताव सरकार के पास है जिस में विदेशी मुद्रा में व्यय स्वाभाविक रूप से आवश्यक होगा।

Shri Jagannathrao Joshi : The hon. Minister has admitted that an indigenous firm has applied for industrial licence for manufacturing continuous casting machine. You may not grant licence to this company having foreign collaboration but this question is under your consideration. But when such machine manufacturing firms in small sector, who are manufacturing such machine for the last three years and their machines are working well in Bombay, Lucknow, Bhavnagar, Bangalore and in other places, have applied for industrial licences then why they have not been granted such licences ?

श्री ए० सी० जार्ज : बम्बई के लघु क्षेत्र में एक कंपनी है जो कंटिनुअस ढलाई में मशीनों का निर्माण कर रही थी और उनके कुछ सप्लायर दो–तीन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, परन्तु ये मशीनें उस मशीन की नकल है जिसका आयात छह सात साल पहिले किया गया था और उन्होंने इसमें कोई नई प्रक्रिया नहीं निकाली है अथवा सुधार भी नहीं किया है। वास्तव में मंत्री महोदय द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और हमें आशा है कि इसका प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक आ जायेगा।

Shri Jagannathrao Joshi : The hon. Minister in his answer has mentioned about technical committee, technical exports etc. I want specific assurance from him. You have stated in your reply, "No doubt, the technical committee will consider on merits the capability and the need or otherwise for import of technology consistent with the future requirements." When indigenous companies are manufacturing such machines for the last three years then what was the need of such committees did what are the reasons for not reaching at some decisions so far? Continuous casting machines are manufactured in this country. When money is saved in this way then why. This fact is not taken into consideration.

Are you prepared to give assurance that when indigenous firms are manufacturing such machines, no foreign firms or company having foreign collaboration will be given licence and after receiving report from this committee, licence will be given to those firms which are manufacturing such machines have and working satisfactorily ?

श्री ए० सी० जार्ज : पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि तीन महीने पूर्व एक समिति नियुक्त की गई है और वह तकनीकी समिति कुछ और ब्यौरा चाहती है इसलिये कि विशेष समिति नियुक्त की गई है जिसमें प्रतिरक्षा धातु कार्मिक प्रयोगशाला के निदशक ड.० अ.र० वी० तमनक.र और श्री एम० एन० दस्तूर रखे गए हैं, हमें उनका प्रतिवेदन एक महीने में मिल जायेगा। सरकार को इस ब.त की पूरी जानकारी है कि देश के लिए इस कन्टीन्यूअस ढलाई' मशीन की बहुत आवश्यकता है और उनसहों के निर्माण में 50 रुपये से 60 रुपये प्रति टन और सामग्री में 130 रुपये की बचत होगी इस प्रकार हमें प्रति टन 190 रुपये की बचत होगी। हमें इस ब.त की जानकारी है। हम केवल तकनीकी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुच सकें जो तर्कसंगत हो तथा जो अन्य देशों में हुए विक.स संबंधी ब.तों को ध्यान में रखे।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : परन्तु गत तीन वर्षों से आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े है, आपने समिति नियुक्त करने की बात कहीं है, परन्तु किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : इस समय कंटीन्युअस ढल.ई मशीन को बनाने वाली पार्टी लघु क्षेत्र की एक एकक है जिसकी पूंति नियोजक 7 1/2 लाखो रुपये से कम है, इसलिए उसे डी० जी० टी० डी० में पंजीकृत नहीं किया जा सका है, उन्हें और अधिक विस्तार करने के लिए कहा गया है ताकि पंजीकरण के लिए वे डी० जी० टी० डी० की शर्तों को पूरा कर सकें। इस बीच कंटिनुअस ढलाई कर हाल ही में विकास किया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में बिजली भट्ठियों को स्थापित होने की अनुमति दी गई थी और कंटिनुअस ढलाई प्रक्रिया बड़ी मात्रा में धन की बचत करने तथा इस्पात के उत्पादन में सुधार लाने में सहायक होगा, इस एकक ने दावा किया है कि उसने कुछ संयंत्रों का निर्माण किया। परन्तु दुर्भाग्यवश इसकी मांग बहुत ही अधिक अनुचित होती जा रही है। दो वर्ष पूर्व इसने कंटिनुअस ढलाई मशीन के लिए 22 लाख रुपये की मांग की थी, अब यह 44 लाख रुपये मांग रही है, यह प्रति टन है उत्पादित इस्पात के लिए 10 रुपये की रायल्टी भी मांग रही है। इसीलिए लघु क्षेत्र की एक एकक उन्नत प्रौद्योगिकी और विदेशी सहयोग से इस मशीन का निर्णय करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम लेकर आगे आई है और उसका आवेदन पत्र विचाराधीन है, परन्तु पहली कंपनी का दावा था कि वह बिना विदेशी सहयोग से दशमेहो मशिनों का निर्माण कर सकती न, इसकी जांच एक विशेषज्ञ समिति से करानी थी क्योंकि हम इसे पूरे एकदम आंगीकार करना नहीं चाहते है, उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है और मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम विदेशी मुद्रा का अपव्यय करने के इच्छुक नहीं है बशर्ते यह देश के लिए आवश्यक न हो।

श्री एम० एस० संजीवी राव : जबकि प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर इस कन्टिनुअस ढलाई प्रौद्योगिकी में, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों कर रही है। मंत्री महोदय एक सक्रिय व्यक्ति है तो उन्हें इस बारे में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री टी० ए० पाई : हम इसका अनुमोदन कर देते परन्तु इस कारण रुक गये हैं क्योंकि कुछ संसद सदस्यों ने यह कहा था कि हमें देशी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिये और हम उनकी मांग की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना पड़ा है।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : हमारे देश ने परमाणु विस्फोट किया है। क्या हमारे लिए सभी तरह के विदेशी सहयोग को समाप्त करना कठिन है? विदेशी सहयोग को समाप्त करने में कितना समय लगेगा तथा इन मशीनों को देश में ही कब से बनाया जायेगा?

श्री टी० ए० पाई : देश में औद्योगिक विकास को देखते हुए मुझे प्रसन्नता होती यदि हम विदेशी सहयोग को समाप्त कर देते और जबकि संसद ने पेटेन्ट्स एक्ट का संशोधन पारित कर दिया है; हमारे उद्योगपतियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर पेटेन्ट का तोड़ना संभव हो सकता है. और ये यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम देश में ही इन मशीनों का निर्माण करें, परन्तु इसके लिए आगे आने और मशीनों का निर्माण करने के लिए उद्योगपतियों में पहल करने तथा इसे आरम्भ करने का साहस होना चाहिये, अपनी तरफ से मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूं।

श्री डी० डी० देसाई : कंटिनुअस ढलाई मशीन का उपयोग न केवल लघु इस्पात संयंत्रो द्वारा अपितु बड़े इस्पात संयंत्रों द्वारा भी किया जाता है, इस्पात की लागत घटाने हेतु बड़े इस्पात संयंत्रो को कंटिनुअस ढलाई मशीन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? मौल्डिंग ब्लूमिंग मिल आदि द्वारा लागत बहुत ही अधिक है।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक बड़ी मिलों का संबंध है, इसका निर्णय करने के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का रुस के साथ सहयोग है और हम ऐसा करने की स्थिति में है, प्रश्न लघु इस्पात संयंत्रों से संबंधित है।

Assistance taken from C. R. P. in arrest of opposition Leaders

*520. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the monthly amount of expenditure incurred on Central Reserve Police stationed in Bihar since 1st February, 1974 to date ;

(b) whether assistance of Central Reserve Police was taken in arresting Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Rajnarain and Shri George Farnandes : and

(c) if so, the kind tof assistance taken ?

The Minister for Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) Statement attached.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Month	Amount (Amount in Rs.)
February, 1974	38,219
March, 1974	8,61,702
April, 1974	16,11,519
May, 1974	18,49,308
June, 1974	17,41,468
July, 1974	23,35,830
August, 1974	33,70,000
September, 1974	34,08,100
October, 1974	40,05,300
November, 1974	38,52,100
December, 1974 (1-12-74 to 7-12-74)	7,28,700
	2,38,02,246

Shri Ishwar Choudhary : Parts (b) and (c) of my question have not been answered. My question is clear that (b) "whether assistance of Central Reserve Police was taken in arresting Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Rajnarain and Shri George Fernandes and (c) if so the kind of assistance taken ?" These have not been answered.

Mr. Speaker : The hon. Minister has replied that the assistance of Central Reserve Police was not taken in arresting them.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : प्रश्न यह था कि क्या उनको गिरफ्तार करने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सहायता ली गई थी और मैंने उत्तर 'नहीं' में दिया था।

Shri Ishwar Choudhary : Had the hon. Minister announced while passing MS act that it will not be used in arresting political workers and if so, what are the reasons in arresting Shri Vajpayee under MISA with the assistance of the C. R. P. ?

Mr. Speaker : He has replied in negative.

Shri Ishwar Chaudhary : Mr. Speaker, You may be aware that Shri Vajpayee was sent to jail after his arrest under MISA. The hon. Minister has stated. that between February 1974 to December 1974, Rs. 2,38,02,246 was spend on CRP stationed in Bihar. Is such huge expenditure meant for saving Bihar Government ? Will the Government recall CRP from Bihar ?

श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी : सभा को यह पूरी जानकारी है कि जब राज्य सरकारें कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सहायता की मांग करती हैं तब आमतौर पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्यों में भेजा जाता है और मैंने बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने में हुए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण दिया है और आप यह भी जानते हैं कि यह निर्णय किया गया था कि भारत सरकार द्वारा छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद 1 अप्रैल, 1974 के बाद से केन्द्रीय सरकार इस व्यय को वहन करेगी।

श्री समर गुह : गत दस महीनों में सरकार ने बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर 2.5 करोड़ रुपये व्यय किये है, मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की 52 बटालियन वहां तैनात की गई है क्योंकि केन्द्र तथा बिहार सरकार का बिहार की पुलिस की वफादारी में भरोसा नहीं रहा है क्योंकि उनकी वफादारी जयप्रकाश नारायण की तरफ हो गई है तथा क्या वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और बिहार पुलिस के बीच झगड़े होने के समाचार मिले हैं। क्या दूसरा कारण यह है कि स्थानीय पुलिस पर विश्वास न रहने से उन्होंने बिहार में कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी ली है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि बिहार की पुलिस की वफादारी संदेहास्पद है।

श्री पीलू मोदी : आप कैसे जानते हैं?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आमतौर पर यह गलती की जाती है, वे कंपनी और बटालियन में समानता कर रहे है। बिहार में एक समय में 60 कंपनियां थी न कि बटालियनें थी।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या उन्होंने बिहार पुलिस पर विश्वास न होने के कारण वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की नियुक्ति की है तथा क्या वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और बिहार पुलिस में झगड़ों की अनेक घटनाएं हुई हैं?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वफादारी पर संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं है? तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच कोई झगड़े नहीं हुई हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस आप पर अभी विश्वास नहीं कर रही है न की आपका पुलिस पर विश्वास हट गया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जी नहीं।

सीमेंट उद्योग में पूंजी निवेश

+
***521. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 करोड़ टन की अतिरिक्त क्षमता के लिये लायसन्स तथा आशय पत्र जारी किये जाने के बावजूद सीमेंट उद्योगपतियों ने इस उद्योग में और अधिक पूंजी न लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : यह सच हो सकता है कि उद्योगपतियों ने अरुचि नहीं दिखाई हो जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। किन्तु यह सच है कि बहुत से उद्योगपतियों ने अभी तक लाइसेंसों को क्रियान्वित नहीं किया है तथा इसके लिये उन्होंने कई कारण बताये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कारण सच है। उन्होंने यह तर्क दिये हैं कि पूंजी का अभाव है, वित्तीय संस्थाओंने वित्तीय सहायता नहीं दी है, सीमेंट उत्पादक उद्योग की क्षमता अत्यंत सीमित है, उत्पाद और कास्टिंग के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है, पूंजी लगाये जाने पर उससे 12 प्रतिशत ब्याज भी नही मिल सका है तथा पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है आदि मैं जानना चाहता हूं कि उद्योगपतियों ने अब तक उद्योग स्थापित न किये जाने के लिये जो तर्क दिये हैं क्या वे सच है।

श्री टी० ए० पाई : जिन संयंत्रों को भविष्य में स्थापना की जायेगी उनके बारे में सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी कि क्या ऐसा टैरीफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाये या सीमेंट से नियंत्रण हटाने की नीति को ध्यान में रख कर किया जाये जिससे संयंत्र स्थापित होने पर उस में लगी पूंजी से पर्याप्त आय हो सके तथा मेरे विचार से जो संयंत्र स्थापित किये जाएंगे उनको फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई दूसरी समस्या के बारे में मेरा कहना है कि हम संयंत्र स्थापित करने में समर्थ है तथा 12 संयंत्रों की स्थापना किये जाने का आदेश दिया जा चुका है तथा इस वर्ष और अधिक संयंत्र स्थापित किये जाने का आदेश दिया जाएगा।

श्री वाई ईश्वर रेड्डी : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि सरकार उत्पादन से वृद्धि करने में बहुत रुचि रखती है। किन्तु सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि क्या है? सरकार ने आंध्र प्रदेश में तीन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था जिनमें से एक रायल सीमा के एर्रागुंटला में स्थापित किया जाना था तथा इस पर सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना से विचार कर रही है। किन्तु यह चुनाव परियोजना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था क्योंकि इस बारे में केवल चुनावो

के दौरान ही चर्चा की जाती है। चुनाव समाप्त होने पर सरकार यह भूल जाती है और चुनाव आने पर फिर उसकी चर्चा होंने लगती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की इस बारे क्या उपलब्धि है।

श्री टी० ए० पाई : यह सुझाव नहीं दिया गया था कि सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजना इस वर्ष में आरम्भ की जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि वे सभी परियोजनाएं जिन्हें हम आरम्भ करना चाहते हैं, जैसे कि बोका जन, पाओंटा, मंधार, तंडूर, आदिलाबाद, यंरगुंटला नोमच और अकलबारा, उन्हें पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया जायेगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता लगभग 27.8 करोड़ टन होगी।

श्री मान सिंह भौरा : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि देश भर में सीमेंट की कमी है इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? जिन राज्यों में कोई सीमेंट कारखाना नहीं है उनमें सीमेंट कारखाना लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक सीमेंट कारखाने की स्थापना का अनुरोध किया है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री टी० ए० पाई : यदि पंजाब सरकार ऐसा प्रस्ताव करे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, हमें सीमेंट उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि यही एक ऐसा उद्योग है जिनमें कच्चा माल तथा मशीनरी दोनो ही स्वदेशी हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सीमेंट की कमी है, सरकार ने सार्वजनिक तथा गैर–सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में काफी शीघ्रता दिखाई है, क्योकि यह उद्योग पूंजी प्रधान है केवल बड़े उद्योगपति ही, जिनके पास भारी संसाधन है, संयंत्रों की स्थापना कर सकते है। बहुत से छोटे उद्यमियों और तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों ने ये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु उन कारणों से जिनका उल्लेख श्री ईश्वर रेड्डी ने किया है, छोटे उद्यमियों और तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियो को इन उद्योगों को स्थापित करने में बाधाएं आई हैं।

मैं उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे उद्यमियों और तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की भांति कोई अन्य उद्योग भी स्थापित किया जायेगा। वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में सरकार को भिन्न तरीका अपनाना होगा। क्या सरकार संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने के लिये राज्य वित्तीय संस्थाओं को भी सहमत करायेगी?

श्री टी० ए० पाई : इस समय प्रमुख समस्या यह सुनिश्चित करने की है कि जिन संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये हैं उनको स्थापित करने में वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों को इसके लिये आवश्यक पूंजी प्रदान की जाये। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये संयंत्र स्थापित हो सकें।

दूसरी समस्या पूंजी लागत की अधिकतर है। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मशीन उत्पादकों को इस्पात देकर पूंजीलागत को कम किया जा सके। तीसरे हम यह भी चाहते है कि सीमेंट अनुसंधान संगठन छोटे संयंत्रों की स्थापना की सम्भवनाओं का पता लगाये जिस छोटे उद्यमी छोटे–छोटे संयंत्र लगाकर सीमेंट का उत्पादन कर सकें।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान सीमेंट की कितनी आवश्यकता होगी? क्या वह मध्य प्रदेश की क्षमता पर विचार करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं तथा क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई सीमेंट कारखाना स्थापित करेगी?

श्री टी० ए० पाई : पांचवीं योजना अवधि के वर्तमान उत्पादन से लगभग एक करोड़ टन अधिक सीमेंट की आवश्यकता होने का अनुमान है। इसमें लगभग 2 करोड़ टन सीमेंट उत्पादन करने के लाइसेंस दिये हैं। जहां तक इस की नई उत्पादन क्षमता का संबंध है हम आवश्यकता की तुलना में सीमेंट का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं क्योंकि इस के निर्यात की भी सम्भावना है जो देश के हित में होगा।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, मुझे ज्ञात नहीं है कि कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं। किन्तु मध्य प्रदेश से जितने भी आवेदन पत्र आये हैं, यदि वहां लाइमस्टोन और ढुलाई साधन विद्यमान होंगे, तो हम उनपर अवश्य अनुकूल रूप से विचार करेंगे।

Shri Achal Singh : May I know from the hon. Minister the time by which the shortage of cement will be removed from the country ?

श्री टी० ए० पाई : देश में सीमेंट की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 198.5 लाख टन है। मई तक 65 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जायेगा। नवम्बर तक 82 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जिसे हम उपयुक्त मानते हैं तथा इस दर से लगभग 140 लाख टन की तुलना में 150 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया जा सकेगा।

Shri Hukum Chand Kachwai : The hon. Minister has issued licences for increasing the production by 20 million tonnes. I would like to know the names of the states in which cement factories will be set-up and whether he has considered the proposal to set-up small cement plants, and if so the number of applicantions from various areas under consideration of this Government. I would also like to know the thing by which the restrictions imposed on the big construction works will be withdrawn.

श्री टी० ए० पाई : महोदय! आगामी वर्ष में अतिरिक्त 20 लाख टन की क्षमता के संयंत्र स्थापित हो जायेंगे तथा आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें और वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ छोटे कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जाये। अनुसंधान कार्य चल रहा है और हमें आशा है कि हमें छोटे संयंत्र की स्थापना में सफलता मिल जायेगी तथा उनमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा यही तरीका है जिससे छोटे उद्यमी इस व्यापार में भाग ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसे सदस्यों को अवसर देना पड़ता है जो कभी-कभी बोलने के लिये खड़े होते हैं। श्री नायक! आपको तो कई अवसर मिल गये हैं।

श्री सैयद अहमद आगा : काश्मीर में कोई रेलवे लाइन नहीं है जिसके कारण हमें घाटी के लिये यहां से सीमेंट ले जाना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक कारखाना है। क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस कारखाने में अधिक सीमेंट का उत्पादन करायेंगी। जिससे घाटी के लिये यहां से सीमेंट ले जाने की आवश्यकता न हों।

श्री टी० ए० पाई : उक्त संयंत्र द्वारा अधिक सीमेंट उत्पादन करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वे इस संयंत्र का विस्तार करना चाहे तो हमें प्रसन्नता होगी तथा यदि वे इसके विस्तार करने का प्रस्ताव करें तो हमें अवश्य प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक! आप बहुत अधिर हो रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय तारांकित प्रश्न संख्या 525 की और ध्यान देंगे? यह ज्ञात नहीं सीमेंट की कुल मांग का हिसाब लगाया गया है या नहीं किन्तु यह लगभग 160 लाख टन है। श्री पांडे के प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश की कुल मांग 60 लाख टन निर्धारित की गई है जो अकेले दिल्ली नगर के बराबर है। मैं मंत्री महोदय से

जानना चाहता हूं कि क्या सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना से सीमेंट की जमाखोरी की जा रही है या नहीं और क्या उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक मूल्य पर चोरबाजार में सीमेंट बेचा जा रहा है तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उद्योगपतियों पर विश्वास करने के बजाय सहकारी समितियां स्थापित करेगी ?

श्री टी० ए० पाई : महोदय! कुल उत्पादित सीमेंट में से 60 प्रतिशत सीमेंट सरकार लेती है पीछे इसमें देखा है कि सरकारी परियोजनाओं के लिये सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण बहुत सी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं, जिनमें बिजली परियोजनाएं भी सम्मिलित है, का कार्य रुक गया है। अत: बड़ी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने तथा सीमेंट की खपत को सीमित करने के लिये हाल में जारी किये गये सीमेंट आदेश का उद्देश्य सरकारी आवश्यकता को पूरा करना था तथा शेष सीमेंट को जनता के लिये उपलब्ध कराना था। किन्तु यदि उत्पादन ही कम है तो अभाव अवश्य होगा तथा वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दो-तीन बोरी सीमेंट के वितरण में चोर बाजारी होना स्वाभाविक है। किन्तु अब उत्पादन में वृद्धि हो रही है और हमें आशा है कि शेष वर्ष के उत्पादन का स्तर 85 प्रतिशत तक आ जाएगा तथा उपलब्ध सीमेंट की चोर बाजारी कम होगी।

श्री था० किसनिनन : उस में कोई संदेह नही है कि देश में सीमेंट की कमी है। मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि उत्पादन में कमी हुइ है। देश में पोर्टलेण्ड सीमेंट की कमी है। किन्तु अधिकांश सीमेंट कारखानो ने ऐसा सीमेंट बनाना आरम्भ कर दिया है जिस पर नियंत्रण नहीं है। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार सीमेंट कारखानो को अपनी क्षमता का उपयोग उस प्रकार के सीमेंट के उत्पादन में नहीं लगाये जाने का आदेश दगी तथा उनके पोर्टलेण्ड सीमेंट उत्पादन करने को कहेगी जिसकी देश में कमी है तथा जिसका उपयोग सामान्य जनता करती है ?

श्री टी० ए० पाई : महोदय! यदि सीमेंट कारखाने अपनी क्षमता की सीमा में रहते हुए किसी अन्य प्रकार के सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं तो मैं इस बात पर अवश्य विचार करूंगा तथा उनसे उसी सीमेंट का उत्पादन करने का आग्रह करूंगा जिसकी देश को आवश्यकता है।

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की क्षति

***522. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक की अवधि में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की कितनी क्षति हुई ; और

(ख) आंकड़ों का 'राज्य-वार' ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) देश के औद्योगिक उत्पादन पर बिजली की कमी से नि:सन्देह दुष्प्रभाव पड़ा है परन्तु केवल बिजली की कमी के ही कारण हुई हानि का पता लगाना कठिन होगा क्योंकि परिवहन की कठिनाईयों मांग की कमी, कच्चे माल की कमी इत्यादि अन्य अवरोधों का भी औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : महोदय! उस असंतोषजनक तथा भ्रामक उत्तर और इस विभाग की अकार्यकुशलता पर मुझे मंत्री महोदय पर दया आती है। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का अच्छा उत्तर दे सकते थे, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि देश में बिजली की कमी के कारण उद्योगों को भारी हानि हुई है। मंत्री महोदय ने उद्योगों की अन्य कठिनाइयों को बिजली की कमी के साथ जोड़कर बड़ी चतुराई दिखाई है। उनका विभाग बिजली की कमी से उद्योगों को हुये घाटे का अनुमान बड़ी सरलता से लगा सकता था। तथापि मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बिजली की कमी को दूर करने हेतु उन्होंने क्या योजना बनाई है तथा हरीयाणा और पंजाब में उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन्होंने क्या विशेष कदम उठाये हैं। हरीयाना और पंजाब के उद्योगों की दशा बहुत खराब है, वहां उद्योगपति अपने कारखानों को बन्द कर रहे हैं तथा दूसरे राज्यों में जाने की सोच में रहे हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : यह ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व है। मैं उसकी ओर से कोई आश्वासन दे सकता हूं !

श्री पीलू मोदी : तब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर क्यों दिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से पूछा गया है। मेरे विचार से मंत्री महोदय ठीक कहते हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का किस हैसियत से उत्तर दिया है ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : उन्हें उत्तर देने से इंकार कर देना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उनके मंत्रालय का संबंध है, उन्होंने उत्तर दे दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपका यह विनियोग है कि मंत्री महोदय मूल प्रश्न का उत्तर दे सकते है, अनुपूरक प्रश्नों का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वह प्रश्न उनसे संबंधित था।

श्री पीलू मोदी : उन्होंने उसका उत्तर किस हैसियत से दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने बिजली के बारे में प्रश्न किया है। वह उर्जा मंत्री नहीं हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह मेरा दोष है या आप के सचिवालय का या मंत्री का ? उन्होंने इसका उत्तर ही क्यों दिया ? मैं आपसे सहायता चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उद्योग मंत्रालय उत्तर दे सकता था, उन्होंने दे दिया। अब आपका प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय स संबंधित है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन की कुल हानि।

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैंने बिजली की कमी के कारण हरीयाना और पंजाब में उद्योग को हानि से बचाने के लिये किये गये उपायों के बारे में पूछा था।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : यह दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा और पंजाब को इस समय कृषि कार्यों को प्राथमिकता देने के लिये उद्योगों को बिजली की सप्लाई में कटौती करनी पडी जिससे कृषि कार्यों को बिजली मिल गई। आशा है माननीय सदस्य कृषि को देश का मूलभूत उद्योग मानेंगे तथा ऐसी स्थिति में जब उद्योग और कृषि में तुलना करना अनिवार्य हो जाये तो वह कृषि कार्यों के लिये बिजली देना उचित समझेंगे । किन्तु उद्योग मंत्री के नाते मुझे इस बात से असंतोष होगा कि कुल औद्योगिक उत्पादन को बिजली की कमी के कारण अस्त व्यस्त कर दिया जाये। संक्षेप में हम इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि यदि उद्योग स्थापित किये जाते है तो हम उन्हें कैप्टिव यूनिट दे सकें तथा यह भी प्रयत्न कर रहे है कि यदि हो सके तो अन्य राज्यों से भी बिजली प्राप्त कर सकें। इस संबंध में हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु उस स्थिति में बिजली की दर अधिक होगी। यदि उद्योग ऐसा करने को तैयार है तो हम उनके लिये बिजली देंगे। इस बारे में उनके साथ विचार विमर्श करना चाहता हूं।

श्री बी० पूर्णानन्द पैन्यूली : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमारें यहां खाद्यान्न की कमी है तथा सिंचाई कार्यो और उर्वरक उत्पादन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खाद्यान्नों उत्पादन के लिये उर्वरक अनिवार्य है—योजना मंत्री महोदय ने परामर्शदात्री समिती में कल इस बात को स्वीकार किया था कि पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने के कारण उर्वरक उत्पादन में कमी हुई है—मैं जानना चाहता हूं कि पर्याप्त बिजली की सप्लाई करने उर्वरक के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक मुझे ज्ञात है उर्वरक के उत्पादन के लिये बिजली की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। किन्तु उर्वरक उत्पादन में केवल बिजली की कमी से ही विपरित प्रभाव नहीं पड़ा है। इस देश में उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"स्टेटसमेन" में नोकरी से हटाया जाना और कदाचार

***515. श्री समर मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नई दिल्ली से प्रकाशित 'स्टेटसमैन' में बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से हटाये जाने और कदाचार के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कोई जांच कराये जाने के आदेश दिए गए है ; और

(ग) यदि हां, तो नौकरी से न हटने और नौकरी से हटाए गए सभी व्यक्तियों को बहाल, करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) श्री समर मुखर्जी, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा संसद के अन्य सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन दिनांक 21 अगस्त 1974 को भेजा था जिसमें "स्टैटसमैन" में कर्मचारियों को तंग किए जाने और कदाचार के आरोप लगाये गये थे। सूचना और प्रसारण मंत्री को भी सितम्बर, 1974 में आल इंडिया न्यूज पेपर्स एम्पलाइज फैडरेशन के अध्यक्ष से "स्टेटसमैन" द्वारा अखबारी कागज का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में एक शिकायत मिली थी। मामले को जांच की जा रही है। जहां तक कर्मचारियों को तंग और मुअत्तल किए जाने के कथित आरोप का संबंध है, मामला श्रम अदालत दिल्ली के सम्मुख विचाराधीन है।

बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा के कार्यकरण के बारे में अभ्यावेदन

*517. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनको इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि कार्यकर पूंजी और आवश्यक सामग्री के अभाव बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस संयंत्र के बंद होने अथवा श्रमिकों की जबरी छुट्टी होने की कोई सम्भावना है ; और

(घ) अब तक कम्पनी का राष्ट्रीयकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) यथा संभव वित्तीय सहायता देने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राष्ट्रीयकरण करने से पहले संपत्ति और देनदारियों का व्यापक सर्वेक्षण करना आवश्यक था। यह हाल ही में पूरा हुआ है और राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव पर सरकार इस समय सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों का अपने डिजाईन एवं विशिष्टियों की अन्तिम रूप दिए जाने के लिए भारत लाने का प्रस्ताव

*523. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी जर्मनी के कुछ उद्योगपतियों, अपने देश में प्रोग्राम बनाने की लागत में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण अपने डिजाईन एव विशिष्टियां को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए भारत लाने की सभावना का पता लगा रहे हैं ;

(ख) क्या हमारी सरकार यह जानते हुए कि यूरोप में विदेशी श्रमिकों की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ रही है, रोजगार के लिए जनशक्ति का निर्यात करने के स्थान पर उनकी अपने कार्य भारत लाने के लिए प्रोत्साहन दे रही थी ; और

(ग) यदि हा, तो आजकल क्या स्थिति है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) पारस्परिक संभावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चुने हुए क्षेत्र के औद्योगिक सहयोग के नये प्रक्रमों को विकसित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा केवल पश्चिमी जर्मनी को सरकार से ही नही बलिक जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य तथा हंगरी की सरकारों सहित कई अन्य देशों से भी, विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया है। इनमें से एक संभावना जिसपर विचार विमर्श किया गया है भारत के किसी ऐसे देश से उपसंविदा करने से संबंधित है जो किसी तीसरे देश में औद्योगिक उद्यमों के लिए संविदा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की उपसंविदा करने के लिए, तकनीकी ज्ञान को प्रदान करने के लिए, भारतीय अर्थ व्यवस्था की वर्तमान क्षमताओं, उपस्कर और प्रशिक्षित जन-शक्ति को ध्यान में रखा जाएगा ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्पादन क्षमता में विविधकरण और अपमिश्रण में वृद्धि हो। यह दृष्टिकोण विकास की प्रक्रिया में हैं।

इण्डियन रेयर अर्थ्स, आल्वे के श्रमिकों के साथ समझौता समाप्त होना

***524. श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन रेयर अर्थ्स, आलवे के श्रमिकों के साथ दीर्घावधि समझौता कब समाप्त हुआ था और नया समझौता कब तक किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इंडियन रेयर्स अर्थ्स लिमिटेड, आल्वे के कर्मचारियों के साथ किया गया पिछला करार जोकि 1 जनवरी , 1971 को लागू हुआ था, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हो गया है। नये करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

सीमेन्ट की आवश्यकता

***525. श्री एस० एन० मिश्र** : : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय सीमेंट की, राज्यवार, कुल कितनी आवश्यकता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : देश में सीमेंट की 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 की अवधि की कुल अनुमानित आवश्यकता 203.64 लाख मी० टन थी। राज्य क्षेत्र की सिमेंट मांग का राज्यवार ब्यौरा देने वाला एक विवरण जिसमें बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों तथा राज्य में केन्द्रीय सरकार के विभागों की आवश्यकता सम्मिलित नहीं की गई है सभा पटल पर रखा जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की मांग अर्थात देश के विभिन्न भागों में चल रहे केन्द्रीय सरकार के विभागों के निर्माण कार्यों तथा बड़े और मध्यम श्रेणी उद्योगों की आवश्यकता 42.19 लाख मी० टन है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	आवश्यकता (लाख मी० टनों में)
1	पंजाब	6.72
2	राजस्थान	5.28
3	उत्तर प्रदेश	23.00
4	हिमाचल प्रदेश	2.00
5	जम्मू और काश्मिर	2.00
6	दिल्ली	6.60
7	चण्डीगढ़	0.61
8	हरियाणा	10.00
9	पश्चिम बंगाल	12.00
10	बिहार	7.79
11	उड़ीसा	2.56
12	आसाम	1.50

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	आवश्यकता (लाख मी० टनों में)
13	मेघालय	0.29
14	मनीपुर	0.20
15	त्रिपुरा	0.25
16	मिजोराम	0.06
17	अरुणाचल प्रदश	0.01
18	गुजरात	16.00
19	मध्य प्रदेश	6.00
20	महाराष्ट्र	16.98
21	गोवा, दमन और दिव दादरा और नागर हवेली	0.66
22	तमिल नाडु	14.00
23	आन्ध्र प्रदेश	9.28
24	कर्नाटक	11.00
25	केरला	6.00
26	पाण्डेचेरी	0.25
27	लक्का दिव	0.06
28	अण्डमान और निकोबार आईलंड्स .	0.15
29	नागालैण्ड	0.20

ट्रैवल एजेंसियों की अवैध गतिविधियां

*526. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० की सरकार ने भारतीय प्राधिकारियों को अनेक बार उन ट्रैवल एजेंसियों के नाम बतायें है जो अवैध आप्रवासियों के लिये ही जिम्मेदार नहीं है अपितु करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा के घोटाले में प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं ;

(ख) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन एजसियों की अवैध गतिविधियां रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) जनवरी और जुलाई, 1974 में नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ब्रिटेन में अवैध आप्रवास के प्रयास के तीन मामलों के बा में कुछ सूचना हमारे ध्यान में लाई गई थी। ये आप्रवासी दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 में यूरोप के कुछ देशों में अवैध पारपत्रों पर गये थे और फिर उन्होंने यू० के० में अवैध रूप से प्रवेश करने की चेष्टा की जब वे पकड़े गये और वापस भारत

भेज दिये गये। ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा भेजी गई सूचना में यू० के० में अवैध आप्रवास का प्रबंध करने में निम्नलिखित ट्रैवल एजेन्टों के अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह का उल्लेख किया गया था, किन्तु किसी विदेशी मुद्रा घोटाले में उनके तथाकथित अन्तर्ग्रस्थ होने का कोई उल्लेख नहीं था :—

(1) पंजाब से शंगाड़ा सिंह

(2) दौबा ट्रैवल्स का निर्मल सिंह, बंगा रोड़, फगवाड़ा, पंजाब।

(3) आकाश ट्रैवल्स का टी० डी० मलहोत्रा, नकोदर रोड़, जलन्धर, पंजाब।

(4) इन्टरकांटिनेंटल ट्रैवल्स का व्हारादीन आर्य, कनाट प्लस, नई दिल्ली।

2. अब तक की गई जांच पड़ताल से उपरोक्त ट्रैवल एजेन्टों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं मिली है। व सरकार द्वारा अनुमोदित ट्रैवल एजेन्टों की सूची में नहीं हैं।

"इण्डिया'ज प्लान्स कैननाट बी इम्प्लीमेन्टेड" शीर्षक से समाचार

***527. श्री रघूनन्दनलाल भाटिया :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 अक्तूबर, 1974 के अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र के दिल्ली संस्करण में "इंडियाज प्लान्स कैननाट बी इम्प्लीमेंटेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को धन के पुनर्वितरण के लिए भारत की योजनाओं के संबंध में दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के श्री प्रणव कुमार बर्धन द्वारा की गई टिप्पणियों की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) श्री बर्धन द्वारा व्यक्त विचारों का ब्यौरेवार अध्ययन किया जायेगा और पांचवीं योजना प्रारुप को अन्तिम रूप देते समय इसको ध्यान में रखा जायेगा।

लद्दाख का विकास

***528. श्री अशोक बाकूला :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली पंचवर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर राज्य में लद्दाख का चहुमुखी विकास करने की कोई व्यापक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) लद्दाख के लिए एक अलग पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसमें कृषि तथा उससे संम्बद्ध अन्य कार्यक्रमों, परिवहन संचार एवं बिजली को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। लद्दाख की पंचवर्षीय योजना के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि अस्थायी रूप से निर्धारित की गई है।

आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारणे सम्बन्धी योजना

*530. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री एस० एस० मुरुगनन्तम :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने की योजना बना रही है जिससे कि उन वस्तुओं का भी उसके अंतर्गत लिया जा सके जो इस समय इस प्रणाली के अन्तर्गत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो पुनरोक्षित योजना में कौन कौन सी विभिन्न आवश्यक वस्तुएं सम्मिलित की जानी हैं; और

(ग) क्या अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को योजना के अन्तगत लाने की वचनबद्धता अतिरिक्त ग्रामीण को भी नई योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तुओं तथा बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुओं से संबंधित समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के प्रश्न की जांच इस उद्देश्य से की है कि उसमें कुछ और आवश्यक वस्तुएं शामिल की जाए। उसने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*531. **श्री बेकारिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान कितने राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप पर मुकदमें चलाए गए ; और

(ख) उक्त प्रकार के मामलों की संख्या घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) वर्ष 1973 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में 65 राजपत्रित अधिकारियों तथा 263 अराजपत्रित अधिकारियों पर मुकदमें चलाए गए थे।

(ख) भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को तेज करने की दृष्टि से, केन्द्रीय जांच ब्यूरों और साथ ही मंत्रालयों में सतर्कता संगठनों को भी मजबूत बनाया गया है।

सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम भी तैयार किया जाता है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। इसके अन्तर्गत कुछ संवेदनशील (सेनसिटिव) विभागों में आकस्मिक जांच तथा तेजी से कार्रवाई किया जाना भी शामिल है।

भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये आचरण तथा अनुशासनिक नियमों को भी क्रमशः वर्ष 1964 तथा 1965 में संशोधित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर तथा छोटे उद्योग

*532. **श्री भगत राम राजा राम मनहर :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर तथा छोटे उद्योगों का जाल बिछाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जाएगी; और

(ख) इन उद्योगों से सम्बद्ध आदिवासियों को कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने तथा वस्तुओं के विक्रय के लिए व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में जनजातियो के सघन क्षेत्रों में भौगोलिक तथा प्रशासकीय दृष्टि से सुक्षम स्थानों के लिए उपयोजनायें बनाने का प्रस्ताव है जिनके निम्नलिखित उद्देश्यों होंगे (क) जनजाति तथा अन्य क्षेत्र के निवासियों के अंतर को कम करना (ख) जनजाति समुदाय के जीवन में सुधार लाना (ग) शेष समाज से जनजातियों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक भावनात्मक एकीकरण। राज्य सरकार अपनी योजना तथा गैर योजना स्त्रोतों से पर्याप्त धन पूर्व निर्धारित करती है तथा तत्पश्चात उप योजनाओं में अत्यावश्यक कार्यों का पता लगाये जाने पर अतिरिक्त धनराशी आबंटित करती है। पांचवीं योजना के लिए जनजाति क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। योजना के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही मध्य प्रदेश जनजाति क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण संबंधी विवरण का पता चलेगा।

स्वर्गीय सेनापति बापत के सम्मान में डाक टिकट

*533. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें स्वर्गीय सेनापति बापत के जो भारत के एक महान क्रान्तिकारी थे, सम्मान में डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त डाक टिकट वर्ष समाप्त होने से पूर्व जारी कर दिये जाएगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) फिलाटली सलाहकार समिति की सिफारिशों पर यह फैसला किया गया है कि स्व० सेनापति बापत की 10 वीं बरसी के अवसर पर वर्ष 1977 में एक डाक टिकट जारी किया जाए।

उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कटौती लागू करना

*534. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कटौती लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कटौती का किन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा और कितना ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विद्युत की कमी के कारण. इस समय निम्नलिखित राज्यों में विद्युत की खपत पर कटौतियां / प्रतिबन्ध लागू हैं :

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश

3. जम्मू और काश्मीर
4. पंजाब
5. उत्तर प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. आन्ध्र प्रदेश
8. कर्नाटक
9. तमिल नाडु
10. उड़ीसा
11. पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में आवश्यकता, उपलब्धता और कमी की मात्रा मिलियन यूनिट/दिन में दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आवश्यकता, उपलब्धता और कमी की मात्रा मिलियन यूनिट/दिन

क्र० सं०	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1.	हरियाणा	7.00	4.15	2.85
2.	हिमाचल प्रदेश .	1.05	0.87	0.18
3.	जम्मू और काश्मीर . .	1.30	0.90	0.40
4.	पंजाब .	7.30	5.01	2.29
5.	उत्तर प्रदेश	26.30	20.50	5.80
6.	महाराष्ट्र	33.50	28.00	5.50
7.	आंध्र प्रदेश	11.58	10.11	1.47
8.	कर्नाटक	16.76	12.91	3.85
9.	तमिल नाडु	22.81	19.83	2.98
10.	उड़ीसा .	6.18	5.94	0.24
11.	पश्चिम बंगाल	13.20	12.50	0.70

'बोहरा' पुरुषों और महिलाओं का विवाह

4930. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बहुत से बोहरा पुरुषों और महिलाओं ने विवाह के लिए प्रधान मंत्री का व्यक्तिगत हस्तक्षेप चाहा है जिसके लिए उनके धार्मिक मुखिया की ओर से धार्मिक अनुमति नहीं दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस संबंध में प्रधान मंत्री को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) सरकार के लिए ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है जो कि बोहरा समुदाय के अंदरुनी मामले हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को सुविधाएं

4931. श्री एम० एस० पूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को क्या-क्या मुख्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : •राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है :—

(1) आने जाने का प्रथम श्रेणी का रेल किराया। यह सुविधा अवयस्क और युवा महिला पुरस्कार विजेताओं के अनुरक्षकों को भी प्रदान की जाती है।

(2) पुरस्कार वितरण समारोह के अवलोकनार्थ निमंत्रण।

तथापि, दी जाने वाली सुविधाओं पर पुर्नविलोकन हो रहा है।

योजना आयोग में नैमित्तिक श्रमिक

4932. श्री सूरज पांडे : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में इस समय कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं ;

(ख) उनकी मासिक मजूरी क्या है ;

(ग) उन्हें नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में रखने पर सरकार ने कितनी राशि बचायी हैं ; और

(घ) उनके 8 घंटे के कार्य के माध्यम से सरकार का कितना कार्य निष्पादित होता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस समय 26 नैमित्तिक श्रमिक हैं।

(ख) एक नैमित्तिक श्रमिक को पांच रुपए प्रति दिन दिए जाते हैं अत: उसकी मासिक मजूरी उसके कार्य करने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है।

(ग) लगभग 160 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की बचत होती है।

(घ) नैमित्तिक श्रमिको के पास इन 8 घंटों के दौरान पूरा कार्य होता है।

उड़ीसा में 'थोरियम' के निक्षेप

4933. श्री एम० कतामुतु :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 'थोरियम' के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है और इसे निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इस विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के परिणामस्वरुप खनिजो के बड़े भंडारों का पता चला है तथा इन खनिजों में मोनाजाइट भी शामिल है जिसमें थोरियम मिला होता है। ये भण्डार छतरपुर के समुद्र तट पर तथा गंजम के समुद्र तट पर गोपालपुर और इकासिंगी के बीच स्थित हैं। इस क्षेत्र में खनिज निकालने के प्रश्न पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए श्री कल्याण कुमार बसु के विरूद्ध जांच

4934. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कल्याण कुमार बसु के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमो के कथित उल्लंघन के लिए जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० इण्डस्ट्रीयल वर्कर्ज को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट जारी करना

4935. श्री भोला मांझी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रीयल वर्कर्ज कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के कुल कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या उक्त सोसाइटी के सभी सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ सदस्यो को ऐसे शेयर सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं जो उनके प्रदत्त शेयरों से अधिक राशि के हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 12-12-74 तक 700 सदस्य बने थ।

(ख) वर्तमान प्रबंध समिति ने उनके बारेमें शेयर सर्टिफिकेट तैयार किए है जो 30-6-1973 तक सदस्य बने थे। ये शेयर सर्टिफिकेट अधिकांश सदस्यो को दिये जा चुके हैं। अभी थोडे ऐसे सदस्य हैं जो बाकीदार होने के कारण शेयर सर्टिफिकेट लेने नहीं आए और उनके शेयर सर्टिफिकेट सोसायटी के कार्यालय में पड़े हुए हैं।

(ग) जी नहीं। सोसायटी की वर्तमान प्रबन्ध समिति ने 30-6-1973 तक खाते (लेजर) में लिखे शेयरों को ध्यान में रखकर शेयर सर्टिफिकेट दिये हैं।

भारी इन्जीनियरी निगम के अधिकारियों के वेतन और महंगाई भत्ता क्रमों का पुनर्गठन

4936. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम के लगभग 1800 अधिकारियों में हाल ही में घोषित पुनरीक्षित वेतन तथा महंगाई भत्ते के क्रमों पर घोर असंतोष है क्योंकि वह प्रबंधकों द्वारा बार-बार की गई घोषणाओं से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों का यह निर्णय तृतीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों से भिन्न है; और

(ग) वेतन तथा महंगाई भत्ता-क्रमों का पुनर्गठन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यद्यपि भारी इंजीनियरी निगम द्वारा अपने कार्यकारियों के लिए हाल ही में घोषित किए गए वेतनमान केन्द्रीय सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपने अधिकारियों के लिए स्वीकृत वेतनमानों की तुलना में ठीक है, लेकिन इन दो वेतनमानों और भत्तों के बीच और उनके कार्यान्वयन में निम्नलिखित अन्तर है :—

(1) भारी इंजीनियरी निगम के अधिकारियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ते से भिन्न है। अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ढांचा केन्द्रीय सरकार के ढांचे पर नहीं है। सरकार और भा० इं० नि० से महंगाई भत्ते की सही–सही तुलना करना भी कठिन है क्योंकि उनका ढांचा अलग-अलग है।

(2) भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकारी अधिकारियों के मामले में संशोधित वेतनमान 1–1–74 से लागू किए गए हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों के मामले में 1–1–73 से लागू किए गए हैं। यह इसलिए किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारियों के मामले में भी वेतनमानों का संशोधन उसी तिथि अर्थात् 1–1–74 से किया गया है।

(3) केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में वेतनमानों में संशोधन से होने वाले लाभ को अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों से छूट प्राप्त है, जबकि भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकारी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हैं।

सरकार ने उचित विचार विमर्श के पश्चात अन्य लोगों के साथ-साथ भारी इंजीनियरी निगम के अधिकारियों के वेतनमानों तथा भत्तों की स्वीकृत किया है। सरकारी क्षेत्र के एककों में काम कर रहे अधिकारियों को वेतन और भत्तों के मामले में केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर नहीं किया जा सकता है और केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तें स्वाभाविक रूप मे भारी इंजीनियरी निगम के कर्मचारियों तक नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। किन्तु तीसरे वेतन आयोग में संशोधन के मूल सिद्धान्त सम्भाव्य सीमा तक भारी इंजीनियरी निगम के संशोधित वेतनमानों के मामले में ध्यान में रखे गये है। भारी इंजीनियरी निगम के अधिकारियों के वेतन और भत्तो को और आगे पुनर्गठित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Installation of High Power Transmitters at Patna Broadcasting Centre

4937. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the broadcasts from Patna are not received on transistors and radics in Delhi ;

(b) if so; whether weak transmitters have been installed at Patna broadcasting centre; and

(c) if so, whether Government propose to instal high-power transmitters there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The medium-wave transimitter of All India Radio at Patna is meant to provide coverage to areas in Bihar ; its broadcasts are not intended to serve Delhi ;

(b) & (c) No, Sir. The transmitter installed is powerful enough to provide primary coverage to a large area of Bihar. There is, however, a proposal in the draft Fifth Plan to increase the power of the existing transmitter for further improving the coverage in Bihar.

राजस्थान मे सहायक उद्योगों की स्थापना

4938. **श्री श्रीकिशन मोदी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में प्रत्येक उदयोग के निकट शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर इंजीनियरो, को नौकरी देने के लिये सहायक उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) राजस्थान में बेरोजगार व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) सरकार की स्विकृत, नीति.राजस्थान समेत सारे देश में प्रत्येक उद्योग के आस–पास जहां कोई भी संभव हो सहायक उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन देना है। इंजीनियरी स्नातकों को विशेष सुविधाएं/प्रोत्साहन जैसे कच्चे माल पुर्जे और अतिरिक्त हिस्सो के आयात में तरजीह देना और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० से किराये-खरीद पर मशीनों की खरीद के लिए रियायती दर पर व्याज आदि मिलते हैं।

(ख) सितम्बर, 1974 के अन्त तक राजस्थान के रोजगार कार्यालयो में पंजीकृत रोजगार तलाश करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 2,05,725 थी।

कोयला खान प्राधिकरण का कोयले की प्राप्ति का मूल्य

4939. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण का पांचवीं योजना के अंत तक लगभग 14 करोड़ टन कोयले के तेल के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिय कौन सी विशिष्ट योजना तैयार की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) इस समय कोयला उद्योग पांचवी योजना के 1350 लाख टन लक्ष्य को 1978–79 तक प्राप्ति करने के लिये प्रयत्नशील है। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटड ने पांचवों योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 1010 लाख टन कोयला उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया है। ये उत्पादन वर्तमान खानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण तथा कई नई खानें खोल कर प्राप्त किया जायेगा। नयी खानों से लगभग 205 लाख टन कोयला उत्पादन होने की आशा है। शेष उत्पादन वर्तमान खानों तथा उनके विस्तार से प्राप्त होगा।

Electrification of Village in M. P. during current year

4940. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of villages in Madhya Pradesh already covered by the Rural Electrification Programme during the current year ; and

(b) the number of villages in that State yet to be electrified and the action Government have taken in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) There are 70,414 villages in Madhya Pradesh. 10,703 villages had been electrified upto 31-3-1974. 200 additional villages were electrified during the period from 1-4-1974 to 31-10-1974. 59,511 villages still remain to be electrified.

The size and content of the Fifth Plan has not yet been determined. However, an outlay of Rs. 75 crores (Rs. 20 crores in the normal State Plan and Rs. 55 crores under the Minimum Needs Programme) has been proposed in the draft Fifth Plan for Rural Electrification in Madhya Pradesh. Additive finance would also be provided by the Rural Electrification Corporation Ltd., a Public Sector Undertaking which has been set-up in the Central Sector.

झलवाड जिले (राजस्थान) का विकास

4941. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झलवाड़ को राजस्थान का आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किये जाने के बाद से इस के विकास में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या इस जिले में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये कोई विशेष पग उठाये गये है ; और

(ग) क्या वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, रियायती ब्याज–दरो के रूप में प्रोत्साहन, राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखायें खोलना, इस जिले का तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण करना तथा इसे रेलवे लाइनों से जोड़ना आदि कार्य करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) इस प्रकार का कोई भी मूल्यांकन अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। किन्तु जहां तक औद्योगिक विकास संबंधी स्थिति का संबंध है जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या तथा झलवाड़ जिले में पंजीयित लघु उद्योग एककों की संख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी से किसी प्रकार की गिरावट का पता नहीं चलता है। जनवरी से अक्तूबर, 1974 की अवधि में झालावाड़ जिलो में उद्योग स्थापित

करने के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं जबकि 1971–73 की अवधि में कोई भी आशय पत्र जारी नहीं किया गया था। पंजीकृत लघु उद्योग एककों की संख्या जो 1971 में 146 थी, 1973 में बढ़कर 212 हो गई है।

(ख) और (ग) वित्त संस्थाओ की रियायती वित्त योजना के अन्तर्गत झालावाड़ जिले को पहले ही पिछडा जिला माना लिया है। इस योजना के अनुसार भारत के औद्योगिक विकास बैंक भारत के औद्योगिक वित्त निगम और भारत के औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम द्वारा औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए कम ब्याज और आसान शर्तों जैसे मूलधन की अदायगी की पहली किश्त की अवधि बढ़ाना; ऋण वापसी की अवधि लम्बी करना; सामान्य सेवा प्रभारों को कम करना आदि पर वित्तीय सहायता दी जाती है। जिला झालावाड़ को पांचवीं योजना अवधि के ग्रामीण उद्योग परियोजना के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शामिल कर लिया गया है। कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने आदि सहित इस नई योजना के प्रारम्भिक कार्य 1972–73 से ही शुरु कर दिए गए हैं। जहां तक पांचवीं योजना में चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने संबंधी प्रस्ताविक कदम उठाने का संबंध है उनके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

वर्ष 1975–76 के लिए राजस्थान के लिए वार्षिक योजना

4942. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य के लिए वर्ष 1975–76 के लिए वार्षिक योजना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रुपरेखा क्या है तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक सेवाओं के संबंध में प्रस्तावित कुल परिव्यय तथा उसका ब्यौरा क्या है और उसके अन्तर्गत उन के किन-किन लक्ष्यो पर विचार किया गया है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग का निर्णय प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) योजना प्रारुप विचाराधीन है।

विवरण

राजस्थान की वार्षिक योजना 1975–76 की मुख्य बातें

(1) राज्य सरकार ने 98.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है जिसमें निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 16.99 करोड़ रुपये; ग्रामीण विजलीकरण (2 करोड़ रुपये); ग्रामीण सड़कें; (2.62 करोड़ रुपये) ; प्राथमिक शिक्षा (5.25 करोड़ रुपये) ; जन स्वास्थ केन्द्र (95 लाख रुपये) ; ग्रामीण जल पूर्ति (5.58 करोड़ रुपये); गन्दी बस्तियों का सुधार (4 लाख रुपये); भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था (4 लाख रुपये) ; गन्दी विस्तियों का सुधार (30 लाख रुपये) और पोषाहार (25 लाख रुपये) शामिल हैं।

(2) राजस्थान नहर परियोजना के लिए राज्य योजना में 11 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(3) विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रावधान 98.50 करोड़ रुपये है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

	(करोड़ रुपये)
सहकारिता समेत कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	10.65
जल और बिजली विकास	53.34
उद्योग और खनिज	4.58
परिवहन और संचार	7.35
समाज और सामुदायिक सेवायें	22.11
आर्थिक सेवाएं	0.22
सामान्य सेवायें	0.25
जोड़ .	98.50

(4) वर्ष 1975-76 में परिकल्पित मुख्य भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

	एकक	लक्ष्य
खाद्यान्न उत्पादन (स्तर)	लाख मी० टन	75.00
तिलहन (स्तर)	लाख मी० टन	4.35
कपास (फाहा) (स्तर)	लाख गाठें	3.35
रासायनिक उर्वरकों की खपत :—		
(1) नेत्रजनीय एन के रूप में (स्तर) . .	लाख मी० टन	1.16
(2) फासफटिक पी$_2$ ओ$_5$; के रूप में (स्तर) .	लाख मी० टन	0.24
(3) पोटासिक के$_2$ ओ के रूप में (स्तर)	लाख मी० टन	0.07
सुधरे बीज (स्तर) ,	लाख हैक्टेयर	1495
उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का कार्यक्रम—		
बीज उत्पादन के अन्तर्गत (स्तर) . .	हैक्टेयर	11850
बिजली—		
स्थापित क्षमता	एम० डब्ल्यू० संचित	785.53
बिजलीकृत गांव	सं० —वही—	7935
पम्प सेंट/नलकूप बिजली लगाई गई . .	सं० —वही—	98500
सड़कें	किलोमीटर	620
शिक्षा—		
स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता—		
प्राथमिक —आयुवर्ग 6—11 के अन्तर्गत . .	प्रतिशतता	61.55
आयुवर्ग 11—14 के अन्तर्गत . .	प्रतिशतता	29.26
रोगी शय्याएं	संख्या (संचित)	15375
ग्रामीण पाइप वाली जल पूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत गांव .	संख्या	2680

गोआ की सीमेन्ट की मांग और सप्लाई की गई मात्रा

4943. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की सीमेन्ट की वार्षिक अनुमानित मांग क्या है ; और

(ख) गत कोटे में से गोआ को कितनी मात्रा में सीमेन्ट सप्लाई किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लगभग 66,000 मी० टन ।

(ख) जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक की अवधि के लिए सीमेंट राज्य वार कोटे पहली बार नियत किए गए हैं । इस अवधि के लिए गोआ का निर्धारित कोटा 64,000 मी० टन था । परंतु अपर्याप्त उत्पादन के कारण, तिमाही नियतन में कटौती कर दी गई थी और इस प्रकार उक्त अवधि का कारंगार कोटा घटकर 58,550 रह गया था । इस घटे हुए कोटे में से उक्त अवधि में गोआ को 46,000 मी० टन सीमेंट दिया गया था ।

Production of Cream, Powder, Shoes, Air Conditioners and Coolers

4944. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state the production of cream, powder and shoes, air-conditioners and coolers during the last three years year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : The production of Cream, Powder, Shoes, Air-conditioners and Coolers during the last three years is as under :

	1971	1972	1973
1. Face Cream	1091 tonnes (Rs. 370 lakhs)	1256 tonnes (Rs. 417 lakhs)	1361 tonnes (Rs. 542 lakhs)
2. Talc/Face Powder	3617 tonnes (Rs. 335 lakhs)	5373 (Rs. 660 lakhs)	6359 tonnes (Rs. 1007 lakhs)
3. Leather Shoes (Organised Sector)	8.35 million pairs (Rs. 1223 lakhs)	7.52 million pairs (Rs. 1178 lakhs)	7.31 million pairs (Rs. 1267 lakhs)
4. Air-conditioners	22252 Nos. (Rs. 594.39 lakhs)	25127 Nos. (Rs. 695.56 lakhs)	23607 Nos. (Rs. 649.90 lakhs)
5. Coolers	5167 Nos.	6390 Nos.	5209 Nos.

वार्षिक विवरणियां न प्रस्तुत करने के कारण समाचार पत्र प्रकाशकों पर मुकदमे चलाना

4945. श्री डी० पी० बर्जा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक विवरणियां न प्रस्तुत करने के कारण समाचार-पत्र प्रकाशकों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1973-74 के दौरान किन-किन समाचार-पत्र प्रकाशकों पर मुकदमे चलाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-8797/74]**

टायरों की किस्म

4946. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल, स्कूटर और ट्रक आदि के काम में लाये जाने वाले टायरों का मूल्य बढ़ाये जाने के बावजूद टायरों की किस्म में तेजी से गिरावट आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो टायरों की स्टैन्डर्ड किस्म सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) टायरों की किस्म घटिया होने के बारे में कुछ आम शिकायतें मिली हैं। टायर उद्योग के साथ इस मामले में बात-चीत की जा रही है ।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को राजनैतिक पीड़ित पेन्शन के लाभ देना

4947. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के कुछ उन सैनिकों को राजनैतिक पीड़ित समझा गया है तथा उन में उनकी गणना की गई है जिनको आजाद हिन्द फौज समाप्त हो जाने के बाद सरकार ने भूत-पूर्व सैनिकों के लाभ दिये हैं तथा नौकरियां दी हैं तथा सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन दी हैं ;

(ख) क्या 15 अगस्त, 1972 बाद से उन को दुगनी पेंशन मिल रही है जबकि वह जीवन यापन भली प्रकार से कर रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं क्या इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज अथवा सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों सहित वे स्वतंत्रता सेनानी जो सरकारी सेवा में है अथवा थे, उस समय जब सारे स्रोतों से उनकी वार्षिक आय 5000/- रुपये से कम हो जाती है, पेंशन स्वीकृति के पात्र होंगे यदि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों ।

Jobs for Educated Unemployed in Madhya Pradesh

4948. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the funds allocated to Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74 for implementing the schemes for providing jobs to educated unemployed ; and

(b) the funds spend so far out of the funds allocated during 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The funds allocated to the Government of Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74 for implementing the schemes for providing jobs to educated unemployed are given below programme-wise :

(Rs. lakhs)

	Funds allocated	
	1972—73	1973—74
1. Programme for Educated Unemployed . .	510.68	531.89
2. Special Employment Programme for States and Union Territories	204.00	173.78
3. Half-a-Million Jobs Programme .	Programme not in operation in 72-73	257.15

(b) The amounts spent by the State Government upto the end of March, 1974 out of the funds released in 1973-74 programme-wise are as follows :

	Amounts spent upto the end of March, 1974 (Rs. lakhs)
1. Special Employment Programme for States and Union Territories.	219.55* (Out of Rs. 173.78 lakhs released)
2. Half-a-million Jobs Programme	82.72@ (Out of Rs. 100 lakhs released)
3. Programme for Educated Unemployed	Not available.

नये सीमेन्ट सयन्त्र को स्थापित करने का लागत व्यय

4949. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 की तुलना में इस समय 1200 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले नये सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लागत–व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) पांचवी योजना में निर्धारित अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नये संयंत्रों की स्थापना करने अथवा कुछ वर्तमान एककों में व्यापक रूप से विस्तार करने के लिए कुल कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि इस राशि में से 25 से 40 प्रतिशत राशि को संयंत्र संबंधी सन्तुलनकारी उपकरणों पर और पुराने कारखानों में सुधार करने पर खर्च करने से वर्तमान सीमेंट संयंत्रों से हो 15 से 30 प्रतिशत उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

*This also included the State's own matching contribution.

@The balance of Rs. 17.28 lakhs has been utilized by the State in 1974-75 on spill-over schemes of the Half-a-Million Jobs Programme.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1964 की तुलना में सीमेंट के एक संयंत्र की स्थापना करने में क्षमता में पूंजोकृत लागत में अब लगभग 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन वार्षिक की वृद्धि हो गई है। किन्तु विस्तार के प्रकरणों में यह कुछ कम है।

(ख) लगभग 585 रुपये।

(ग) और (घ) विद्यमान एककों में उत्पादन अधिकतम करने की दृष्टि से एक गैरसरकारी परामर्शदाता फर्म ने सीमेंट उद्योग का एक केस अध्ययन किया था जिसके फलस्वरूप पता चला है कि निर्धारित क्षमता में हो 25 से 40 प्रतिशत धनराशि व्यय करने से नये संयंत्रों की अधिष्ठापना अथवा भारी विस्तार करने की अपेक्षा 15 से 30 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। यह अध्ययन सीमेंट की भीगी (वैट) प्रक्रिया तथा शुष्क प्रक्रिया दोनों प्रकार संयंत्रों के बारे में किया गया है। सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया के तत्वावधान में होने वाली तीन दिवसीय संगोष्ठि में एक पेपर द्वारा इस अध्ययन के परिणाम प्रस्तुत किये गये थे। चूंकि अध्ययन में वह विशेष एकक जिसमें बहुत कम निवेश से इस प्रकार का परिवर्तन करके अथवा विद्यमान संयंत्रों में सन्तुलनकारी उपकरणों की व्यवस्था करके अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था, सीमेंट उद्योग के पैनल ने यह निश्चय किया है कि सभी सीमेंट निर्माताओं से अनुरोध किया जाये कि वे अपने विद्यमान एककों में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का परीक्षण करें।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धनराशियों का दुर्विनियोग

4950. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धनराशियों के गबन दुर्विनियोग एवं दुरुपयोग का पता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग में श्रेणी 1 के वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती नियम

4951. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में श्रेणी 1 के वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती नियमों को अन्तिम रूप कार्मिक विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से दिया गया था;

(ख) क्या नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं अनुभव, आदि से रहित हैं?

(ग) तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति किन किन पदों पर हैं; वे किन स्थितियों से उन मदों पर हैं और क्या वे नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव से युक्त हैं;

(घ) क्या नियमों में तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि के अनुरूप संशोधन किया जा रहा है; और

(ङ) क्या यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंजूर नियम अधिसूचित किए जाएं और उनके अनुसार ही नियमित नियुक्तियां की जाएं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भर्ती नियमों के अधिसूचित होने के बाद नियमित नियुक्तियां होने तक निम्नलिखित पद इस समय तदर्थ आधार पर भरे हुए हैं।

क्र० सं०	तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों के नाम	तारीख जिससे इस पद पर नियुक्त है
1.	डा० एस० एम० कुरेशी,—निदेशक	8-3-1973
2.	डा० आर० डी० देशपांडे,—निदेशक	1-8-1974
3.	डा० (श्रीमती) रीना रामचन्द्रन्, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी .	28-6-1973
4.	श्री बी० के० जैन, कनिष्ठ प्रलेखीकरण अधिकारी . . .	2-5-1974

ये सब व्यक्ति अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव से युक्त हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भर्ती नियमों के अधिसूचित होते ही, इन मदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तैनात किए गए अधिकारियों को देय भत्ता

4952. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा अन्य स्थानों में आई० ए० एस० अधिकारियों को विशेष भत्ता मंजूर करने में अपनाई गई कसौटी क्या है;

(ख) आई० ए० एस० अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता मंजूर करने में अपनाई गई कसौटी क्या है;

(ग) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तैनात किये गये इंजीनियरों को विशेष तथा प्रतिनियुक्त भत्ता मंजूर करने के बारे में यही/इसी प्रकार की कसौटी अपनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्य श्रेणियों को विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाता है न कि प्रतिनियुक्ति भत्ता। विशेष भत्ते का आशय इन सुदूर द्वीपों में सेवा के लिए उपयुक्त कर्मचारी प्राप्त करने के लिए आकर्षण अथवा प्रोत्साहन देना है। जो व्यक्ति विशेष भत्ता लेते हैं वे प्रतिनियुक्ति भत्ते के पात्र नहीं हैं। अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में तैनात किये गये इंजोनियर भी इस प्रकार विशेष भत्ते के पात्र हैं। इंजोनियरों के मामले में भी यही मानदण्ड लागू होता है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले में गांवों का विद्युतीकरण

4953. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974–75 और 1975–76 के वर्षों में महाराष्ट्र के सांगली जिले में किन–किन गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रोनिक पुर्जों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना

4954. श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित जानकारी से इलैक्ट्रोनिक पुर्जों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक एकक स्थापित करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) उपरोक्त एकक की स्थापना नई दिल्ली में की जायेगी अथवा किसी अन्य महानगर क्षेत्र में ; और

(ग) यदि हां, तो बड़े शहरों में अत्याधिक भीड़भाड़ तथा औद्योगिक केन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुये, इसके लिये महानगर क्षेत्र चुने जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स लि० की स्थापना विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम के रूप में जून, 1974 में की गई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों के उत्पादक एकक को केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स लि० द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जा रहा है ; मृदु फेराइट, घट(पॉट) क्रोड, स्मृति क्रोड सिरेमिक संधारित्र और दूसरे इलैक्ट्रानिक पुर्जे कम्पनी के निर्माण कार्यक्रम में शामिल है। कुल उत्पादों के 1975–76 तक बाजार में आ जाने की संभावना है।

(ख) फैक्टरी को नई दिल्ली या किसी अन्य महानगर क्षेत्र में स्थापित करने का कोई विचार नही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनता ट्रक यूनियन, मोगा (पंजाब) की ओर से अभ्यावेदन

4955. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ट्रक चालकों के एक गुट द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों पर किये गये घातक हमले के बारे में जनता ट्रक यूनियन, मोगा (पंजाब) से अक्तूबर, 1974 में कोई अभ्यावेदन मला था;

(ख) यदि हां तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने भी इस मामले को केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से उच्च-स्तरीय जांच कराने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभ्यावेदन का मूलपाठ संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–8798/74]**

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सूची के विषय होने के कारण इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है।

Recognition of Jogi Caste as a Backward Class

4956. **Shri P. M. Sayeed** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the State Governments which have recognised 'Jogi' caste, a backward and economical poor section, as a backward class

(b) whether State Governments have recently been given any directions by Government of India for the uplift of backward classes and if so, the main features thereof ;

(c) the amount provided by Government for their uplift in 1973-74 and 1974-75 ;

(d) the extent to which State Governments have succeeded in the uplift of persons belonging to 'Jogi' caste ; and

(e) whether Central Government propose to take over the work of upliftment of Jogi caste in view its presence in various States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Jogies are treated as an Other Backward Class in the States of Bihar, Haryana, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. In Himachal Pradesh they are treated as Scheduled Caste in the area which formed part of the former Union Territory and as an Other Backward Class in the areas transferred from the former Punjab State.

(b) No, Sir.

(c) & (d) During 1973-74, a sum of Rs. 1187.46 lakhs was allocated for the Centrally Sponsored Programmes in the Backward Classes Sector of the IV Plan and Rs. 2816.46 lakhs in the State Sector. During 1974-75 the tentative outlays are Rs. 1960.84 lakhs for the Centrally Sponsored Programmes and Rs. 2549.00 lakhs for the State Sector Programmes.

The programmes are intended for the benefit of people belonging to Backward Classes and not for any particular caste.

(e) No, Sir.

बड़े औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार और पूंजी निवेश

4957. **डा० के० एल० राव** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले बड़े औद्योगिक उपक्रमों में अनुमानतः कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है और कितनी पूंजी लगी है ;

(ख) अब तक कौन से महत्वपूर्ण श्रम प्रधान उद्योग स्थापित किए गए है तथा कितने उक्त उद्योगों में श्रमिकों को लगाया गया है; और

(ग) अब प्रतिवर्ष उद्योग में कितने लोगों को रोजगार देने को क्षमता के लक्ष है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 70 करोड़ रु० से अधिक को लागत वाले बड़े अलग औद्योगिक उद्योगों में रोजगार संबंधो, आंकड़े अलग अलग उपलब्ध नहीं है। मध्यम तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अर्थात् 7.5 लाख रुपये से अधिक के पूंजो निवेश वाले कारखानों में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1970 (गणना क्षेत्र) को उपलब्ध अग्रिम सूचना से पता चलता है कि 10259.76 करोड़ रु० को उत्पादनशोल पूंजोनिवेश वालो इस प्रकार को 4617 फैक्टरियों में 3,317,918 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

(ख) और (ग) योजना निवेश से संबंधित सरकारो नोति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभप्रद रोजगार के अवसरों का सृजन है। चूंकि केवल वेतनवाले रोजगार से ही स्थिति का पूरी तरह सामना नहीं किया जा सकता जहां तक संभव है रोजगार के और अधिक अवसर, विशेषकर कृषि लघु उद्योग सेवाओं, वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्र में बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामोण विकास को विशेष योजनाओं यथा छोटे किसान विकास अभिकरण द्वारा प्रशासित कार्यक्रम, सूखा क्षेत्रों के कार्यक्रम, ग्रामोण नियोजन के द्रुतगामो कार्यक्रम, तथा ग्रामीणोद्योग परियोजनाओं आदि में भो रोजगार को काफी संभावनाएं हैं। रोजगार तथा अल्पनियोजन (अन्डर एम्लायमेंट) के संबंध में उपयुक्त परिभाषा के बारे में मतवैभिन्न के कारण पांचवीं योजना के प्रारूप में यह कहा गया है कि योजना गत कार्यक्रमों के कार्यान्वियन से सम्भावित अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को संतोषप्रद ढंग से आंकना संभव नहीं है अतएव सरकार ने उद्योगों में प्रतिवर्ष खपाए जाने वाले व्यक्तियों के रोजगार के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया है।

उड़ीसा की सीमेन्ट की मांग और सप्लाई

4958. श्री पी० गंगादेव : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को सोमेंट की वार्षिक अनुमानित मांग क्या है;

(ख) गत कोटे में से उड़ीसा को कितना सोमेंट सप्लाई किया गया;

(ग) वास्तव में सप्लाई को गई सोमेंट की मात्रा औसत अनुमान से कितनो कम है; और

(घ) क्या सरकार इस कमो को पूरा करेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) करीब 2.56 लाख मी० टन।

(ख) से (घ) 1 जूलाई 1973 से 30 जून, 1974 तक के लिये राज्यवार कोटे पहलो बार निर्धारित किए गए थे। उक्त अवधि के लिए उडीसा राज्य के लिए 2.56 लाख मो० टन का कोटा निर्धारित किया गया था। इस कोटे में से उक्त अवधि में वास्तव में 2.49 लाख मो० टन का सम्भरण किया गया था। कोटे में से करीब 2.5 प्रतिशत कम सम्भरण हुआ। उपलब्धता और उत्पादन में वृद्धि हो जाने पर भविष्य में राज्य को बढ़ा कर कोटा देने और जुलाई 1973 से जून 1974 को अवधि को कम सप्लाई को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा।

फूलपुर उर्वरक संयंत्र

4959. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फूलपुर उर्वरक संयंत्र में 25 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या संयंत्र का शिलान्यास प्रधान मंत्री ने जनवरी में किया था ;

(ग) क्या संयंत्र की अनुमानित लागत में संशोधन किया गया है और यदि हां, तो कितना; और

(घ) क्या संयंत्र का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी सोसायटी ने वर्तमान मूल्य स्तर पर 121.5 करोड़ रुपये की लागत आंकी है, जो परियोजनाओं की लागत का हिसाब लगाने की वर्तमान प्रणाली है। तथापि, विश्व बैंक, जिसने संयंत्र के विदेशी मुद्रा भाग के लिए धन देना है, ने अपने अनुभव के आधार पर संभाव्य भावी मूल्य वृद्धि और आकस्मिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए 165.5 करोड़ रुपये की लागत आंकि है। स्पष्ट स्थिति संयंत्र तथा उपकरणों के लिए प्रतियोगी टेंडर प्राप्त होने और उनका मूल्यांकन किये जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

(घ) भूमि लेने और इंजीनियरी परामर्शदायी ठेके देने के लिए टेंडर मंगाने के बारे में प्रारम्भिक कार्य शुरु किया जा चुका है।

Amenities for Shri Mohammed Din and Shri Ghulam Din who were awarded President's Medals

4960. Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the various types of amenities announced for Shri Mohammed Din and Shri Ghulam Din of Jammu and Kashmir who had been awarded President's Medal for patriotism after 1965 Indo-Pak war ; and

(b) whether Government will indicate as to how these patriots are leading their lives today ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Shri Mohammed Din was given Padma Shri Award on 26th January, 1966. No special amenities or privileges are attached to this award. However, recipients of the award are generally invited by the State Governments to State or formal functions organised by them. A cash reward of Rs. 5,000 was specially given to Shri Mohammed Din by the Government of Jammu and Kashmir in 1965 in appreciation of his services.

Shri Ghulam Din was awarded Ashoka Chakra, Class III (now Shaurya Chakra) in 1966. A monetary grant of Rs. 15 per month was sanctioned to him for life with effect from 1st January, 1966 which was enhanced to Rs. 40 per month with effect from 1st January, 1972. No other amenities or privileges are extended by the Government of India to the recipients of Ashoka Chakra series of awards.

(b) The Government of India have no information regarding the present condition of these awardees.

देश में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस की गोलियों से मृत्यु

4961. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मरे?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : हरियाणा, मणिपुर, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूप, चंदीगड, लक्षद्वीप, पांडीचेरी तथा, अरुणाचल प्रदेश में 1971, 1972 1973 और 1974 (सितम्बर के अन्त तक) के वर्षों में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे इस अवधि में दिल्ली में पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणाम स्वरूप 3 व्यक्ति मारे गए। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना आनी है।

बेरोजगार वैज्ञानिकों के लिए रोजगार

4962. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो लाख से अधिक वैज्ञानिक बेरोजगार है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्गवार एवं राज्य–वार संख्या क्या है, और

(ग) उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दिनांक 30–12–73 को रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में रोजगार की तलाश में 2,26,000 स्नातक विज्ञान स्नातकोत्तर जिनमें से यह आवश्यक नहीं कि वे सब बेरोजगार थे, के नाम दर्ज थे।

(ख) विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-I) [**ग्रन्थालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 8799/74**]

(ग) भारत सरकार शिक्षित बेरोजगार की बेरोजगारी से संबंधित है जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल है। सरकार उनके लिये रोजगार के अवसर उन्नत करने के लिये निरंतर उपायों पर विचार कर रही है। इस दिशा में किये गये उपायों की एक सूची संलग्न है। (परिशिष्ट –II) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8799/74**]

वायदा व्यापार विनियम नियम के उल्लंघन के लिये जुर्माना में वृद्धि करना

4963. श्री गजाधर मांझी :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सट्टेबाजी और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गड़बड़ी के मामलों को रोकने के लिए कठोरता करने के उद्देश से वायदा व्यापार विनियमन नियम के उल्लंधन के लिए जुर्माने में वृद्धी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस अवस्था में जबकि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा बताना लोकहित में नहीं होगा।

100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का खतरें का भविष्य

4964. श्री बनमाली पटनायक :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री वसन्त साठे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश लागत में वृद्धी के कारण पांचवी योजना में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भविष्य कठिनाई में पड़ गया है ;

(ख) यदि हां तो कौन कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हुई है ? कौन-कौन सी परियोजनाएं पांचवी योजनावधी में पूरी होंगी और कितनी परियोजनाओं का काम छठी पंचवर्षीय योजना तक चलेगा ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि पांचवीं योजना में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भविष्य कठिनाई में पड़ गया है। मूल्य वृद्धि तथा तेल संकट के कारण बहुत सी परियोजनाओं को विनियोजन लागत में काफी वृद्धि होने की आशा है । कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओ के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन का आबंटन किया जा रहा है। नई परियोजनाओं के लिए, धन का आबंटन राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा।

बिहार को बिजली की सप्लाई

4965. श्री एन० ई० होरो :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को अपनी आवश्यकताओं के लिए कितने मेगावाट बिजली की जरुरत है और उसको कितने मेगावाट की सप्लाई हो रही है ;

(ख) कमी की पूर्ति किन परियोजनाओं से की जा रही है ; और

(ग) इस कमी की पूर्ति के लिए क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड (दामोदर घाटी निगम को छोड़कर) के सप्लाई क्षेत्र में इस समय लगभग 300 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है। यह मांग पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है और बिहार में विद्युत की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पन बिजली परियोजनाओं में विसर्जित जल का उपयोग

4966. श्री बी० वी० नायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनबिजली विसर्जित जल का इस देश में क्या क्या उपयोग है ; और

(ख) कौन कौन सी पनबिजली परियोजनाओं में विसर्जित जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जल-विद्युत केन्द्रों के टेल जल का कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, अधिक विद्युत उत्पादन, पीने और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई, ताप विद्युत केन्द्रों के शीतलन आदि के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) लगभग सभी जल-विद्युत परियोजनाओं के टेल जल का यथासम्भव रूप से सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

केरल हाईड्रोजनीकृत वनस्पति तेल तथा बाल आहार डीलर लाईसेन्सिंग आदेश, 1974

4967. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल-हाईड्रोजनीकृत वनस्पति तेल एवं बाल आहार डीलर लाईसेंसिंग आदेश 1974 जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की अनुमति प्रेषित करने में कोई विलम्ब है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार को अब उक्त आदेश जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Capital Investment in Small Scale Industries

4968. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether an increase has been made in the limit of capital investment in Small Scale Industries ; and

(b) if so, the amount by which an increase has been made and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma); (a) & (b) The Small Scale Industries Board at its 32nd meeting held on the 7th and 8th November, 1974 discussed among other things the question of revision of definition of small scale industries. In view of the steep increase in the prices of capital equipment and to allow the existing small industries to modernise their production processes and facilitate growth of new viable units in sophisticated lines of production, the Board recommended an upward revision of the monetary limit prescribed for small scale industries in the present definition. According to the recommendation enhancement of the limit of capital investment will be from Rs. 7.5 lakhs to Rs. 10.00 lakhs in the case of small scale industries and from Rs. 10.00 lakhs to Rs. 15.00 lakhs in the case of ancillary units. Final decision of the Government in this regard is, however, yet to be taken.

"पांच लाख रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत तमिल नाडु में रोजगार के अवसर पैदा करना

4969. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या योजना मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पांच लाख रोजगार कार्यक्रम' के अंतर्गत अब तक 3.30 लाख रोजगारअवसर उत्पन्न किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न किए गए हैं ; और

(ग) अन्य राज्यों में, राज्य-वार, कितने अवसर उत्पन्न किए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम जो 1973-74 में आरम्भ किया गया था, के अन्तर्गत मार्च, 1974 के अन्त तक 3.34 लाख रोजगारसर्जित किए गए थे।

(ख) तमिलनाडु में मार्च, 1974 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जित किए गए रोजगारों की संख्या 18,805 थी।

(ग) अन्य राज्यों में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जित किए गए रोजगार अनुबन्ध 'क' में दिए गए हैं।

विवरण

1973-74 के लिए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जित किए गए रोजगार के अवसर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सर्जित किया गया रोजगार (संख्या)
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	23,094
2. असम . . .	8,858
3. बिहार . . .	32,332
4. गुजरात	10,211
5. हरियाणा . .	7,523
6. हिमाचल प्रदेश	2,861

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सर्जित किया गया रोजगार (संख्या)
7. जम्मू तथा काश्मीर . . .	8,493
8. कर्नाटक . . .	14,091
9. केरल . .	16,006
10. मध्य प्रदेश . . .	16,299
11. महाराष्ट्र . .	29,596
12. मणिपुर . . .	392
13. मेघालय	622
14. नागालैण्ड	522
15. उड़ीसा	11,134
16. पंजाब	15,146
17. राजस्थान	19,941
18. तमिलनाडु	18,805
19. त्रिपुरा	1,713
20. उत्तर प्रदेश	44,811
21. पश्चिम बंगाल . . .	41,133
22. अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह . .	100
23. अरुणाचल प्रदेश . . .	..
24. चण्डीगढ़	213
25. दादरा और नागर हवेली . . .	57
26. दिल्ली	2,699
27. गोआ, दमन और दीव . . .	1,116
28. लक्षदीप	71
29. मिजोरम	103
30. पांडिचेरी	404

भारत में कोयले के अधिक उत्पादन के लिए सोवियत रूस द्वारा 'वाकिंग ड्रेग' का प्रस्ताव

4970. श्री वीरेन एंगती :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए "वाकिंग ड्रेग" लाईन्स का प्रस्ताव किया है;

(ख) उक्त प्रकार की कितनी मशीनें उपयोग लाई में जायेंगी और कहां कहां पर; और

(ग) उनका उपयोग कर के कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड की जरूरतों की अनुसार सोवियत रूस से सामान्य व्यापार-कार्यक्रमों के अधीन ड्रैगलाइनें प्राप्त की जा रही है। इस प्रकार की पांच मशीनों के बारे में पहले ही समझौता हो चुका है। नई 'ओपन कास्ट' खानों के लिए कुछ और मशीनों की जरूरत होगी जिनके लिए संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जिन पांच मशीनों के बारे में पहले समझौता हो चुका है, उन्हें कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की केन्द्रीय व पश्चिमी प्रभाग की उन चार नई 'ओपन कास्ट' खानों में लगाया जाएगा जिनकी अंतिम वार्षिक उत्पादन क्षमता 64 लाख टन होगी।

डाक-घरों का दर्जा बढ़ाने और नये डाक घर खोलने पर रोक

4971. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हितपरक पार्टियों द्वारा एन० आर० सी० के भुगतान के बावजूद डाकघरों का दर्जा बढ़ाने और नये डाकघर खोलने पर रोक लगाई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोक से पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को मुक्त रखा जायेगा?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाली लाइनें

4972. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1974-75 में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाली कितनी लाइनें चालू की जायेंगी और उनके स्टेशनों के नाम क्या हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : वर्ष 1974-75 में अभी तक निम्नलिखित छह एस० टी० डी० मार्गों को चालू किया जा चुका है और वर्ष की शेष अवधि में नीचे लिखे 19 मार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है :—

वर्ष 1974-75 के दौरान चालू किए गए एस० टी० डी० मार्ग :

1. दिल्ली—सोनीपत
2. मंगलूर—उदीपी
3. बेलगाम—हुबली
4. लुधियाना—जालंधर (लुधियाना से इकतरफा)
5. मद्रास—सिकंदराबाद
6. मद्रास—विजयवाड़ा

वर्ष 1974–75 की शेष अवधि में चालू किये जाने वाले प्रस्तावित एस० टी० डी० मार्ग :

1. नराक्कल–एर्नाकुलम
2. नराक्कल–कोट्टायम
3. नराक्कल–त्रिवेंद्रम
4. छेहार्टा–दिल्ली
5. छहार्टा–जालंधर
6. दिल्ली–सहारनपुर
7. दिल्ली–अलवर
8. आसनसोल–दुर्गापुर
9. पटना–छपरा
10. वास्को–पणजिम
11. बेलगाम–पणजिम
12. हैदराबाद–बम्बई (हैदराबाद से इकतरफा)
13. आसनसोल ग्रुप के एक्सचेंजों के बीच ग्रुप डायलिंग (एक भाग चालू कर दिया गया है और बाकी भाग के मार्च 1975 से पहले पूरा होने की संभावना है)
14. जयपुर–आगरा
15. मदुरै–बंगलूर
16. बम्बई–नासिक (नासिक से इकतरफा)
17. कलकत्ता–भुवनेश्वर
18. इलाहाबाद–कानपुर
19. एर्नाकुलम–अलेप्पी
20. मद्रास–एर्नाकुलम
21. अलेप्पी–मद्रास
22. इंदौर–भोपाल

(14 से 22 तक) ट्रंक आटोएक्सचेंज के जरिए।

टेलीविजन यूनिटों में जबरी छूट्टी

4973. श्री राम सहाय पाण्डे :

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिक्चर ट्यूबों के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप टेलीविजन यूनिटों में मंदी आ गई है जिस से कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने टी० वी० उद्योग में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। जब कि यह सच है कि पिक्चर ट्यूबों में कम उत्पादन के कारण टी० वी० सेटों के बढ़े हुए उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, फिर भी उत्पादन का स्तर गत

वर्ष के समान कायम है। पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने पूर्वी योरुपीय देशों से चालीस हजार पिक्चर ट्यूबों के आयात का प्रबंध किया है तथा देश में पिक्चर ट्यूबों के अभिवृद्धि उत्पादन के लिए लाइसेंस भी जारी किए हैं।

"14 स्टेट यूनिट्स फाल शार्ट आफ टारगेट," शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4974. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1974 को "14 स्टेट यूनिटस फाल शार्ट आफ टारगेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन यूनिटों के नाम क्या हैं? और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) इन यूनिटों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) उसके परिणाम स्वरुप कितनी हानि हुई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। उत्पादन में कमी मुख्य रूप से कच्चे माल की निरन्तर कमी, बिजली में कटौती और बहुत से मामलों में कार्य संचालन पूंजी की कमी के कारण हुई है।

(ग) तथा (घ) ज्योंही और जहां आवश्यक हो अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। गत दो वर्षों में उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप यह देखा जाएगा कि इन एककों के उत्पादन में वर्ष 1972–73 में 280 करोड़ रुपये से वर्ष 1973–74 में 409 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है अर्थात् उत्पादन में 46% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष 1974–75 के लिए निर्धारित किया गया कुल लक्ष्य 566 की करोड़ रुपयों का है अर्थात गत वर्ष के उत्पादन से 34% अधिक। अप्रैल–नवम्बर, 1974 का उत्पादन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 43% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वित्तीय रूप में यद्यपि एककों को 1972-73 में 9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था लकिन गत वर्ष उन्होंने 13 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। आशा है इस वर्ष में 35 करोड़ रुपये का लाभ कमायेंगे। लक्ष्यों की तुलना में अप्रैल–अक्तूबर, 1974 की अवधि में उत्पादन में 39 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इस कमी को वर्ष के बाकी महीनों में उत्पादन में प्रत्याशित सुधार दवारा पूरा किए जाने की संभावना है। आशा है कि लक्ष्य हर प्रकार से पूरा किया जाएगा।

विवरण

(मूल्य लाख रुपयों में)

क्रम सं०	एकक का नाम	अप्रैल–अक्तूबर, की अवधि का संचित कुल उत्पादन	1974 लक्ष्य की% उपलब्धी
1	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	13,903	92%
2	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	3,267	85%
3	भारत हैवी प्लेट तथा वेसल्स	525	44%

क्रम सं०	एकक का नाम	अप्रैल-अक्तूबर, 1974 की अवधि का संचित कुल उत्पादन (मूल्य लाख रुपये में)	लक्ष्य की % उपलब्धि
4	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	917	75%
5	त्रिवेनी स्ट्रक्चरस्स लिमिटेड	297	72%
6	भारत पंप एण्ड कम्प्रशर्स	112	38%
7	तुगभद्रा स्टील प्राडाक्टस्	125	90%
8	जेसप्स एण्ड कंपनी	1,778	89%
9	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी	667	83%
10	रिचार्डसन एण्ड क्रुड्डास लिमिटेड	400	92%
11	ग्रेशम एण्ड क्रेवेन	57	65%
12	मशीन टुल्स कारपोरेशन	106	75%
13	हिन्दुस्तान मशीन टुल्स	2,863	93%
14	इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन	752	75%
	कुल योग	25,769	87%

लघु एवं माध्यमिक क्षेत्र द्वारा क्षमताओं की स्थापना न करना

4975. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ हाल ही में एक बैठक में बड़े गृहों के अन्तर्व्यवस्था समन्वय का उल्लेख किया और आशयपत्रों के जारी करने के उपरान्त भी लघु एवं माध्यमिक क्षेत्र द्वारा क्षमता की स्थापना न करने की आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से बड़े गृहों को प्रोत्साहन नहीं मिला है और उद्योग के लघु एवं माध्यमिक क्षेत्र हतोत्साहित नहीं हुए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) राज्यों के उद्योग मंत्रियां के सम्मेलन में दिए गए भाषण में उदयोग एवं नागरिक पूर्ति मंत्री ने कहा कि जारी किए गए आशयपत्रों को मोनिटर किया जाना चाहिए ताकि कार्यान्वियन के समय को जहां तक संभव हो कम किया जा सके और यह भी कहा कि वित्तीय संस्थाओं का प्राथमिकताओं के विषय में मिलझुल कर एक रूप विनियमन करना चाहिये ताकि वित्त, पूंजीगत माल और विदेशी सहयोग जैसे सभी आवश्यक निविष्टों का प्रणालीबद्ध आधार पर विचार किया जा सके। और परियोजना की योजना और उत्पादन के मध्य समय का अंतराल कम से कम हो सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन

4976. श्री गिरीधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासनस्तर कों बढ़ाने के लिये केन्द्र ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) पांचवीं योजना में योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिये क्या कार्मिक नीति अपनाई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) देश में आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक प्रयत्न के रूप में अनेक योजनायें हाथ में ली गई हैं जिनमें विशेष बहुद्देशीय ब्लाक, आदिवासी विकास ब्लाक, आदिवासी विकास ऐजेंसियाँ आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों से आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने में सहायता मिली हैं।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों के लिए कर्मचारी नीति की जांच करने हेतु योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। कार्यकारी दल ने क्रमिक आधार पर विशेष वेतनों, विशेषसुविधाओं, शैक्षणिक रिआयतों और अन्य गैर–आर्थिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने समेत व्यापक सिफारिश की हैं। उप–योजनाएं तैयार करने के लिए योजना आयोग के मार्ग निर्देशनों में कर्मचारी नितियों के पुनरीक्षण पर भी बल दिया गया है। जग उपयोजनाओ पर विचार विमर्श किया जायगा तो योजना आयोग इन पहलुओ की जांच करेगा।

अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहायकों को पदोन्नति

4977. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सहायकों की संख्या क्या है जो सहायक ग्रेड में 25 वर्ष से अधिक समय तक सेवा पूरी कर चुके हैं ;

(ख) क्या इन में से अधिकांश सहायक एक वर्ष या उस के लगभग समय तक अनुभाग अधिकारियों के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य कर चुके हैं परन्तु उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान चयन सूची में अनुभाग अधिकारी के रूप शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें पदोन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय सचिवालय के सहायक ग्रेड में 122 सहायक 25 वर्ष से अधिक समय तक को सेवापूरी कर चुके हैं।

(ख) तथा (ग) चूकि अनुभाग अधिकारी तथा सहायक के ग्रेड विकेन्द्रीकृत ग्रेड हैं, इसलिए इस संबंध में सूचना कि क्या अधिकांश उपर्युक्त सहायकों ने एक वर्ष या उसके लगभग समय तक अनुभाग अधिकारी के पदों पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया है, तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इन सहायकों पर 22 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा वाले सहायकों के लिए नियत कोटे में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए समुचित रूप से विचार किया गया है, किन्तु अभी तक उनका चयन नहीं किया गया है। चयन योग्यताक्रम (मैरिट) के आधार पर किए जाते हैं। इन सहायकों पर अगले वर्ष को चयन सूची के लिए फिर से विचार किया जायेगा।

केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र का विद्युत योजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

4978. श्री शंकरराव सावन्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन कौन सी विद्युत योजनायें केन्द्र की स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं; और

(ख) उन्हें रोके रखने के प्रत्येक मामले में क्या-क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी-8800/74]

POPULATION OF CHRISTIANS

4979. SHRI MULKI RAJ SAINI :

Will the **Minister of HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) the population of Christians in the country during 1974;

(b) its percentage to the total population of the country then ; and

(c) its percentage to the total population during 1974 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The population of christians and their percentage to total population of the country in 1947 and 1974 are not available from Census as these do not correspond to decennial Census years.

The number of christians and their percentage to total population of the country according to the 1951, 1961 and 1971 censuses are as follows :—

Year	Christians	Percentage total Populations
1951*	8,391,734	2.35
1961**	10,725,273	2.44
1971	14,223,382	2.60

"आंसुका" के अधीन राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी

4980. श्री राज राज सिंहदेव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास के दौरान कुछ राजनैतिक नेताओं को 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये राजनैतिक नेताओं की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उन्हें किन-किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

* Excludes (i) Data of Jammu & Kashmir, Pondicherry and NEFA (now Arunachal Pradesh) (ii) Population of 268,602 of Punjab for which religion breakup is not available

** Excludes 297,853 persons of NEFA (now Arunachal Pradesh) for which religion break-up is not available.

त्रिपुरा में आनन्दनगर में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार

4981. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आनन्दनगर में 22 अक्तूबर, 1974 को गुंडों ने पांच आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था ;

(ख) यदि हां, तो अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 अक्तूबर, 1974 को आनन्दनगर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किन्तु 23 अक्तूबर, 1974 की रात्रि को तीन आदिवासी युवकों के साथ पांच आदिवासी लड़कियां जब अगर्तला से अपने घर को लौट रही थीं तो मलयनगर में 10–12 युवकों ने उनपर आक्रमण कर दिया। बताया जाता है कि बदमाशों ने दो लड़कियों का शील भंग किया और एक नाबालिक लड़की पर भी आक्रमण किया और उसकी कान की बालियां छीन ली। इस घटना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/354/323/379 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है जांच पड़ताल के दौरान अभियुक्तों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया। वे अब जेल हिरासत में हैं। जो फरार हैं उन्हे गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों और आरक्षण के बारे में अनुदेश

4982. **श्री अम्बेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सेवाओंको अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों आदि को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, आरक्षण के बारे में कार्मिक विभाग दवारा जारी किये गये परिपत्र की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे?.

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए नियुक्तियां पदोन्नतियां तथा आरक्षणों के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग दवारा 19 दिसंबर 1971 से 3 वर्षों के दौरान जारी किए गए परिपत्रों तथा उनको प्रतियों को ऐक सूची सदन के पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8801/74**] भारत सरकार के अधीन सेवाओ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर किसी भी अन्य पिछड़ी जातियों अथवा अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

बिजली की उपलब्धता के बारे में विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

4983. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा बिजली की उपलब्धता के बारे में किये गये अध्ययन के अनुसार महत्वकांक्षी पांचवीं योजना के अन्तर्गत बनाई गई परियोजनाओं के बावजूद भी बिजली की कमी का गम्भीर संकट बना रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारत में ऊर्जा सैक्टर का एक अध्ययन तैयार किया है और अब तक विश्व बैंक द्वारा इस अध्ययन को केवल विश्व बैंक दल के प्रयोग के लिए ही एक गोपनीय दस्तावेज समझा गया है। अतः अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकट करना या प्रश्न के भाग (क) में कही गई बात की पुष्टि करना या उस पर सरकार की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है।

Representation from Freedom Fighters' Organisation for more Facilities

4984. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any facility other than Pension is available to the freedom fighters ; and

(b) whether the organisations of freedom fighters have requested the Government for providing to them facilities of children's education, Government service and medical treatment; and

(c) if so, the Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) yes sir.

(c) Provision of education facilities for the childern of freedom fighters and medical facilities to them and members of their families is essentially a matter which concerns the State Governments. The various State Governments have evolved their own schemes to assist the freedom fighters and some of them provide for educational concessions to the children of freedom fighters and preference in employment. Recently the State Governments have been requested to consider providing comprehensive medical aid to the freedom fighters and their dependents. The suggestion that a percentage of vacancies in public se rvices should be reserved for the children of freedom fighters has been examined but has not been found feasible.

महाराष्ट्र में विशेष रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त यूनिटों की स्थापना

4985. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में वन-भूमि से आदिवासियों को निकाल बाहर करने के लिये विशेष रिजर्व पुलिस बल के दो अतिरिक्त यूनिटों की स्थापन की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) और (ख) महाराष्ट्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के लिए वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने और उसे दूर करने के लिए लगाये गये वन विभाग के कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस दल की एक कंपनी धुलिया जिले में तथा नासिक और जलगांव जिलों में एक-एक प्लाटून तैनात करनी आवश्यक था।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों की स्थापना के लिए धन देने का अनुरोध

4986. श्री रानेन सेन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार से कितनी धन राशि माँगी है ;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है।

(ग) उन प्रमुख राज्यों के नाम क्या है जिन के हिस्से में चौथी तथा पांचवीं योजना के दौरान बड़ी संख्या में उद्योग आये हैं ; और

(घ) सरकार ने पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापनाहेतु इन दो योजनाओं में कितनी प्रतिशत राशि निर्धारित की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) तथा (ख) उद्योगों तथा खनिजों के लिए पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय तथा सरकार द्वारा अनन्तिम रूप में स्वीकार किए परिव्यय निम्नलिखित है :–

	राज्य सरकार द्वारा पांचवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय	सरकार द्वारा अनन्तिम रूप में स्वीकृत परिव्यय
	(लाख रु०)	(लाख रु०)
1 बड़े तथा मझोले उद्योग . .	7867	4310
2 खनिज विकास . . .	447	160
3 ग्रामीण तथा लघु उद्योग . .	4520	1440
	12834	5910

(ग) तथा (घ) चौथी योजना में विभिन्न राज्यों में शुरू की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के लिए चौथी योजना में कुल 3150.86 करोड़ रुपए का परिव्यय अधिकल्पित है। स्थापना स्थलों तथा परिव्ययों सहित इन परियोजनाओं के नाम चौथी योजना के प्रलेख के पृष्ठ 326 से 330 पर दिए गए हैं। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों द्वारा पांचवीं योजना में शुरु की जाने वाली औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम स्थापना स्थल तथा परिव्यय (जिन पर कि निर्णय लिए जा चुके है) पांचवी योजना के प्रलेख प्रारूप के (खण्ड 2) के पृष्ठ 151 से 155 पर दिए गए हैं।

बिहार में मारे गये अथवा घायल हुए सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को अथवा उनको परिवारों को दिया गया मुआवजा

4987. श्री पीलू मोदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में अक्तूबर, 1974 में एक तीन दिवसीय बन्ध के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी मारे गये/घायल हुए तथा संतप्त परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अक्तूबर, 1974 में तीन दिन के बन्ध के दौरान बिहार में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 29 कर्मचारी घायल हुए थे और सीमा सुरक्षा बल का कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ।

दूसरा प्रस आयोग स्थापित करना

4988. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही दूसरा प्रेस आयोग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसके निदेश पद क्या होंगे और उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने समाचारपत्र उद्योग को अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए प्रख्यात अर्थ-शास्त्री डा० भबतोष दत्त की अध्यक्षता में समाचारपत्र अर्थ-व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषण समिति पहले ही स्थापित की हुई है। उम्मीद है यह समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे देगी। दूसरे प्रैस आयोग की स्थापना के प्रश्न पर समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद विचार किया जायेगा।

संगणक केन्द्र में स्थायी पद की संख्या

4989. श्री चन्द्र शैलानी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में सरकार ने वर्ष 1973 के आरम्भ में विभिन्न श्रेणियों के अधीन अनेक पदों को स्थायी बना दिया था;

(ख) क्या सभी श्रेणियों के तथा कि विशेषकर श्रेणी I तथा श्रेणी II के बहुत से अधिकारी 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं तथा अन्य बहुत से अधिकारी भी स्थायी घोषित होने के लिये अन्यथा अर्हता प्राप्त कर चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल कितने पद स्थायी घोषित किये गये थे तथा उनके समक्ष अनुसूचित जातियों के लोगों सहित कितने व्यक्ति इन स्थायी पदों पर नियुक्त किये गये; और

(घ) क्या सरकारी आदेशों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में अधिकारी स्थायी घोषित नहीं किए गये हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ग) जी, हां। जनवरी, 1973 में 17 प्रथम श्रेणी के पद स्थायी घोषित किए गए थे जब कि जून, 1973 में (4 लिपिक वर्गीय पदों समेत) 16 द्वितीय श्रेणी के पद (11 लिपिक वर्गीय पदों समेत) 30 तृतीय श्रेणी के पद एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के पद स्थायी घोषित किए गए थे।

चूंकि नियुक्तियां आरंभ में अस्थायी पदों पर की गई थी और स्वयं संगणक केन्द्र भी उस समय एक अस्थायी दफ्तर था, अनुसूचित जाति के अधिकारियों समेत कोई भी अधिकारी किसी स्थायी रिक्ति के अधीन नियुक्त नहीं किया गया था।

(ख) और (घ) यह बात सही है कि विभिन्न श्रेणियों के अनेक अधिकारियों ने तीन वर्ष की या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है परन्तु अभी तक उन में से कोई भी स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है कि स्थायी तौर पर नियुक्ति करने के आदेश जारी करने से पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की बात को शामिल करते हुए अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। इस मामले में लिपिक वर्गीय पदों के अलावा अन्य स्थायी पदों के बारे में कार्यवाही आरंभ की गई है। लिपिक वर्गीय पदों पर स्थायी तौर पर नियुक्ति करने का काम गृह मंत्रालय के सिपुर्द है।

चालू वर्ष के दौरान फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता

4990. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिभाशाली तथा मेधावी फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है जो अन्य स्रोतों से ऋण-सुविधायें जुटा पाने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि की सहायता देने का विचार है और ऐसी सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड जो पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है और जो 1960 में स्थापित किया गया था, उन प्रतिभाशाली और होनहार फिल्म निर्माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो अन्य स्रोतों से धन प्राप्त नहीं कर पाते।

31 अगस्त, 1974 के दिन को स्थिति के अनुसार, फिल्म वित्त निगम ने 2 करोड़ 32 लाख 74 हज़ार रुपए के ऋण वितरित किए हैं।

प्राकृतिक गैस से हीलियम का उत्पादन

4991. श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने प्राकृतिक गैस से हीलियम निकालने की दिशा में काफी प्रगति कर ली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या हीलियम गैस के अनेक वाणिज्यिक उपयोग हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विवरण क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस के जिन नमूनों का विश्लेषण अभी तक किया गया है, उनमें हीलियम की इतनी मात्रा नहीं पायी गई है कि उसे अलग किया जा सके। फिर भी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) हीलियम का प्रयोग अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों के साथ उद्योग-धंधों में भी होता है। इसके अक्रिय होने तथा रेडियोसक्रिय न बनने के कारण इसका उपयोग न्यूक्लीय रिएक्टरों में भी किया जाता है।

लघु क्षेत्र में टेलीविजन सेट बनाया जाना

4992. श्री मधु लिमये : क्या **इलैक्ट्रानिक्स मंत्री** वर्ष 1970 के एक प्रैस नोट के संदर्भ में जिसमें टेलीविजन सेट बनाने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र में टेलीविजन सेट बनाने के लिये आवेदन-पत्र भेजने वालों के नाम क्या हैं, उन्होंने किस-किस तारीख को आवेदन-पत्र भेजे, उनके नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र मंजूर किये गये और उनके नाम क्या हैं जिन्हें अगले प्रैस नोट की प्रतिक्षा करने को कहा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने 15 अगस्त, 1970 के बाद आवेदन-पत्र भेजे थे अपने आवेदन-पत्र मंजूर करवा लिये थे जबकि उन से पहले आवेदन-पत्र भेजने वाले कुछ व्यक्तियों को अगले प्रैस नोट की प्रतीक्षा करने को कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो बाद के आवेदकों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र मंज़ूर किये गये थे; और

(घ) पहले के आवेदकों, जिनको अगले प्रैस नोट के लिये प्रतीक्षा करने के लिये कहा गया था और बाद के आवेदकों के बीच, जिनके आवेदन मंजूर किये गये थे भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) लघु क्षेत्र में टी०वी० सेटों के निर्माणहेतु 20 जून, 1970 को जारी एक प्रेस नोट के उत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8802/74]** 42 पार्टियों को जिनकी योजनाएं मंजूर हुयीं, परिशिष्ट 1 के कैफियत कालम में इंगित किया गया है। शेष पार्टियों को उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाने के विषय में सूचित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) जिन पार्टियों ने 15 अगस्त 1970 के बाद आवेदन पत्र दिए उन में से 27 आवेदनों पर लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दी गयी। उनके नाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8802/74]** जिन पार्टियों के आवेदन पत्र पहले रद्द कर दिये गये थे उनसे अगले प्रेस नोट का इंतजार करने के लिए नहीं कहा गया। फिर भी, इन सभी मामलों का स्वप्रस्ताव पर अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर पुनर्वलोकन किया गया, और दो पार्टियों को लाइसेंस दे दिए गये।

(घ) आवेदन पत्रों के इन दोनों वर्गों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया गया क्योंकि इन आवेदन पत्रों पर विचार करते समय एक जैसे मानक लागू किए गये।

राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन

4993. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के उद्योग मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में आमंत्रित हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में 1973-74 में हुये औद्योगिक उत्पादन के रुख का पुनरावलोकन किया था तथा 1974-75 में विषयगत संभावनाओं पर भी चर्चा की गयी जिस अन्य बातों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के कार्य तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम की भूमिका पर भी चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से औद्योगिक वृद्धि में बाधक समस्याओं का भी पता लगाया गया व उन पर चर्चा की गयी। इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि प्राथमिकता वाले उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये जाने चाहिये तथा समूचे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की दर और अधिक होनी चाहिये।

पश्चिम बंगाल के जिला जलपाइगुड़ी में बीरपाडा में आदिवासियों और पुलिस पर गोली चलाया जाना

4994. **श्री टूना उरांव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अक्तूबर, 1974 को वीरपाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम में आदिवासियों और पुलिस पर गोली चलाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध जिसमें पुलिस के एक सिपाही सहित कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने तीन व्यक्तियों को—एक को धर्मशाला के एक स्तम्भ के साथ और दो को वीरपाड़ा बाजार में पीपल के एक पेड़ के साथ बांध दिया था और उनकी अत्याधिक पिटाई की थी ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित घटनाएं किस प्रकार आरम्भ हुई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

सी० आर० पी० तथा बी० एस० एफ० द्वारा शिक्षा संस्थाओं के कैम्पसों में प्रवेश

4995. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सी०आर०पी० बल तथा बी०एस० एफ० ने कितनी बार शिक्षा संस्थाओं के कैम्पसों में प्रवेश किया तथा विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों पर गोली चलायी, लाठी चार्ज किया तथा अश्रुगैस छोड़ी ;

(ख) केन्द्रीय पुलिस के इन दो बलों के कर्मचारियों ने कितने मामलों में (i) अपनी इच्छा तथा (ii) सम्बन्धित अधिकारियों के कहने पर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश किया ; और

(ग) कितने मामलों में संबंधित अधिकारियों ने केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों द्वारा कैम्पसों में प्रवेश करने के विरुद्ध आपत्ति की ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों ने शिक्षा संस्थाओं में दो बार बल का प्रयोग किया—एक बार गोली चलाई और एक बार लाठी चार्ज किया । शक्ति का प्रयोग स्थानीय प्राधिकारियों के कहने पर किया गया ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई आपत्ति नहीं मिली है ।

कुछ फर्मों को लाइसेन्स क्षमता और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा बाहर भेजा जाना

4996. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री शशि भूषण :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फर्मों (एक) चीजबोरो पौंड्स, (दो) मैक्सफैक्टर, (तीन) कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, तथा (चार) कोलगेट पामोलिव क्या-क्या चीजें बनाते है तथा उनकी लायन्सेस क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी ने गत दो वर्षों के दौरान कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी ;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा ऐश्वर्य की वस्तुओं के उत्पादन के फलस्वरूप बाहर भेजी जानी वाली विदेशी मुद्रा में कमी करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इन कम्पनियों को कितना भारतीय अंशदान स्वीकार करना पड़ेगा तथा कब तक ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मैं० कोलगेट पामोलिव द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा लाइसेंस शुदा क्षमता निम्नानुसार हैं :

वस्तु का नाम	अनुमोदित क्षमता
टूथ पेस्ट	1550 मी० टन वार्षिक
टूथ पाउडर . . .	816.48 मी० टन वार्षिक
टायलट/टेल्कम पाउडर . .	2378 मी० टन वार्षिक
फेस क्रीम/स्नो . . .	245 मी० टन वार्षिक
केश तेल तथा शेम्पो . .	648 मी० टन वार्षिक
अन्य	3,00,000 दर्जन

मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कार० पेय सान्द्रण बनाते हैं जो कि उद्योग (विकास व विनियोजन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सारिणी में नहीं आते अतः इनके उत्पादन के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

मैं० चीजबीरी पौंड्स उत्पादक फर्म नहीं है तथा मैक्स फैक्टर एक भारतीय कम्पनी के श्रृंगार उत्पाद के ब्रांड का नाम है।

(ख) गत दो वर्षों में निम्नलिखित फर्मों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है।

(लाख रु०)

फर्म का नाम	1971-72	1972-73
मैं० चीज बीरो पौंड्स	31.83	36.04
मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कार० . .	60.58	..
मैं० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राई० लि० .	55.85	57.37

मैं० मैक्स फैक्टर के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े नहीं है।

(ग) और (घ) इन कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अधीन विचार करते समय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शर्त निर्धारित की जा सकती है।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं विकसित करने का विशेष कार्यक्रम

4997. **श्री बनमाली बाबू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं विकसित करने के लिए विशेश कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन्हें कब तक आरंभ और पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) विभाग की उदारीकृत नीति के अनुसार ऐसे इलाकों के साथ विशेष बर्ताव किया जाता है ।

(ख) कुछ प्रकार के स्थानों के लिए डाक और दूर संचार सुविधाएं देना उनकी आबादी, उनके प्रशासनिक महत्व और मौजूदा उपलब्ध सुविधाओं आदि से उनकी दूरी पर निर्भर करता है । सामान्य इलाकों में इस प्रकार की सुविधाओं से उन पर आने वाले खर्च की 25 प्रतिशत आमदनी होने की आशा की जाती है और कम विकसित इलाकों में कम से कम आय को घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ।

विदेशी ब्रांड नाम से टैलकम पावडर का निर्माण

4998. **श्री शशि भूषण :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिष्टस मेयर कम्पनी को विदेशी ब्रांड "मम" के नाम से टेल्कम पाऊडर तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करनेकी अनुमति किस तारीख को दी गई थी ?

(ख) उपरोक्त प्रत्येक मद की लाइसेन्स क्षमता कितनी है ;

(ग) ऐश्वर्य की वस्तुओं के उत्पादन से होने वाले लाभ के रूप में बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस कम्पनी में विदेशी शेयरधारियों की प्रतिशतता कितनी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभापटल पर रख दी जायेगी ।

संगणक आंकड़े केन्द्र

4999. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन के मंत्रालय में एक संगणक आंकड़े केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता से जिनके ऊपर पूर्ण संचालन के आधार पर तकनीकी विकास महानिदेशालय में यह कम्प्यूटरी कृत सूचना प्रणाली शीघ्र लागू करने का दायित्व है, के परामर्श से तकनीकी विकास महानिदेशालय में कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली चालू की जा रही है इस प्रणाली में निम्नलिखित मुख्यतः हैं :—

(1) औद्योगिक आंकड़ों के संग्रह तथा संकलन के लिए मशीनरी की स्थापना,

(2) उद्योग, प्रमुख उत्पाद तथा रिपोर्टिंग यूनिट्स का कोडिफिकेशन,

(3) उत्पाद प्रोफाइल तथा उद्योग प्रोफाइलों का आंकड़ा बैंक बनाना, तथा

(4) उद्योगों से संबंधित निपज (आउट पुट) रिपोर्टों को समय पर प्रकाशित करना ।

एम० एन० एफ० के प्रचार का सामना करने के लिए सामाजिक सुधार

5000. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में तोड़ फोड़ की गतिविधियां बढ़ रही हैं और शराब पीने तथा इसकी बिक्री के खिलाफ प्रचार करके और सामाजिक सुधारों को लागू करके छिपे मिजओं ने संघ प्रदेश के युवा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है ;

(ख) क्या सरकार गैर-कानूनी कार्यों के खिलाफ सुरक्षा संबंधी उपायों के अतिरिक्त एम० एन० एफ० के प्रचार का सामना करने के लिये सामाजिक सुधारों को लागू करने की पेशकश कर रही है ; और

(ग) क्या प्रदेश का सतारूढ़ दल, मिजोरम प्रदेश कांग्रेस समिति, केन्द्रीय सरकार और मिजो विद्रोहियों से मिला था ताकि सशस्त्र मुठभेड़ को खत्म किया जा सके और कोई राजनीतिक हल ढुंढा जा सके ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजोराम प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 1974 से छिपे मिजों लोगों की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है। शराब की बिक्री और उसके उपयोग को जबरदस्ती रोकने की कुछ घटनाओं में वे ध्यान में आये हैं। किन्तु, मिजोराम में युवा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के बारे में छिपे मिजो लोगों के ऐसे उपायों का सबूत नहीं है।

(ख) छिपे मिजो लोगों की गैर कानूनी गतिविधियों के विरूद्ध सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त मिजो प्रशासन ने प्रैस तथा रेडियों के माध्यम से लोगों के समक्ष सच्चे तथ्य प्रस्तुत करके छिपे मिजो लोगों के प्रचार का मुकाबला करने के उपाय किये हैं और प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी कदम उठा रहा है जिनमें सड़कों का निर्माण और एक काग़ज़ मिल, जिसके पूरा होने पर मिजो युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, की स्थापना सहित उद्योगों का विकास शामिल है।

(ग) मिजोराम प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा संविधान के भीतर मिजो विद्रोहियों को सामान्य शान्तिपूर्ण जोवन का स्मरण दिलाने के लिए किये गये प्रयासों से सरकार अवगत है।

वायू-प्रदूषण

5001. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री** वायू-प्रदूषण के बारे में 21 अगस्त 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायू प्रदूषण संबंधी आधार-भूत आंकड़े एकत्रित करने का कोई प्रयास किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या नागपूर स्थित राष्ट्रिय वातावरण इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान मे बम्बई तथा कलकत्ता में वायु प्रदुषण संबंधी सर्वेक्षण के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मद्रास, कानपुर, दिल्ली, कोचीन बंगलौर तथा हैदराबाद में विस्तृत सर्वेक्षण कराने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर के राष्ट्रीय प्रस्तार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में वायू के प्रकारों संबंधी आधारभूत आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के स्थानों तक ही सीमित है।

(ख) आयोजित कार्यक्रम के रूप में वायू प्रदूषण का सर्वेक्षण कार्य बम्बई और कलकत्ता में अभी भी जारी हैं।

(ग) यदि वहां के स्थानीय प्राधिकरण आवश्यक आर्थिक सहायता से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें तो राष्ट्रीय पर्यकरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इन शहरों में भी वायू-प्रदूषण सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ कर सकता है।

बिहार आन्दोलन के बारे में प्रचार एवं समाचार प्रसारण

5002. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आन्दोलन तथा समस्त देश में अन्य आन्दोलनों के बारे में प्रचार एवं समाचार प्रसारण के बारे में कोई नई नीति अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए स्वीकार की गई बातों के ब्यौरे सहित इस कार्यक्रम की आधारभूत बातें क्या हैं ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों को दिये गये निदेश क्या हैं ;

(घ) क्या श्री जय प्रकाश नारायण ने आकाशवाणी पर बिहार आन्दोलन में पक्षपातपूर्ण प्रचार एवं समाचार प्रसारण के आरोप लगाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) आलोचना औचित्य रहित पाई गई।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच करार

5003. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी ने हाल ही में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त करार भारत के लिये कैसे तथा किस सीमा तक लाभप्रद रहेगा, और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ ऐसे कितने करारों पर हस्ताक्षर हुए तथा प्रत्येक करार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) नहीं। लेकिन, भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच, 7 मार्च, 1974 को हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी मुख्य करार के पैरा 2 (2) के अनुसरण में, वैज्ञानिक तथा औदयोगिक अनुसंधान परिषद एवं कैरन फोरशुन्स अनलाए (के० एफ० ए०) के बीच

एक विशेष प्रबंध पर 25 नवम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा के० एफ० ए० के इस विशेष प्रबंध में, सूचना तकनीकी प्रलेखा के विनियम, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञो के विनिमय तथा भौमिकी, पदार्थ अनुसंधान गैर परमाणु ऊर्जा प्रौदयोगिकी, रासायनिक इंजीनियरी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा यांत्रिक इंजीनियरी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं की कार्यान्विति के द्वारा सहयोग की व्यवस्था है।

(ख) पश्चिमी जर्मनी के साथ सहयोग के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों का निर्धारण उनके दवारा प्राप्त अत्यधिक विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है। भारत सरकार भी पांचवीं योजना अवधि के दौरान विकास के लिए ऐसे ही कार्यक्रमों को हाथ में ले रही हैं। पश्चिमी जर्मनी के कुछ हद तक पहले में प्राप्त अनुसंधान अनुभव की प्रतिलिपि करने के बजाए, यह महसूस किया गया कि सहयोग के विभिन्न क्षत्रों में पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्राप्त अनुभव में हमें कम समय में ही सामान्य समस्याओं का समाधान करने मे सहायता मिलेगी।

(ग) अन्य किसी देश के साथ ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निर्बल लोगों का उत्थान करने के लिए संकुल योजना

5004. श्री वसंत साठे :

श्री धामनकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिए संकुल योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) ग्रामीण श्रमिकों को अपनी आर्थिक दशा बेहतर बनाने में अपनी सहायता स्वयं करने के लिए उन्हें संगठित करने हेतु योजना में क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) श्रमिक सहकारिताओं के गठन को प्रोत्साहित करने तथा सहायता देने तथा ग्रामीण विकास के परियोजना में श्रमिकों की ठेका पद्धति को निरूत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो अनिवार्यत: ग्रामीणउन्मुख है और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनाया गया है, मैं इस बात की परिकल्पना है कि इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न सीमों को पैकज सुविधाओं के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इन से निश्चित स्थानो पर विभिन्न सुविधाओं में वास्तविक परिवर्तन किया जा सकेगा। बाद में इनमें से कुछ स्थान आर्थिक सेवाओं की स्थापना तथा कृषि प्रोसेसिंग उद्योग और अन्य ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विकास केन्द्र बन सकेंगे। इससे संकेत मिलताहै कि जिन गांवों में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र अथवा स्कूल है वहां भी जलपूर्ति व्यवस्था, बिजली और सम्पर्क सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक स्कीम की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार से हैं :—

प्रारम्भिक शिक्षा :

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में यह मानदण्ड रखा गया है कि यथा सम्भव 1.5 कि० मी० दूरी के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल तथा 5 कि० मी० दूरी के अन्दर एक मिडिल स्कूल की व्यवस्था की जानी है। कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरों का निर्माण, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम स्कूल

खोलना, जरूरतमंदों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और दोपहर का भोजन देना, जैसी सहायक सुविधाओं की भी परिकल्पना की गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम :

निवारक दवाओं, परिवार नियोजन, पोषाहार इत्यादि के रूप में स्वास्थय सुविधाओं की न्यूनतम व्यवस्था, निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर करने का प्रस्ताव है :–

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र की स्थापना।

(2) प्रति 10,000 की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र की स्थापना।

(3) विद्यमान प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए भवनों तथा आवासीय क्वार्टरों की कमी को पूरा करना।

(4) प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों में से 1 का उच्चीकरण करके उसे 30 विस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल का दर्जा देना, जिसमें सर्जरी, मेडीसिन, प्रसूति, स्त्री-रोग व एनेस्थीसिया में विशेषज्ञ सेवायें सुलभ होंगी।

पोषाहार :

अतिरिक्त पोषण, स्वास्थय की देखभाल प्रतिरक्षण और पोषाहार शिक्षा प्रदान करके समाज में निर्बल वर्ग की गर्भवति महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की देखभाल करके पोषाहार-संबंधी कमियों के संकट का सामना करने का लक्ष्य है। स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए वर्ष में 300 दिन अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था करने और स्कूलों में 200 दिन दोपहर का भोजन देने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण जल आपूर्ति :

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित किस्म के गावों में पेय जल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है :–

(1) ऐसे गांव जिनसे एक उचित दूरी के अन्दर (यानी 1.6 किलोमीटर के अन्दर) पेय जल का कोई निश्चित स्त्रोत उपलब्ध नहीं है ;

(2) ऐसे गांव जहां के जल स्त्रोतों से पानी की खराबी के कारण होने वाली बीमारियां जैसे हैज़ा और कैंचुए, हो जाती हैं; या

(3) ऐसे गांव जहां के जल स्त्रोतों में खारेपन, लौह या फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है।

ग्रामीण मार्ग :

1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिए सभी मौसमों में उपयोग करने योग्य सड़कों की व्यवस्था करने का लक्ष्य है। पर्वतीय, जनजातीय और तटवर्ती क्षेत्रों के मामले में जनसंख्या संबंधी शर्त पूरा करने के लिए वहां ग्राम-समूहों को लिया जा सकता है।

भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल :

इसका उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को विकसित आवास स्थलों की व्यवस्था करना है। इस कार्यक्रम को भूमि सुधार उपायों से सम्बद्ध किया जा रहा है इससे उपलब्ध फालतू भूमि पर आवास स्थल तैयार करने के काम को प्राथमिकता मिलेगी।

'दी बस्तियों का पर्यावणिय सुधार :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वे सब नगर आयेंगे जिनकी जन संख्या 3 लाख या इससे अधिक है। जिन राज्यों में इतनी आबादी वाले नगर नहीं उनमें भी एक नगर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण :

आमतौर पर उन्हीं राज्यों को जिनकी आबादी का 40 प्रतिशत भाग चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में विद्युतीकरण का लाभ नहीं उठा पाया है इस कार्यक्रम के पात्र समझे गए हैं। किन्तु ऐसे राज्य इस नियम का अपवाद है जहां जनजातीय और पिछड़े स्थानों पर बिजली करण किया जाना है।

(ग) और (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक ये क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास की मुख्य धारा से अलग थलक रहे थे। जहां तक जनजातीय क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है, उन के लिए पांचवी योजना में एक नई नीति प्रारम्भ की गई है। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि जनजाति बहुलता क्षेत्रों के लिए भौगोलिक तथा प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक उप-योजनाएं तैयार की जायें जिनका उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों तथा दूसरे क्षेत्रो के मध्य असमानता को घटाया जाना तथा जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना हो। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अनुकूल शर्तें पर केन्द्रीय सहायता से देने की नीति के साथ ही साथ एकीकृत क्षेत्र विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुपूरक आबंटन किये जा रहे हैं।

राज्यों तथा केन्द्र द्वारा कमजोर वर्गों में व्याप्त शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे निशुल्क शिक्षा, वजीफा, पुस्तक, वर्दी और मध्यावकाश भोजन आदि। केन्द्रीय क्षेत्र में मैट्रिक के बाद वजीफा देने की स्कीम पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव है ताकि व्यावसायीक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। यह अनुमान है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 14 लाख लोग मट्रिक के बाद मिलने वाला वजीफा प्राप्त करेंगे पांचवी योजना में समाज सेवा के कार्यक्रमों से समाज के कमजोर वर्गों के लोग भूतकाल की तुलना में अधिक लाभान्वित होंगे। एक एकीकृत बाल-सुरक्षा सेवा कार्यक्रम तैयार किया गया है, इसमें कई सेवाएं शामिल हैं, जैसे पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षा और प्राथमिक सेवाएं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश कमजोर वर्ग आ जाएगा। इस तथ्य को समझते हुए कि कुपोषण और अल्प पोषण से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों, गर्भिणी स्त्रियों और दूध पिलाती माताओं के स्वास्थ्य पर गम्भीर असर पड़ता है, यह प्रस्ताव रखा गया है कि पंचवर्षीय योजना में पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ग को भली प्रकार लाया जाए।

विभिन्न कार्यक्रमों के घटकों, विशेष रूप से शिक्षा, ग्रामीण जलआपूर्ति, ग्रामीण मार्ग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-केन्द्रों के क्षेत्र में, की इस प्रकार से कल्पना की गई है कि क्षेत्रों की ग्रामीण आबादी को सम्मिलित और भागीदार बनाया जा सके। इससे साथे लाभान्वित होने वाली ग्रामीण जनसंख्या में स्वंय-सहायता की भावना बढ़ेगी जिसका परिणाम यह होगा कि उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा।

क्योंकी राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र योजना और जनजातीय उप-योजना राज्य योजनाओं का अभिन्न किन्तु एक दम विशिष्ठ अग हैं अत: इन कायक्रमों को प्रभावशाली रीति से क्रियान्वित करने के लिए विशिष्ट उपाय अपनामें, जैसे कि श्रम सहकारी समितियों का गटन, आदि, की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों की है।

रवीन्द्र रंगशाला में दिखाई गई एक फिल्म पर होने वाला औसत व्यय

5006. **श्री वरके जार्ज : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रविन्द्र रंगशाला में एक फिल्म शो दिखाने पर किराये तथा अन्य व्यय सहित कितना औसत व्यय होता है; और

(ख) प्रतिदिन टिकटों की बिक्री तथा उससे प्राप्त आय का औसत क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अभी तक सभी बिल भुगतान के लिये प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, प्रति शो औसत व्यय (किराया छोड़ कर, चूंकि गीत-और नाटक प्रभाग को रवीन्द्र रंगशाला का कोई किराया नहीं देना पड़ता) का अनुमान 3044 रुपये है।

(ख) प्रतिदिन औसत बिक्री 3438 रुपये के टिकटों की थी। आय के बारे में मुकम्मल सूचना, व्यय के बारे में मुकम्मल जानकारी उपलब्ध होने के पश्चात मालूम होगी। प्रति फिल्म शो के औसत मुनाफे का अनुमान दिल्ली प्रशासन को मनोरंजन कर की उदायगी करने के बाद 197 रुपये है।

रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में फिल्म दिखाया जाना

5007. **श्री एम० एस० जोजफ : : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली (अपर रिज रोड़ पर ओपन एयर आडिटोरियम) में अब भी एक फिल्म शो प्रतिदिन दिखाया जाता है;

(ख) क्या सर्दी के मौसम में ये शो दिखाये जाते रहेंगे; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार का विचार दर्शकों के लिए छत की व्यवस्था करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा टायरों का उत्पादन

5008. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड को जारी किये गये आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस में मोटर गाड़ियों के टायर बनाने और प्रयोग के तौर पर कोई अन्य टायर बनाने के बारे में कोई व्यवस्था है;

(ख) कुल कितने टायर बनाये गये है; और

(ग) टायरों को किस प्रकार वितरित किया गया या बेचा गया और भण्डार में ऐसे कितने टायर अभी पड़े हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आम तौर पर आशय-पत्रों अथवा औद्योगिक लाइसेंसों में परीक्षण के तौर पर अथवा प्रायोगिक प्रयोजनों के लिये वस्तुओं के उत्पादन का अलग से कोई प्रावधान नहीं होता।

(ख) नवम्बर, 1974 के अन्त तक उपक्रम द्वारा उत्पादित टायरों की कुल संख्या 3,100 बताई गई है ।

(ग) कम्पनी ने सुचित किया है कि 806 टायर डीलरों, फ्लीट मालिकों और चालकों को दिए गए हैं तथा 30 नवम्बर, 1974 को उनके स्टाक में पड़े टायरों की संख्या 3,294 थी ।

हांडिघुआ कोयला खान का कार्यकरण

5009. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मंत्री उड़ीसा में हांडीघुआ कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के बारे में 20 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए मैसर्स गोयन्का इन्वैस्टमेंट लिमिटेड के साथ समझौता समाप्त करके हांडीघुआ कोयला खान का कार्यकरण भारतीय कोयला खान प्राधिकरण को सौंप दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की गई है और मामला विचाराधीन है ।

यूरेनियम का पकड़ा जाना

5010. श्री के० एम० मधुकर :
श्री भोला माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लगभग 60 लाख रुपये मूल्य का यूरेनियम पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निजी कोयला खानों को अपने नियन्त्रण में लेना

5011. श्री एम० रामगोपाल रेड्डो : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में निजी कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार की नीति कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की सीमा से विशेष रूप से छूट प्राप्त निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की ग्रहीत खानों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी किसी भी गैर-सरकारी पार्टी को कोयले के खनन की अनुमति देने की नहीं है ।

सरकार के सामने जब कभी किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा कोयला खनन का मामला आएगा, उसे रोकने के लिए उपयुक्त व कारगर कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में अनुसंधान कार्य

5012. **श्री रेणुपद दास** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अकुशल प्रशासन के कारण केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र, बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में रेशम उद्योग सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही ;

(ख) क्या प्रयोगशाला के अन्दर काम करने वाले और कुछ बाहर के शरारती लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण गड़बड़ करते है और भयावह वातावरण बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसन्धान कार्य में बाधा पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए और स्थिति को सामान्य बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र में सांविधिक राशन व्यवस्था

5013. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र के कर्मचारी इस क्षेत्र में काफी समय से सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने की मांग के समर्थन में आन्दोलन करते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के इलाके में खाद्यान्नों का वितरण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य के सांविधिक और गैर-सांविधिक राशनिंग इलाकों में आम वितरण व्यवस्था को समुचित जरूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय भंडार से हर महीने खाद्यान्न दिया जाता है। कोयला खान प्राधिकरण लि० ने राज्य के कोयला खान मजदूरों के लिए खाद्यान्न के विशेष कोटे के आबंटन हेतु प० बंगाल सरकार से बातचीत की थीं। राज्य सरकार को वसुली एजेंसियों की सहायता से कोयला खान प्राधिकरण को हाल ही में 1,000 टन चावल प्राप्त हुआ है जिसका वह अपने पूर्वी प्रभाग में 'बफर स्टाक' बनाएगा।

Expenditure on Ministers

5014. **Shri Madhavrao Scindia :**
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Iswhar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred during 1973-74 on each member of the Union Cabinet under the heads (i) conveyance, (ii) telephone, (iii) electricity and water, (iv) security, and (v) miscellaneous separately ; and

(b) the statement of expenditure under the same head for the year 1971-72 and 1972-73 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कोयले को तेल में बदला जाना

5015. श्री डा० बी० चन्द्रगौडा : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयले को तेल में बदलने की एक प्रक्रिया निकाली है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी मात्रा में तेल उपलब्ध होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए०पाई) : (क) से (ग) कोयले को तेल में परिवर्तित करने के लिये भारतीय कोयले पर विस्तृत प्रयोगशाला/प्रयोगाशाला स्तर/ अर्ध-संप्रयोगिक संयंत्र आदि का अनुसंधान कार्य किया जा चुका है।

हाईड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा तेल के उत्पादन हेतु उत्प्रेरक पदार्थों का मूल्यांकन एवं उपयोगिता के अनुसंधान पर महत्वपूर्ण-अध्ययन किया जा चुका है। प्रक्रम में और अधिक सुधार करने के लिये संस्थान में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अभी कार्य उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिसे वाणिज्यिक उपयोग के लिये उपलब्ध किया जा सके।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सरकार समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

5016. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने सरकार समिति की सभी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए०पाई): (क) और (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्पूर्ण कार्यकलापों पर, अध्यक्ष, सी० एस०आई० आर० द्वारा स्वीकृत सरकार समिति की रिपोर्ट खण्ड–दो की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही का एक विवरण साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट–1)।

विवरण

सरकार समिति की रिपोर्ट (खंड-दो) की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अधिकांश संस्तुतियां ज्यों की त्यों अथवा मामुली संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई है। उनमें से बहुत सी संस्तुतियां जो वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा सकती थी, वे पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है। अन्य संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिये नियम-विनियम परिवर्तित कर दिये गये हैं। 10 अगस्त 1973 से परिवर्तित नियमों को लागू कर दिया गया है। संबंधित मंत्रालयों के साथ सी० एस० आई० आर० के उपनियमों को दोहराने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

मख्य क्षेत्रों में की गई प्रगति इस प्रकार हैं :—

(1) सी० एस० आई० आर० के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करना :

सी० एस० आई० आर० के संस्था ज्ञापन की संबंधित धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया है। सी० एस० आई० आर० की शासी सभा और प्रयोगशालाओं का कार्यकारी परिषदों द्वारा विचारणीय उपयुक्त शर्तों के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को दोहराने/पुनः परिभाषित करने के लिये निवेदन किया गया है।

(2) विज्ञान और प्रोद्योगिकी के लिए योजना निकाय :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये एक राष्ट्रीय समिति गठित कर दी गई है। सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को दर्शाते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक योजना प्रारूप तैयार किया गया है और वह संसद के सामने रखा गया था।

(3) सी० एस० आई० आर० की शासी सभा/संस्था का पुनर्गठन :

प्रधान मंत्री को अध्यक्ष, सी० एस० आई० आर० और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को उपाध्यक्ष सी० एस० आई० आर० के रूप में सी० एस० आई० आर० के संस्था में पुनर्गठित किया गया है।

महानिदेशक को इस सभा के चेयरमैन के रूप में, सदस्य–वि 1 (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय–व्यय विभाग) और तीन बाहर के विशेषज्ञ, पांच समन्वय परिषदों के चेयरमैनों के साथ सी० एस० आई० आर० के शासी सभा में पुनर्गठन किया गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंडल (बी० एस० आई० आर०) को समाप्त कर दिया गया है।

(4) तकनीकी सचिवालय :

तकनीकी घटकों पर विशेष बल देते हुए प्रधानकार्यालय के ढांचे में परिवर्तन किया जा चुका है। इसके पांच मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है–योजना, प्रौद्योगिकी उपयोग, तकनीकी जनशक्ति, प्रशासन और वित्त। इसके अतिरिक्त अंतराष्ट्रीय संबंधों, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रगति और सूचना प्रणाली के लिये दूसरे सह—एकक हैं।

(5) निदेशक सम्मेलन और उद्योग संगोष्ठियां :

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन औपचारिक आधार पर रखा गया है और यह सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाता है। पिछला निदेशक सम्मेलन जनवरी 1974 को मद्रास में हुआ था। जब कभी इस प्रकार का सम्मेल्लन होता है निदेशक सम्मेलन का थोड़ा समय उद्योगों से गोष्ठी में मिलने का समय अलग से रखा जाता है। जनवरी 1974 का सम्मेलन बहुत ही सफल रहा था। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ भी अपने स्तर पर उद्योगों के साथ ऐसी गोष्ठीयां (गैट-टूगैदर) आयोजित करती हैं।

(6) प्रयोग शालाओं के दल :

प्रयोगशालाएं पहिले ही दलों में विभाजित कर दी गई है और छः समन्वय परिषदें गठित कर दी गई है। (रसायन विज्ञान, भौतिक-भू-विज्ञान, जैविक, इंजोनियरिंग विज्ञान, रेशा, सूचना) प्रयोगशालाओं का अतः अनुशासन, अन्तः प्रयोगशाला और प्रयोगशाला—उद्योग परियोजनाओं का एकीकरण करने के लिए क्रियाशील है। अंतः प्रयोगशालाओं और अंतः संगठनात्मक सीमाओं से अलग इस प्रकार की कार्यशक्ति इंडियन इंस्टीटयूट आफ टैक्नोलोजी विश्वविद्यालयों और अन्य को प्रदान की गई हैं।

(7) प्रयोग शालाओं की कार्यकारी परिषदें :

सरकार समिति को संस्तुतियों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों का गठन किया गया है। जिसमें प्रयोगशाला का निदेशक, चैयरमैन, परियोजना समन्वयक तीन, बाहर के तीन विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी सदस्यों के रूप में रहेंगे।

वित्त समिति, पदोन्नति समिति, कर्मचारी नीति समिति, पेटेन्ट तथा रोयल्टी संमिति, नियुक्ति समिति आदि कई समितियों कार्यकारी परिषदों की सहायता करती है।

(8) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं :

नवीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, पोलिटेक्नीक क्लिनिक्स सी०एस०आई०आर० काम्प्लेक्स सूचना, केन्द्र, क्षेत्रीय और विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने के लिये मार्गदर्शिका तैयार कर ली गई है।

(9) विश्वविद्यालयों का सम्पर्क :

अनुसंधान योजनाओं, वरिष्ठ/कनिष्ठ छात्रवृत्तियां और अनुसंधान अनुदानों के लिये नवीन मार्ग दर्शिका तैयार कर ली गई है। प्रयोगशालाओं के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की योजनाओं और छात्र-वृत्तियों का नवीनीकरण के लिये आवश्यक कदम उठा लिये गये हैं। इनके लिये कोश की व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। 66–2/3 प्रतिशत सी० एस० आई० आर० के और राष्ट्रीय प्राथमिकता की योजनाओंसे संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये और 33–1/3 प्रतिशत विज्ञान के मुख्य क्षेत्रों आदि के लिये।

(10) अनुसंधान का मूल्यांकन और उपयोग :

रासायनिक, अभियांत्रिकी, और सिविल इंजीनियरी के क्षेत्रों में परामर्श दल गठित किये जा रहे हैं।

(11) परामर्श और रोयल्टीज :

सी० एस० आई० आर० प्रविधियों/उत्पादों के वाणिज्यिकरण से प्राप्त रोयल्टी के वितरण के लिये मार्गदर्शिका तैयार कर लो गई है और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को मार्गदर्शन देने के लिये प्रतियां भेज दी गई है।

परामर्श संबंधी सेवाओं का मार्गदर्शिका को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(12) कर्मचारी नीतियां :

सी० एस० आई० आर० की शासी सभा ने श्रेणी चार, तीन-दो के पदों के परिवर्तित वेतनमानों को मान्यता दे दी है और वर्तमान सत्तर वेतनमानों से कम करके चौदह वतनमान कर दिये हैं। कार्य विवरणिका के अनुसार कार्य के आधार पर पदों की नियुक्तियों को देखने के लिये एक कोर कमेटी नियुक्त कर दी गई है। शासी सभा ने इस बात का भी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये जोवन में ऊपर उठने के अवसर और पदोन्नति प्रणाली होनी चाहिये।

(13) वित्त-बजट—लेखा :

वित्त बजट और लेखा परीक्षा संबंधी सरकार कमेटी के संस्तुतियों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई कमेटी को सिफारिशों के अनुसार सी० एस० आई० आर० के ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है।

(i) **उच्च स्तर पर वित्तिय सलाह** :—सी० एस० आई० आर० के वित्तीय मामलों में भारत सरकार के सचिव स्तर का एक वित्तीय सदस्य सी० एस० आई० आर० की शासी सभा में अब है।

(ii) **प्रधान कार्यालय स्तर पर वित्तीय सलाह** :—महानिदेशक सी० एस० आई० आर० और सचिव भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय मामलों पर वित्तीय सलाह देने के लिये महानिदेशक के सहायता अन्त: वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रदान की जायेगी। अन्त: वित्तीय सलाहकार सी० एस० आई० आर० का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा।

इस प्रकार की वित्तीय सलाह की प्रणाली प्रयोगशाला स्तर पर भी लागू की जा रही है।

(iii) **बजट प्रणाली और वित्तीय नियंत्रण** :—प्रयोगशाला/संस्थान का वार्षिक बजट प्रयोगशाला का कार्यकारी परिषद और वित्तीय कमेटी द्वारा मान्य किया जायेगा।

महानिदेशक की ओर से अन्त. वित्तीय सलाहकार समस्त प्रयोगशालाओं के बजट प्रस्तावों को जांचेगे और संपूर्ण बजट प्रस्ताव सी० एस० आई० आर० के महानिदेशक और शासी सभा के विचारार्थ रखा जाएगा।

आसाम में उद्योग स्थापित करना

5017. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **उद्योग ओर नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आसाम में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये है जिनका परिचय एक करोड़ रुपये या इससे अधिक था।

(ख) ये कारखाने कहां-कहां पर स्थापित किये गये है और उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रगति की दृष्टि से प्रादेशिक असन्तुलन कम करने के लिये औद्योगिक दृष्टि से इस पिछड़े क्षेत्र में और कारखाने स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बाते क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) असम राज्य और उसके पिछड़े क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :--

1971--1974 (जनवरी से अक्तूबर) के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या

	1971	1972	1973	1974
असम . . .	5	12	4	9
असम के पिछड़े क्षेत्र . .	4	6	3	3

इन एककों के स्थापना-स्थलों और उद्योगों की किस्म के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में जिन उद्योगों की वृद्धि की सम्भावना है उन्हे प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार निरन्तर-प्रयास करती रहगी।

Use of Birsinghpur Colliery water waste

5018. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether he is aware that a huge quantity of water is thrown out of the mine of Birsin ghpur Colliery in Shahdol District which if collected in a dam found can be made available to the nearby rural areas therefrom ;

(b) whether any survey has been made in this direction and if so, the facts thereof; and

(c) the steps likely to be taken in regard to utilisation of this water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दिया जाना

5019. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पेंशन मंजूर की गई है जिनकी मासिक आय 500 रूपये से अधिक है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था है जिनकी वार्षिक आय 5000 रूपये से कम है। बत्तीस ऐसे मामले ध्यान में आये हैं जिनमें प्रतीत होता है कि सभी साधनों से आवेदकों की वार्षिक आय के बारे में गलत बयानों से पेंशन प्राप्त की गई है। ऐसे सभी मामला में आगे जांच पड़ताल होने तक पेंशन स्थगित कर दी गई हैं।

Expenditure on the Detention of Sheikh Abdullah

5020. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) when and for what periods the former Prime Minister of Kashmir, Shri Shaikh Abdullah, had been arrested each time ;

(b) the charges levelled each time ;

(c) the expenditure incurred each time on his detention ; and

(d) the final outcome in each case ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahamananda Reddi) : (a) and (b) Shaikh Mohammad Abdullah was arrested and detained by the Government of Jammu and Kashmir under the State Preventive Detention laws for the periods noted below :—

(i) 9-8-1953 to 8-1-1958 :

(ii) 30-4-1958 to 8-4-1964 :

(c) The amount of expenditure incurred by the State Government on account of Sheikh Abdullah's detention is not readily available.

(d) On both occassions, the State Government had decided to release him at the end of the relevant detention periods.

Ten Cities with largest number of Radio sets

5021. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of first ten cities in the country with largest number of radio sets ; and

(b) the number of the radio licences there ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) There is no machinery to accurately assess the total number of radio sets in any city. However

the number of licences issued is available. The names of first ten big cities in the country where there are the largest number of radio licences as on 30th June 1974 are given below:—

1. Delhi
2. Bombay
3. Calcutta
4. Madras
5. Bangalore
6. Poona
7. Ahmedabad
8. Hyderabad
9. Nagpur
10. Mysore

(b) The number of radio licences as on 30 June, 74 in the respective cities are given below :—

	No. of licences as on 30-6-74
Delhi	7,92,066
Bombay	7,16,250
Calcutta	2,74,709
Madras	2,09,800
Bangalore	1,90,134
Ahmedabad	1,68,959
Poona	1,28,204
Hyderabad	92,927
Nagpur	73,103
Mysore	72,782

पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वसन

5022. **श्री विक्रम महाजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1974 और नवम्बर, 1974 के बीच पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) के कितने विस्थापितों को राजस्थान में बसाया गया और कितने विस्थापितों को अभी तक बसाया जाना है ; और

(ख) इनका पुनर्वास शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

उर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जुलाई से नवम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान पोंग बांध के 631 विस्थापितों ने राजस्थान नहर क्षेत्र में उन्हें आबंटित भूमि का कब्जा लिया ।

नवम्बर, 1974 के अन्त में राजस्थान के प्राधिकारियों के पास आबंटन के लिए 754 प्रार्थना-पत्र निलम्बित पड़े थे और हिमाचल प्रदेश के प्राधिकारियों के पास लगभग 1,200 प्रार्थना-पत्र संवीक्षा के लिए निलम्बित पड़े थे ।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के मध्य पारस्परिक सहमति से तय हुए कार्यक्रम के अनुसार विस्थापितों का राजस्थान के क्षेत्र में स्थानान्तरण प्रगति पर है।

देश में आपात स्थिति समाप्त करने के प्रति राज्यों की आपत्तियां

5023. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति समाप्त करने के बारे में कुछ राज्यों ने आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने इसके क्या कारण बताये हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) इस विशिष्ट प्रश्न के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अभी तक कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है।

हंगेरी से माइक्रावेव उपकरण का आयात

5024. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और हंगेरी के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत हंगेरी भारत को माइक्रोवेव संचार उपकरण प्रदान करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) माइक्रोवेव उपस्कर सप्लाई करने के लिए हंगेरी के मेसर्स बुडा-वोक्स और भारतीय डाक-तार विभाग के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) (i) करार के मुताबिक मेसर्स बुडावोक्स (क) बम्बई-मद्रास-त्रिवेंद्रम।

(ख) दिल्ली-जालंदर-जम्मू-श्रीनगर,

(ग) कानपुर-इलाहाबाद-जबलपुर-नागपुर, और

(घ) पटना-मुजफ्फरपुर मार्गों के लिए लगभग 3800 किलोमीटर का माइक्रोवेव उपस्कर और साज-सामान सप्लाई करेंगे।

(ii) इस करार का कुल मूल्य अनुमानतः ७88 लाख रुपये है।

(iii) अनुसंधान के सहयोग और उत्पादन की जानकारी के परस्पर लेन-देन से संबंधित धाराएं भी इस करार में शामिल की गई हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बार-बार होने वाले परिवर्तन

5025. **श्री ए० सी० सामन्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों के प्रसारणों के समय, अवधि तथा प्रस्तुतीकरण में आकाशवाणी से अन्य माध्यमों के द्वारा पर्याप्त प्रचार किये बिना तथा ऐसे परिवर्तनों की काफी समय पूर्व सूचना दिये बिना ही इतनी जल्दी बार-बार परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कुछ परिवर्तन तो एक सप्ताह से भी कम अवधि की सूचना देकर ही कर दिये गये हैं और ऐसी सूचनाओं को भी बार-बार प्रसारित तथा प्रचारित नहीं किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) समाचार बुलेटिनों के समय में सामान्यतया समाचारपत्रों में प्रचार सहित पर्याप्त अग्रिम प्रचार किए बिना परिवर्तन नहीं

किया जाता। आकाशवाणी को कभी-कभी महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रमों या अधिक सामयिक रुचि वाले कार्यक्रमों को सम्मिलित करने के लिए समाचार बुलेटिनों सहित अन्य निर्धारित कार्यक्रमों को बदलना पड़ जाता है। किन्तु इसकी श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से और यथासमय समाचारपत्रों के माध्यम से भी पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाती है। वह यह परिपाटी लगभग सभी प्रसारण केन्द्रों में आम हैं।

निर्धारित कार्यक्रमों में मूल परिवर्तनों को सामान्यतया समाचारपत्रों के माध्यम से और रेडियो पर अग्रिम रूप से अच्छी तरह प्रचारित किया जाता है।

पंजाब में बिजली संकट

5026. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के उद्योगों को बिजली की सप्लाई में कटौती बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पंजाब में बिजली की अत्यधिक कटौती के कारण बहुत से श्रमिकों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने तथा प्रभावित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हाल में, पंजाब में उद्योगों बिजली की कटौती की 60% से घटाकर 50% कर दिया गया है।

(ख) इस मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित टेलिविजन सेट

5027. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में वितरण के लिये ई० सी० आई० एल० द्वारा जिन 2400 सेटों के बनाये जाने की आशा है उनमें से पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के लिये कितने टेलीविजन सेट (कम्युनिटी सेटेलाइट टेलीविजन सेट) निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) वहां टेलीविजन सेटों से प्रदर्शन कार्यक्रम कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल उपग्रह टेलीविजन संचार प्रयोग के अन्तर्गत शामिल नहीं है, अतएव उपग्रह से सीधे रिसेप्शन के लिये उपयुक्त वहां कोई वर्धित सेट नहीं लगाए गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण

5028. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गत छः महीनों के दौरान भारत में विशेषतः हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ; और

(ख) चालू वर्ष के लिये लक्ष्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तयार किया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक वित्त-पोषक अभिकरण है और यह राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योगात्मक धन की व्यवस्था करता है।

1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 की अवधि के दौरान देश में लग-भग 3,300 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। इनमें हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत किए गए 147 गांव शामिल हैं।

(ख) 1974-75 के दौरान देश में 11,818 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत किए जाने वाले 600 गांव शामिल हैं।

Bequeathal of movable and immovable or property to the nation by late Shri V. K. Krishna Menon

5029. **Shri Lalji Bhai :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the late Shri V. K. Krishna Menon has bequeathed all his movable and immovable property to the nation after his death ;

(b) if so, the details of his movable and immovable property ; and

(c) whether in his will he has requested her to utilize his property in manner as she decides ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c) A Will and Testament signed by Shri V. K. Krishna Menon dated 1-10-1974, attested by two witnesses, was found in an envelops at his New Delhi residence on 2nd November, 1974. It purports to be in addition to, and apart from, a Will executed by him in April 1974 in respect only of his tarwad and tavashi properties, movable and immovable. The Will states as follows :

"By this Will I hereby give and bequeath absolutely to Nation all my properties and interests, movable and immovable (other than my tarwad and tavashi properties already bequeathed) situated in India, England and elsewhere,

It is my wish and desire that the Prime Minister be pleased to accept the bequest made herein on behalf of the Nation, and employ the same in any manner and whatever purpose or object she may deem fit and proper in her absolute discretion."

The details of his movable and immovable properties are not yet known, The tarwad and tavashi properties referred to above have, by another Will, been bequeathed to designated individuals.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय

5030. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री एस० एम० सिद्दया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने यह विचार किया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को अपेक्षित सभी आंकड़े सीधे उसके अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों से, जो केवल उसके प्रति उत्तरदायी है, लेने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सूचनाएं उनके द्वारा निर्धारित समान नियमों के अनुसार प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सांविधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त को अपेक्षित जानकारी सीधे उसके अन्तर्गत एक स्वतंत्र संगठन से लेनी चाहिए न कि इस कार्य के लिए ऐसे सरकारी संगठन पर निर्भर रहा जाये जिसके कार्य का संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे स्वयं देखना पड़ता है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) विधि मंत्रालय ने 1951 में कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सही तथा विश्वसनीय है यह आवश्यक है कि आंकड़े, जिन पर वे (रिपोर्ट) आधारित हैं, समान तरीके तथा समान मानक अपनाने वाली किसी स्वतंत्र तथा निष्पद निष्पक्ष एजेंसी द्वारा एकत्र व मूल्यांकित किये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यह पता करना स्वयं विशेष अधिकारी का काम है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण का कार्य कैसे चल रहा है, वे कहां तक कारगर है और क्या वे पर्याप्त है।

यद्यपि आयुक्त सरकारी एजेंसियों और अन्य श्रोतों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं तथापि इस प्रकार एकत्र की गई सूचना का मूल्यांकन करने के लिए उनका अपना संगठन है और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जहां आवश्यक होता है, अतिरिक्त सूचना एकत्र करते हैं।

तस्करी के कार्यों में पाकिस्तानियों का अन्तर्ग्रस्त होना

5031. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पकड़े गये तस्करों में कुछ पाकिस्तानी हैं जो काफी समय से पाकिस्तान के लिये जासूसी कर रहे हैं और यहां भली भांति बसे हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पांचवी योजना में उड़ीसा के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

5032. **श्री चिन्तामणि पाणिगृही :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यों का कार्यक्रम बताया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा को इन कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) जी, हां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में पांचवीं योजना के लिए उड़ीसा सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनकी रूप-रेखा दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल प्रस्तुत है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8803/74।)**

(ग) योजना आयोग ने उड़ीसा की पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के अन्तर्गत 157.78 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है जबकि राज्य सरकार ने 589.82 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव भेजे हैं।

नागालैण्ड में सैनिक कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध

5033. श्री नुरूल हुडी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के वित्त मंत्री ने सरकार से नागालैण्ड में सैनिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिये अनुरोध किया है जिससे भारतीय संविधान के ढांचे के अन्दर राज्य सरकार तथा छुपे हुये नेताओं के बीच शान्ति समझोते में बाधा पड रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Number of Telephones in M. P.

5034. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone subscribers in Madhya Pradesh ;

(b) the average number of persons against one telephone in the country and the position in Madhya Pradesh in this regard ; and

(c) the steps being taken by Government to set up more telephone exchanges in Madhya Pradesh ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) 46975.

(b) On an average there is one telephone for every 480 persons in the country ; in Madhya Pradesh the average works out to 894 persons against one telephone.

(c) A Telephone Exchange is opened if the project for the same is found to be technically and financially viable. Except in places where there is sudden growth of telephone demand due to setting up of industrial townships etc. opening of long distance, Public Call Offices usually precedes opening of telephone exchanges. Normally opening of a small automatic Telephone exchanges, becomes feasible when the total demand concentrated or scattered in a small area, is 16 or so Based on these criteria, General Manager, Telecom, Madhya Pradesh Circle has sanctioned projects for opening 38 small automatic exchanges. These will be installed as soon as stores are available. Other cases will be reviewed as and when justified.

अमरीकी निवेशकों द्वारा भारत के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए दिखाई गई रुचि

5035. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी निवेशक देश के आर्थिक विकास में सहयोग करने में रुचि रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी निवेशको ने किन-किन क्षेत्र में रुचि प्रदर्शित की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) और (ख) सरकार ने 1974-75 (अप्रैल से सितम्बर 1974) के पूर्वार्थ में अमरीकी पूंजी निवेश के 5 विदेशी सहयोग प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है जिसमें 109 लाख रुपये तक पूंजीगत सहयोग निहित है। यह सहयोग निर्यातोन्मुख योजनाओं सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जायेगा। इन उद्योगों में ट्रैक्टर, हाई टैम्परैचर पावर तथा केबल और मेकेनीकल सीलें सम्मिलित हैं। डिजल पैन्टस, टैनिस, तथा बेडटिन के रैकेट निर्यातोन्मुख योजनाओं में आते ह।

अमरीकी पूंजी सहभागिता के चार विदेशी सहयोग प्रस्ताव सरकार द्वारा विचार के विभिन्न स्तरों पर है। ये प्रस्ताव आटोमोटिव बैटरी, पोर्टेबल इलक्ट्रिक टूल्स, गहरे समुद्रों में मछली पकड़ना, दायक सहित सिलीकोन नियन्त्रित रेक्टी फायरों के उद्योगों से सम्बन्धित हैं। इन प्रस्तावों या भविष्य में प्राप्त होने वाले अन्य प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विद्यमान नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

जयप्रकाश नारायण द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में बैठक बुलाया जाना

5036. **श्री सी० के० चद्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने बिहार जैसे आन्दोलन को विस्तृत और व्यापक बनाने हेतु योजना बनाने के लिये हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी;

(ख) ऐसी गतिविधियों के लिये छात्र संघ कार्यालय को उपयोग में लाने के लिये किसने अनुमति दी; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि छात्रों के एक बड़े समुदाय ने छात्र संघ कार्यालय तथा प्राधिकार के इस दुरुपयोग पर रोष प्रकट किया था?

गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में 23 और 24 नवम्बर, 1974 को "आल इंडिया स्टुडेन्टस एण्ड युथ" की एक बैठक हुई थी। बैठक में, जो श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा संबोधित की गई थी, बिहार आन्दोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करने का निश्चय किया गया था।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने स्वयं अपने कार्यालय में बैठक करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, संघ के भवन पर जिसमें उसके कार्यालय हैं, प्रशासनिक नियंत्रण है।

(ग) इस संबंध में नेशनल स्टुडेंटस यूनियन आफ इंडिया की दिल्ली युनिट द्वारा जारी किया गया एक वक्तव्य जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, ध्यान में आया है।

अन्तर्जातीय विवाह

5037. **श्री एम० श्रीकान्तन नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा देने के लिए लोगों में अन्तर्जातीय तथा अन्तर्धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले ऐसे पतिपत्नी के बच्चों को छात्र-वृत्तियां और/अथवा वित्तिय सहायता देने का है जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति अथवा अनसूचित जनजाति का हो?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केरल, तमिल नाडु और पांडिचेरी सरकारों की ऐसी योजनाएं हैं, जिनके अधीन उन व्यक्तियों को, जो ऐसे पक्षों से अन्तर्जातीय विवाह करें जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति हो, नकद इनाम/प्रमाणपत्र/स्वर्ण पदक दिए जाते हैं।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

बन्दियों को हथकड़ियां लगाने तथा बेड़ियां डालने का प्रश्न विधि आयोग को सौंपने का प्रस्ताव

5038. **श्री भागिरथ भंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बन्दियों तथा अभियोगाधीन व्यक्तियों को हथकड़ी लगाने तथा बेड़ियाँ डालने सम्बन्धी प्रश्न को विधि आयोग को सौंपने का है क्योंकी देश में ऐसी भावना व्याप्त है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस बीच सरकार का विचार कुछ परिवर्तन करने का तथा संबंधित नियमों को उदार बनाने का है ताकि एक स्वतंत्र देश में व्यक्तियों के सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में बच्चों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बूढ़े व्यक्तियों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्तियों तथा बौद्धिक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर लागू होने वाले नियमों में भी संशोधन करने का है, ताकि उन्हें परिहार्य अपमान का सामना न करना पड़े, और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) बन्दियों और अभियोगाधीन व्यक्तियों को हथकड़ियां लगाने और बेड़ियां डालने का प्रश्न विधि आयोग को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकारें, जो भी परिवर्तन आवश्यक हों, करने के लिए सक्षम हैं। वास्तव में स्वाधीनता बाद संशोधित किये गय राज्य पुलिस मैनुअल और जेल मैनुअल इन की व्यवस्था करने में पूर्णत: उदार हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अभियोगाधीन बंदियों के अनुरक्षण के समय हथकड़ियों का प्रयोग ऐसे मामलों तक सीमित रखने की भी सलाह दी है जहां बंदी एक कुख्यात बदमाश हो और अन्यथा हिंसा कर सके अथवा भाग निकलने का प्रयास करे। जेल के भीतर किसी जेल अपराध के लिए दण्ड के रुप में ही हथकड़ियां लगाई जाती हैं और बेड़ियां डाली जाती हैं।

रुमानिया की सहायता से छिद्रण (ड्रिलिंग) उपकरणों का निर्माण

5039. **श्री माधुर्य हालदर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया की सहायता से भारत विभिन्न प्रकार के बहुत से छिद्रण उपकरणों का निर्माण करेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रुप-रेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जॉर्ज) : (क) रुमानिया की सहायता से ड्रिलिंग उपकरणों के निर्माण पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खान श्रमिकों द्वारा हड़ताल की धमकी

5041. **डा० रानेन सेन :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्मिक संघो की संयुक्त समिति का विचार कोयला खान क्षेत्रों में दो दिनों के लिए हड़ताल करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

7—45 LSS/74

(ग) क्या वर्ष 1967 से कोयला खान श्रमिकों की मजूरी का पुनर्विलोकन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और वर्ष 1973 में मजूरी ढांचे में की गई द्विपक्षीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला उद्योग के अनेक मजदूर संघों ने 24 और 25 नवम्बर, 1974 को 2 दिनों की हड़ताल करने का नोटिस दिया था। परन्तु हड़ताल नहीं हुई।

(ग) और (घ) मजदूरों में सामान्य वृद्धि के बारे में एक समझौते पर संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति की बैठक में 11-12-1974 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये वृद्धि 1-1-1975 से लागू होगी।

अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध जी० एन० पी० की प्रतिशतता

5042. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल जी० एन० पी० का कितना प्रतिशत अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध किया गया है; और

(ख) क्या यह अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ?

उद्योग और नागरिक तथा पूर्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) यह अनुमान है कि अनुसंधान और विकास तथा सम्बन्धित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवाओं पर 1973-74 वर्ष के दौरान, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 0.6% व्यय किया गया था।

(ख) उन क्षेत्रों के विस्तार की जिन में अनुसंधान एवं विकास प्रयास को फैलाना है तथा प्रौद्योगिक विकास पर होने वाले भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास के लिए इस समय जो साधन जुटाए जा रहे हैं उनको पर्याप्त नहीं समझा जाता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्मित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकि योजना में अनुसंधान और विकास तथा सम्बन्धित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सेवाओं पर पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 0.9% (प्रतिशत) व्यय करने का अनुमान है। औद्योगिकृत देशों का अनुभव बताता है कि अनुसंधान एवं विकास पर निवेष अवसीमा निर्धारित संवृत्ति है और कई देशों में यह अवसीमा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की लगभग एक प्रतिशत है।

हरिजनों की शिक्षा सम्बन्धी शिकायतें

5043. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने प्रधान मंत्री के इस निदेश का पालन किया है कि हरिजनों की शिक्षा संबंधी शिकायतों की जांच के लिए विभाग खोले जायें; और

(ख) इन लोगों को शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में जांच के लिए ये विभाग क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को जिस विभाग की सिफारिश की गई थी उसका उद्देश्य हरिजनों, जनजातियों इत्यादि से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटाना था। इस संबंध में 20 नवम्बर 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 के लिये इस सदन में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Honorary Magistrates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5044. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) whether the posts of Honorary Magistrates have been abolished throughout the country ; and

(b) if not, the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes working on the posts of Honorary Magistrates throughout the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The system of appointing Honorary Magistrates under the old Code of Criminal Procedure has been abolished ;

(b) Does not arise,

डाक तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक

5045. **श्री सूरजू पांडे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के डाक व तार विभाग में कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं;

(ख) उनकी मासिक मजूरी कितनी है;

(ग) उनको नैमित्तिक श्रमिक बनाए रखने से सरकार की कितनी बचत होती है; और

(घ) प्रतिदिन उनके 8 घंटे के काम से सरकार कितना काम पूरा करा लेती है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इस लोक-सभा के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) नैमित्तिक मजदूरों की मजदूरी में एक इलाके से दूसरे इलाके में फर्क होता है। यह मजदूरी उसी प्रकार के काम के लिए बाजार की दर पर या उस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई कम से कम मजदूरी की दर पर निर्भर करती है और इनमें से जो भी ज्यादा हो, वह दी जाती है।

(ग) नैमित्तिक मजदूरों को सिर्फ नैमित्तिक काम पर ही नियुक्त किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की बचत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इनसे जो काम लिया जाता है, वह आमतौर पर अदा की गई मजदूरी के बराबर ही होती है ।

पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर बेंत चार्ज

5046. **श्री रामायण चन्द पाराशर :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 22 नवम्बर, 1974 को चन्डीगढ़ में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर किए गए बेंत चार्ज की जानकारी है, जिसके फलस्वरुप दो विद्यार्थी तथा तीन लेक्चरार बुरी तरह से घायल हुए और घायल विद्यार्थी अस्पताल में दाखिल किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने तथा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में व्यापक असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 22 नवम्बर, 1984 को कुछ विद्यार्थी और पुलिस के कर्मचारी उस समय घायल हो गए थे जब कि पुलिस ने हिंसक विद्यार्थियों की एक भीड़ द्वारा, जो कि एक परीक्षा-पत्र में अंक देने में बरती गई सख्ती के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिये कार्यवाही की थी। चंडीगढ़ के सारे शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेध-आदेश लागू किए गए और तत्पश्चात स्थिति सामान्य हो गई।

(ख) स्थिति का पता किया जा रहा है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० इण्डस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव्ह थिरफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

5047. श्री भोला मांझी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 28 के अनुसार किसी सहकारी समिति में महासभा के सदस्योंके अन्तिम अधिकार प्राप्त हैं;

(ख) क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थिरफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों को जिन्होंने देय राशि का भुगतान नहीं किया है, महासभा की बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के अधिकार से वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सोसाइटी के उपनियम, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सोसाइटी को रजिस्ट्रार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये गये हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1973 के नियम 38 के अनुसार कोई भी सदस्य किसी चुनाव के लिए निश्चित की गई बैठक में मत देने का पात्र नहीं है, यदि ऐसी बैठक की तरीख से 30 दिन पहले की तारीख को वह ऐसा बाकीदार है, जिसके विरुद्ध धारा 61 के अधीन डिग्री जारी की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद उद्योग समूह के उत्पादन पर बिजली की कटौती का प्रभाव

5048. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई में आठ दिवसीय पूर्ण कटौती लागू करने से फरीदाबाद उद्योग समूह में उत्पादन में बहुत अधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या इस कटौती के परिणामस्वरुप उक्त अवधि के लिए 70,000 श्रमिकों को जबरन छुट्टी और 16 करोड़ रु० की उत्पादन क्षति होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कृषि-पम्पों के लिए विद्युत सप्लाई करने के उद्देश्य से, 22 नवम्बर से 29 नवम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान फरीदाबाद औद्योगिक काम्पलेक्स में सभी उद्योगों पर विद्युत की पूर्ण कटौती लागू की गई थी। हरियाणा

सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इसके परिणामस्वरुप इस अवधि के दौरान 12 करोड़ रुपये की उत्पादन संबंधी हानी हुई और लगभग 50,000 से 55,000 कार्मिक अस्थाई तौर पर बेरोजगार हो गए थे ।

Deployment of B. S. F. and C. R. P. in Bihar

5049. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Reserve Police and B. S. F. personnel deployed in various districts in Bihar during the last 8 months indicating the names of those districts ;

(b) the names of the places where they had to resort to firing and lathi charge during these 8 months indicating the number of times it was done ; and

(c) the number of C. R. P. and B. S. F. personnel injured or killed and the number of persons killed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Statements are attached. [*Placed in the Library See No. L. T.* 8804/74].

(b) and (c) During the period from April, to November 1974 the BSF/CRP resorted to firing 12 times+Lathi-charged 17 times at Gaya, Bhagalpur, Begusarai, Kurtha Motihari, Saharsa, Chhapra, Madhaura, Muzzafarpur, Siwan, Monghyr, Mokamehghat Patna, Sasaram, Darbhanga & Jalalpur where they were deployed for law and order duties. 14 civilians were killed and 47 injured. 67 CRP personnel were also injured.

राजस्थान में सीमेन्ट की मांग तथा उसकी सप्लाई

5050. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) गत कोटे में से राजस्थान को कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया ;

(ग) सप्लाई किया गया सीमेंट अनुमानित औसत मांग की तुलना में कितना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लगभग 5.2 लाख मीट्रिक टन ।

(ख) से (घ) सर्वप्रथम 1 जुलाई 1973 से 30 जून 1974 की अवधि के लिये राज्य-वार कोटे नियत किये गये थे। उपर्युक्त अवधि के लिये राजस्थान राज्य के लिये 4.46 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का कोटा नियत किया गया था। किन्तु अपर्याप्त उत्पादन के कारण तिमाही कोटों में कटौतियां की गयी थीं तथा उपर्युक्त अवधि के लिये राजस्थान राज्य का वास्तविक कोटा 4,10,300 मीट्रिक टन रहा । इस वास्तविक कोटे में से उपर्युक्त अवधि के दौरान 383000 मीट्रिक टन सीमेंट की मात्रा भेजी गयी थी। इस तरह सप्लाई में लगभग 6.7 प्रतिशत की कमी हुई। यदि उत्पादन वृद्धि हुई और सीमेंट उपलब्ध हुई तो भविष्य में जहां राज्य के लिये आबंटित वास्तविक कोटे में वास्तविक सप्लाई काफी कम रही है उनकी कमी पूर्ति करने के प्रयास किये जायेंगे ।

खान मालिकों को मुआवजा

5051. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री भालजीभाई परमार :

क्या **ऊर्जा मंत्री** 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी प्रबन्ध में किसी भी मालिकों की ओर से किसी भी बैंक को कितनी राशि का भुगतान किया है और इनका भुगतान किन तिथियों को किया गया था;

(ख) भुगतान आयुक्त को उपरोक्त ने कितनी राशि का भुगतान किया है तथा भुगतान किस तिथि को किया गया है;

(ग) उन लेखा परीक्षकों को टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मालिकों को लिखित सहमति के बिना देनदारी के भुगतान के बारे में सरकार/मालिक कम्पनियों की ओर से 17-10-71 से 30-4-72 को लेखों की लेखा परीक्षा की थी; और

(घ) क्या लेखा परीक्षित लेखे कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VI के अनुरुप हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी दिल्ली में उड़िया भाषा में समाचार प्रसारित किया जाना

5052. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी, दिल्ली में उड़िया भाषा में समाचार का प्रसारण बंगाली तथा हिन्दी के अनुरुप नहीं है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उड़िया में समाचारों का पढ़ा जाना ठीक समझा जाता है।

(ख) 14-5-1974 को प्रसारित एक केन्द्रीय उड़िया समाचार बुलेटिन का एक रैन्डम नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) समाचारों का पढ़ा जाना संतोषजनक पाया गया।

Supply of Power to Industries in Madhya Pradesh

5053. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a reduction has been effected in the supply of power to the industries in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the extent to which the industries have been affected ; and

(c) the criteria for fixing the quantity of power for the industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) There is no reduction in the supply of power to the industries as there is no power cut in Madhya Pradesh.

(b) & (c) Do not arise.

लद्दाक में अन्तरिक्ष सम्बन्धी नई परियोजनाओं की स्थापना

5054. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी सम्बन्धी नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिक ऊंचाई पर स्थित लद्दाखी क्षेत्र को चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दर में वृद्धि

5055. **श्री० एम कतामुतु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बिजली की दर में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली में विद्युत की सप्लाई के लिए टैरिफ निर्धारित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह ज्ञात हुआ है कि विद्युत के उत्पादन और वितरण की लागतों में वृद्धि होने के कारण, दिल्ली में बिजली की दरों को बढ़ाने का एक प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ।

हंगरी को कोक भट्ठी संयंत्र की सप्लाई

5056. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हंगरी को उसके द्वारा इस्पात संयंत्र के लिए एक पूर्ण कोक भट्टी सप्लाई करने के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसरण में हंगरी का एक प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर, 1974 के मध्य में भारत आया और हंगरी में दूना इस्पात संयंत्र के लिये कोकभट्टी बैटरी की सप्लाई के लिए टर्नकी प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस् (इण्डिया) लिमिटेड और मेटालर्जिकल और इंजीनियरिंग कन्सल्टेंटस् लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के प्रमुख संगठनों के साथ बातचीत की । यह प्रतिनिधिमण्डल भारत में कोक-भट्टी संयंत्रों में भी गया और डिजाइन और निर्माण करने, संस्थापन और चालू करने की भारतीय संगठनों की क्षमताओं के बारे में विचार-विमर्श किया ।

एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल स्थापना स्थल की स्थितियों और तकनीकी विशिष्टियों और उपयुक्त तकनीकी आर्थिक प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकताओं का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए इस समय हंगरी के दौरे पर है। इस प्रस्ताव से दोनों पक्षों के बीच अंतिम बातचीत का आधार बनेगा।

किलमसारी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के वेतन मानों का संशोधन

5057. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलमसारी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतनमानों का अभी हाल में संशोधन लिया गया है और उनमें वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और इसी आधार पर श्रमिकों के वेतनमानों का संशोधन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : कलमसेरी एकक समेत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सभी अधिकारियों के वेतनमान हाल ही में संशोधित किये गये हैं। विभिन्न एककों के श्रमिकों के वेतन मानों में संशोधन करने के प्रश्न पर अभी बात-चीत हो रही है।

एच० एम०-टी० क्राफ्टसमैन वैल्फेयर एसोसिएशन की मांगे

5058. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० क्राफ्टसमैन वैलफैयर एसोसिएशन ने कलमसारी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के प्रबन्धकों के सामने कुछ मांगें रखी है, और

(ख) यदि हां, तो वे मांगे किस प्रकार की हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क), जी, हां।

(ख) मांगों का संबंध मजदूरी में संशोधन, उत्पादन बोनस आदि जैसे विभिन्न मामलों से है। केरल सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में समझौता कार्यवाही कर दी है।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में टेलिफोन कालों में अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में शिकायतें

5059. **श्री नारायणचन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली टेलीफोन जिलों में टेलीफोन कालों के अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) अधिक राशि के बिल न बनाने देने के लिए क्या कारवाई की गई है तथा क्या इस कार्य के लिए डाक तथा तार विभाग के किसी कर्मचारी को दण्ड दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली टेलीफोन जिलों के चालू वर्ष के पहले छह महीनों और पिछले दो वित्तीय वर्षों के उसी अवधि के दौरान अधिक रकम के बिलों संबंधी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या नीचे दी गई है :--

	1-4-74 से 30-9-74 तक	1-4-73 से 30-9-73 तक	1-4-72 से 30-9-72 तक
बम्बई	14124	19990	28996
कलकत्ता	4743	5301	5841
मद्रास . . .	1575	1612	791
दिल्ली . . .	1972	2416	3990

(ग) और (घ) अलबत्ता, उपभोक्ताओं के मीटरों को निश्चित अन्तरालों पर जांच करने और ट्रंककाल टिकटों का साफ साफ लिखने और उनको सही टेलीफोन नम्बर, के अनुसार छंटाई करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली टेलीफोन के बिलों की शिकायतों को जांच करने के लिए श्री जग-प्रवेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई थी और उस समित ने जो विभिन्न सुझाव दिए हैं, उन की जांच की जा रही है। इन चारों टेलीफोन जिलों में ज्यादा रकम के बिल के संबंध में डाक तार विभाग के किसी भी कर्मचारी को दंड नहीं दिया गया है।

संगीत तथा नाटक प्रभाग को शिमला से जालन्धर स्थानान्तरण करने के बारे में अभ्यावेदन

5060. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला स्थित संगीत तथा नाटक प्रभाग के एक यूनिट को इस बीच जालन्धर स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या इसको वापिस शिमला स्थानान्तरित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) गीत और नाटक प्रभाग के शिमला स्थित प्रादेशिक केन्द्र की चार सीमावर्ती प्रचार मंडलियों में से दो मंडलियों को कुछ प्रशासनिक स्टाफ सहित, जलंधर स्थानान्तरित किया गया है।

(ख) जिन दो मंडलियों को शिमला से जलंधर स्थानान्तरित किया गया है, वे पंजाबी भाषी क्षेत्रों में कार्यक्रम देने के लिये हैं। इसलिये इन मंडलियों के मुख्यालय को इनके कार्य-क्षेत्र के अन्दर रखना अधिक सुविधाजनक समझा गया। इन मंडलियों को वापस शिमला स्थानान्तरित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में सहायक उद्योगों की स्थापना

5061. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों तथा विशेषकर इंजीनियरों को खपाने हेतु गोआ में प्रत्येक उद्योग के निकट सहायक उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) सरकार की स्वीकृत नीति संघ शासित क्षेत्र गोआ सहित देश भर में प्रत्येक उद्योग के निकट जहां कहीं भी संभव हो, सहायक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने की है। इंजीनियरी के स्नातकों को कच्चे माल, हिस्से और अतिरिक्त पुरजों का आयात करने के लिये प्राथमिकता देना और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० से किराया-खरीद पर मशीनें खरीदने के लिए रियायती दर पर ब्याज लेना जैसी कुछ विशेष सुविधाओं/प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा आरम्भ किया गया विस्तार कार्यक्रम

5062. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संकट दूर करने के लिये एक महत्वकांक्षी विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय दामोदर घाटी निगम की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1181 मैगावाट है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस विद्युत उत्पादन क्षमता में नीचे लिखे अनुसार 680 मैगावाट की वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

चन्द्रपुर तापीय विस्तार	240 मै० वा०
बोकारो तापीय विस्तार	200 मै० वा०
दुर्गापुर तापीय विस्तार	200 मै० वा०
पंचेत हिल जल-विद्युत विस्तार	40 मै० वा०
कुल	680 मै० वा०

घाटी में लोड की मांगों में वृद्धि को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होगी।

साईकिलों के मूल्य

5063. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकप्रिय ब्रांड के साईकिलों के मूल्य निर्माताओं ने जुलाई, 1973 के पश्चात छः बार बढ़ाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) बाइसिकलों पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं है।

प्रचार द्वारा दबाव डाले जाने से कमजोर राष्ट्रों का संरक्षण

5064. श्री राजदेव सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आज विश्व में सूचना साम्राज्यवाद का विकास हो रहा है और कुछ देशों के जन-प्रचार साधन अपनी राष्ट्रीय प्रणाली अथवा सरकारों की स्थिरता या प्रतिष्ठा को समाप्त करने के लिए नियमित प्रचार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि न केवल जन प्रचार साधन हो, बल्कि प्रचार से प्रभावित देश में जन प्रचार साधनों के साथ-साथ समाचारपत्रों के माध्यम से, दो प्रभाव उन देशों में राष्ट्रीय प्रणाली को अस्थिर बनाने और लोक-तान्त्रिक तरीकों से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सक्रिय हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कोशिशों को नाकाम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रौद्योगिक रूप से विकसित देश अपने संसाधनों का विकासशील देशों में सूचना सामग्री का परिचालन करते हैं और इन देशों को मूल्य पद्धतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक इलैक्ट्रोनिक मीडिया धनी देशों को पर्याप्त लाभ देते हैं। सरकार इस मामले को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाती रही है। सरकार की यह राय है कि इस चुनौती का मुकाबला बहुत से उपायों और विकासशील देशों में इस संदर्भ में परस्पर विचार विमर्श द्वारा किया जा सकता है।

'पगवाश' सम्मेलन

5065. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पगवाश का सदस्य है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने उक्त संगठन के अभी हाल में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधि मण्डल ने अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरीक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पगवाश एक गैर-सरकारी अभियान है जिसके कार्यक्रमों में कुछ वैज्ञानिक व्यक्तिगत हैसियत से भाग लेते हैं। इसलिये, इसकी सदस्यता देशों के प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं करती है। 27 अगस्त से 2 सितम्बर 1974 तक वियाना के समीप बादेन नामक स्थान पर हुए 24वें पगवाश सम्मेलन में तीन भारतीय वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया था।

(ग) इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की रिपोर्ट भारतीय पगवाश सोसायटी से प्राप्त हुई है। यह सोसायटी भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पगवाश अभियान का एक राष्ट्रीय वर्ग है।

युद्धअपराधियों की सूची में नेताजी का नाम दर्ज होना

5066. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग को सप्लाई किये गये कागजातों के अनुसार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को मित्र देशों द्वारा युद्ध अपराधी घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई नया प्रमाण प्राप्त किया है कि मित्र देशों (एलाइड पावर्स) द्वारा नेताजी को युद्ध अपराधी घोषित नहीं किया गया था?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गुम हो जाने सम्बन्धी एक सदस्यीय जांच आयोग के समक्ष दस्तावेजों और सबूत के आधार पर आयोग ने मत प्रकट किया है कि नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की किसी सूची में नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और जापान समितियों की बैठक

5067. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान समितियों की दो-दिवसीय बैठक दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसका क्या परिणाम निकला?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हां, 21 और 22 नवम्बर 1974 को नई दिल्ली में भारत तथा जापान समितियों की एक दो-दिवसीय संयुक्त बैठक हुई थी।

(ख) बैठक में इन विषयों पर चर्चा की गई :—

बदलती घटनाओं के प्रकाश में भारत-जापान के राजनीतिक सम्बन्ध;

नई परिस्थितियों में भारत-जापान के आर्थिक सम्बन्ध; और

विज्ञान, संस्कृत तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भारत-जापान में सहयोग।

इस चर्चा का परिणाम यह निकला की दोनों देशों के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों और मैल-मिलापों को और सुदढ़ किया जाए। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर चर्चा हुई और उसे स्वीकार किया गया। दोनों शिष्टमंडलों ने यह स्वीकार किया कि हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाए रखा जाए। आर्थिक दिशा में इस बात पर बल दिया गया कि दोनों देशों के मध्य सक्रिय सहयोग पर विचार किया जाए और एक दूसरे से सहयोग तथा आपसी लाभ के व्यावहारिक आधार पर दोनों के हित के क्षेत्रों का विशेष रूप से कृषि, श्रम सघनता तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों के क्षेत्रों में, निर्धारण किया जाए। इस सम्बन्ध में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाए।

Arrests of Industrialists for hoarding

5068. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the names of the industrialists and big businessmen in Delhi and in the various States in the country who had been arrested in connection with the hoarding of goods worth Rs. 10 thousand or more during the last three years ;

(b) dates of arrest, conviction or of withdrawal in each of the cases ; and

(c) the names of the firms whose cases were withdrawn and the reasons for the withdrawal of the cases ?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उद्योग गृहों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

5069. **कुमारी कमला कुमारी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में 20 बड़े उद्योग गृहों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कितने छापे मारे;

(ख) इन छापों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनके कदाचारों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) बड़े उद्योग गृह बहुत सारी कम्पनियों तथा प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करते हैं। इसलिये यदि उन व्यक्तियों, फर्मों/कम्पनियों के नामों का, जिनके बारे में सूचना आवश्यक है, उल्लेख कर दिया जाए तो अपेक्षित सूचना एकत्रित करके दी जा सकती है।

श्री कल्याण कुमार बसु के विरुद्ध आरोप

5070. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता, ने मैसर्ज मीयरा इन्वेस्टमेंटस, लक्समबर्ग, पश्चिम-जर्मनी, के श्री कल्याण कुमार बसु को न्यायलय की अनुमति बिना कलकत्ता से बाहर न जाने का आदेश दिया है क्योंकि उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन कुछ आरोप हैं;

(ख) क्या प्रवर्तन प्राधिकरण ने सूचना दी है कि श्री बसु अपने कलकत्ता निवास से गायब है और शायद अवैध रूप से देश से बाहर जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो श्री बसु का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) जिन शर्तों पर श्री बसु को जमानत पर रिहा किया गया था उनमें से एक शर्त यह थी कि वह न्यायालय को पूर्व-अनुमति के बिना कलकत्ता से बाहर नहीं जायेंगे। दिनांक 15 नवम्बर, 1974 को प्रवर्तन निदेशालय को यह पता लगा कि श्री बसु कलकत्ता में नहीं हैं और वे उसी दिन सुबह बम्बई को चले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 1974 को चीफ प्रैसीडैन्सी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायलय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने श्री बसु की गिरफ्तारी के लिए अजमानतीय वारन्ट जारी किया था। किन्तु श्री बसु ने दिनांक 18 नवम्बर, 1974 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिस पर न्यायलय ने गिरफ्तारी का वारन्ट 'रिकाल' किया और यह आदेश दिया कि श्री बसु को उन्हीं शर्तों पर जमानत पर रहने दिया जाए जो शर्तें पहले निश्चित की गई थीं। निदेशालय द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 1974 को न्यायालय के समक्ष दायर की गई एक अन्य याचिका पर न्यायलय ने यह आदेश दिया कि श्री बसु 31 जनवरी, 1975 तक मामले की जांच-पड़ताल से संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों से हफ्ते में एक बार मिलें और इस सम्बन्ध में श्री बसु द्वारा की गई किसी भी चूक से उनकी जमानत तत्काल रद्द हो जाएगी।

श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा 'पद्मश्री' पुरस्कार वापस करना

5071. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने यह घोषणा की है कि 'पद्मश्री पुरस्कार उन्होंने वापस कर दिया है जिसे उन्हें वर्ष 1971 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) उन्होंने बिहार की स्थिति के विरोध में पद्मश्री पदक लौटा दिया है।

कृषि में भारत-जापान सहयोग

5072. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि के अध्यक्ष डा० सबुरो ओकिटा हाल ही में भारत के दौरे पर आये थे;

(ख) क्या उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग के कुछ प्रस्ताव रखे थे जो भारत के लिये अत्यन्त लाभदायक हो सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां। डा० साबुरो ओकिटा, भारत तथा जापान में आर्थिक विकास के अध्ययनों पर बुलाई गई जापान तथा भारत की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे।

(ख) संयुक्त बैठक में विचार विमर्श के दौरान, अन्य बातों के साथ साथ, कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में डा० साबुरो ओकिटा ने कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखे।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए (ग) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

5073. **श्री समर गुह** :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के चौथे सप्ताह में सत्तारूढ़ दल की नरोरा में हुई गुप्त बैठक के पश्चात् लाइसेंस देने की नीति के सम्बन्ध में कोई नया निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संशोधित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लाइसेंसों का बेनामी हस्तान्तरण

5074. श्री अमर गुह : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जिनके अपने नाम में कोई वाणिज्यिक व्यापारिक अथवा औद्योगिक फर्म नहीं है;

(ख) क्या ऐसे लाइसेंसों का बेनामी हस्तान्तरण ठहराया गया है;

(ग) क्या ऐसे बहुत से मामलों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1971-74 के दौरान तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) व्यक्तिगत अभियोजनकों एवं औद्योगिक फर्मों दोनों के नाम से औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र दिये जाते हैं। लाइसेंस-धारियों के नाम में कोई फेर-बदल करने के अनुरोध को प्रशासनिक मंत्रालय संबन्ध प्राधिकरणों के परामर्श से ध्यान पूर्वक जांच करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योगों के निर्यात सार्थ संघों के लिए सीमा

5075. श्री राम कंवर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति ने लघु उद्योगों के निर्यात साथ संघों के लिये निर्दिष्ट 25 लाख रुपये की सीमा कम करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो स्थायी समिति के अन्य सुझाव क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की स्थायी समिति ने दिनांक 18 सितम्बर, 1974 की अपनी 11 वीं बैठक में अन्य बातों के साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा की कि निर्यात घरों के रुप में पंजीकृत किए जाने वाले सार्थ संघों के सदस्य एककों द्वारा विशिष्ट उत्पादों के निर्यात् का मूल्य निर्धारित आधार वष में 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यह मामला उप समिति को दे दिया गया है। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में स्थायी समिति को प्रस्तुत की है। स्थायी समिति अपनी अगली बैठक में उपसमिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।

लघु उद्योगों की स्थायी समिति की अन्य सिफारिश लघु उद्योगों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपसमिति का गठन, राज्य व्यापार निगम द्वारा तैयार की गई निर्यात् सहायता योजना की प्रति का परिचालन, तकनीकी विकास अधिकरण तथा लघु उद्योग विकास संगठन एवं अन्य राज्य

निगमों इत्यादि के बीच और अधिक समन्वय की जरुरत तथा मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा महसूस की गई निर्यात कर्ताओं की दुर्लभ कच्चे माल की समस्याओं से सम्बन्धित हैं ।

भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैण्ड के दौरे के दौरान क्रिकेट रेडियो कॉमेन्टेटर श्री पीयर्सन सुरिता द्वारा कमेंटरी के लिए अपनी सेवायें अर्पित करना

5076. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात क्रिकेट रेडिओ कमेंटटर, श्री पियर्सन सुरिता ने गत ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैण्ड के दौरे के दौरान कमेंटरी के लिए अपनी सेवायें अर्पित की थीं क्योंकि वह ब्रिटेन निजी कारणों से जा रहे थे और भारत/ब्रिटेन/भारत के बीच यात्रा के लिए उन्हें कोई भत्ता न देना पड़ता ।

(ख) यदि हां, तो उनकी पेशकश क्यों अस्वीकार की गयी तथा किसने की; और

(ग) क्या टैस्ट मैचों की कमेंटरी करने के लिए एक अंग्रेजी-भाषी कमेंटटर को हवाई जहाज द्वारा भारत से वहां भेजा गया और यदि हां, तो उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि गत ग्रीष्मकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के बर्तानिया के दौरे को सभी टैस्ट मैचों की सजीव कमेंट्रियों द्वारा कवर करने का निश्चय किया गया था । इस उद्देश्य हेतु श्री डिकी रतनागर, जो डेली टेलीग्राफ, लंदन के खेल संवाददाता होने के अलावा, एक जाने-माने और लोकप्रिय क्रिकेट कमन्टेटर है, की सेवाओं का उपयोग करने का फैसला किया गया । श्री रतनागर उस समय अध्यायी रुप से बर्तानिया में निवास कर रहे थे । बिर्रमिंघम और मैंचेस्टर में खेले गये मैंचों को कवर करने के लिये की गई आंतरिक यात्रा को छोड़कर उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत तथा वेस्ट इण्डीज के बीच क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए व्यक्तियों का चयन

5077. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा वैस्ट इन्डीज के बीच होने वाले क्रिकेट टैस्ट मैचों का आंखों देखा हाल, मैच होने वाले प्रत्येक स्थान से प्रसारित करने के लिए किन किन व्यक्तियों का चयन किया गया है ;

(ख) इस प्रकार के चयन की क्या प्रक्रिया तथा कसौटी है; और

(ग) क्या ब्रिटेन में रहने वाले एक कमेंटेटर को टैस्ट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए विशेष रुप से हवाई जहाज द्वारा भारत भेजा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8805/74**]

(ख) टैस्ट मैचों के लिये कमेंटेटरों का चयन खेल संबंधी उनकी जानकरी, स्वर गुण, धारा प्रवाहिता, प्रसारण अनुभव और उनकी लोकप्रियता के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय श्री डिकी रुतनगर अपनी मर्जी से स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में भारत में हैं।

हरिजनों पर अत्याचार

5078. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या वर्ष 1974 के प्रथम छः महीनों में विभिन्न राज्यों में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार के 2758 मामले हुए थे जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक मामलों की उत्तर प्रदेश से सूचना मिली थी; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों को दिए गए अस्पष्ट निदेशों के अतिरिक्त हरिजनों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नवीनतम सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त 1971-72 और 1972-73 की 21 वीं रिपोर्ट में अध्याय 5 के पैराग्राफ 5.7 तथा 20 नवम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 के इस सदन में दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

5079. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष से अधिक समय से विभिन्न राज्यों से/राज्यवार, औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के कितने आवेदन पत्र अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में उक्त आवेदन-पत्रों पर कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) 1-12-1974 को एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। ये आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

1-12-1974 को एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	विचाराधीन पड़े आवेदनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10
2	असम	2
3	बिहार	12
4	चंडीगढ़	2
5	देहली	4
6	गोआ	22
7	गुजारत	46
8	हरयाणा	18
9	हिमाचल प्रदेश	1
10	जम्मु और कश्मीर	1
11	केरल	2
12	मध्य प्रदेश	8
13	महाराष्ट्र	97
14	कर्नाटक	13
15	उड़ीसा	2
16	पांडिचेरी	18
17	पंजाब	17
18	राजस्थान	17
19	तमिलनाडू	16
20	त्रिपुरा	1
21	उत्तर प्रदेश	26
22	पश्चिम बंगाल	25
23	एक से अधिक राज्य	19
	कुल योग	342

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय एजेन्सी

5080. श्री राजदेव सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक द्वितीय "वर्कशाप" का हाल ही में आयोजन किया गया था जिसमें इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट नीति और साथ ही समेकित संस्थान बनाने की मांग की गयी थी;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में मूल-भूत ढांचे सम्बन्धी विकास के सब पहलूओं के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां। एफ० आई० सी० सी० आई० ने 19 जुलाई, 1974 को नयी दिल्ली में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में एक चर्चा की गई प्रमुख बातों के सार का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8806/74]**

(ख) और (ग) उपर्युक्त कार्यशाला में एक केन्द्रीय एजेंन्सी का गठन करने का सुझाव दिये जाने के पहले इस मंत्रालय में पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के प्रस्तावों में मुख्यता पिछड़े क्षेत्रों का तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए आवश्यक अवस्थापना प्रक्कलन करने की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र में एक पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम का गठन करने की परिकल्पना की गई थी यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

कालागढ़ उत्तर प्रदेश में एक बिजली घर की स्थापना

5081. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध के साथ कालागढ़ नामक स्थान पर एक बिजलीघर निर्माणाधीन है जिससे चालू होने के बाद प्रतिवर्ष 45 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) क्या प्रतिवर्ष 45 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की वर्तमान मांग लगभग पूरी हो जाएगी?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कालागढ़ बांध परियोजना (रामगंगा परियोजना) को प्रतिष्ठापित क्षमता 180 मेगावाट (60–60 मेगावाट के तीन यूनिट) होगी तथा उसकी अधिकल्पित वार्षिक ऊर्जा शक्यता 404 मिलियन यूनिट है।

(ख) और (ग) निर्माण की वर्तमान अनुसूची के अनुसार, 60 मेगावाट के प्रथम उत्पादन यूनिट के मार्च, 1975 के आस-पास तथा शेष दो यूनिटों के 1976 में चालू होने की संभावना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से उत्तर प्रदेश में विद्युत की वर्तमान कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में बिजली का उत्पादन

5082. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार** का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 21.20 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1974–75 के दौरान लगभग 2 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की प्रत्याशा है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत तापीय क्षमता होगी।

दिल्ली/नई दिल्ली में अविवाहित युवतियों के अपहरण की घटनाएं

5083. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में अविवाहित युवतियों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 1–1–1974 से 30–11–1974 तक की अवधि में अविवाहित लड़कियों के अपहरण के कुल 330 मामलों की रिपोर्ट की गई, जब कि 1973 की इसी अवधि में 362 मामलों की रिपोर्ट की गई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8807/74**]

राज्यों में रोजगार परियोजनाओं के लिए राजसहायता बन्द करने का प्रस्ताव

5084. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई सब रोज़गार परियोजनाओं को दी जाने वाली राजसहायता बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोज़गार क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) पढ़े लिखे बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम, राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम और पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम जैसी विशेष रोज़गार स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थीं। ये तदर्थ किस्म की थीं और मार्च, 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ये भी समाप्त हो गई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई, भूमि संरक्षण आदि क्षेत्रों के साथ साथ निगमित और असंगठित क्षेत्रों तथा अन्य तथा सम्बद्ध सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक सेवाएं आदि क्षेत्रीय कायक्रमों का कार्यान्वियन द्वारा अधिकतम रोज़गार के अवसर सुलभ करने पर बल दिया गया। इसके अलावा, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु व सीमान्त कृषक अभिकरण और बड़ी सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों से भी ग्रामीण परिवारों को काफी रोज़गार के अवसर सुलभ होने की संभावना है। परम्परागत और ग्रामोद्योग संबंधी स्कीमों से भी काफी ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा।

उपर्युक्त कामों के अलावा, एक नया कार्यक्रम यानी रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसमें स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया है 1974–75 में आरम्भ किया गया है। इसके लिए केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्वरोजगार उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक के रिक्त पद

5085. कुमारी कमला कुमारी : क्या विज्ञान और औद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ही, इन पदों के बनाए जाने के बाद में, प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिकों के लिए पदों की पदवार संख्या कितनी है :

(ख) उक्त पद किस-किस तारीख को बनाए गए थे :

(ग) उक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां भी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सौंपी गई योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का ब्यौरा संलग्न हैं।

(ग) इनमें से कुछ पद तदर्थ आधार पर भर लिए गए है। इसके अतिरिक्त शेष पदों को तदर्थ आधार पर भरने के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों को भेजने के लिए निवेदन किया गया है।

(घ) यह विभाग पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सौंपी गई विभिन्न योजनाओं को विद्यमान वैज्ञानिक जनशक्ति द्वारा कार्यान्वित कर रहा हैं। कई योजनाओं से संबंधीत कार्य के बढ़ जाने से पदों को बनाने और उनको भरने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	पद का नाम	पदों को संख्या	बनाने की तारीख	उन पदों की संख्या जो बनाने तारीख से ही खाली पड़े हैं
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	5	1-11-71 (एक पद) 19-2-73 (एक पद) 15-5-73 (तीन पद)	2
2.	सहायक निदेशक . . .	3	15-5-73	3
3.	प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी . .	3	1-11-71 (एक पद) 19-2-73 (एक पद) 1-3-73 (एक पद)	..

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	बनाने की तारीख	उन पदों की संख्या जो बनाने तारीख से ही खाली पड़े हैं
1	2	3	4	5
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड I .	3	1-11-71 (एक पद) 1-10-74 (दो पद)	2
5.	वरिष्ठ प्रलेखीकरण अधिकारी . .	1	15-5-73	1
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II .	3	1-11-71 (एक पद) 15-5-73 (एक पद) (एक पद शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से स्थानान्तरित) ।	2
7.	वरिष्ठ प्रलेखीकरण अधिकारी . .	1	1-11-71 (एक पद)	

आई० एफ० एफ० सी० ओ० और ईरान की शाहपुर कम्पनी के बीच फासफोरिक एसिड की सप्लाई के बारे में समझौता

5086. **श्री वेंकारिया**

श्री डी० पी० जदेजा :

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एफ० एफ० सी० ओ० और ईरान की शाहपुर कम्पनी के बीच कांडला स्थित ए० पी० के० संयंत्र को फासफोरिक एसिड को सप्लाई करने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) करार की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 8808/74**]

तमिल फिल्मों 'निर्मलायम' और काडू को दिए गए पुरस्कार की आलोचना

5087. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल साप्ताहिक "कालको" में फिल्म पुरस्कार के बारे में सर्वश्री शिवाजी गणेशन, एक प्रमुख अभिनेता, के० एस० गोपाल कृष्णन' एक प्रमुख निर्देशक, फिल्म उद्योग से संबंधित पत्रिका "माथी ओली" के सम्पादक श्री शंभुगम द्वारा व्यक्त विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने यह आरोप लगाया है कि "निर्मयालम", एक मलयालम फिल्म, और "काडू" एक कन्नड फिल्मों को इसलिये पुरस्कार दिया गया क्योंकि या तो निदेशक, निर्माता अथवा अभिनेत्रियों के संबंधी चयन बोर्ड में अथवा उनका फिल्म संस्थान से संबंध था; और

(ग) क्या इस मामले में पूरी जांच की जायेगी और प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में मिजो विद्यार्थी संघ द्वारा ज्ञापन

5088. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री नुकल हुडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में मिजो जिरलाई, पाल (मिजो विद्यार्थी संघ) आइजवाल (मिजोरम) के प्रेजीडेन्ट और जनरल सेक्रेटरी से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सुरक्षा सेनाओं द्वारा मिजोरम के लोगों पर किये गए अत्याचारों का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का पाठ क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) मिजो जिरलाई, पाल के अध्यक्ष और महामंत्री से प्राप्त ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8809/74]** ।

(ग) जांच करने पर ज्ञापन में उल्लिखित अधिकांश आरोप या तो निराधार पाये गये अथवा बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहे गये थे। केवल दो मामलों में सुरक्षा बलों की गलती पाई गई थी। एक मामले में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के दो कांस्टेबल और एक प्लाटून कमाण्डर मुअत्तल कर दिये गये थे और बाद में उन्हें यथोचित दण्ड दिया गया। दूसरे मामले में अधिकारी का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है।

बिहार के राजगढ़िया बंधुओं से बरामद किए गए दस्तावेज

5089. श्री एस० एन० मिश्र :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में राजगढ़िया बन्धुओं के अहाते से बरामद दस्तावेजों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस बीच राजगढ़िया को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे आरोप-पत्र दिया जा चुका है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) इस मामले के तथ्य यह हैं कि सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद विभाग

और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों के एक संयुक्त दल (टीम) द्वारा दिनांक 10 जून, 1974 को बिहार में राजगढ़िया बन्धुओं के अहाते की तलाशी ली गई थी। तलाशी के फलस्वरूप कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे। सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा पकड़े गए दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

नियंत्रित मूल्य पर स्कूटर तथा "आटो" टायरों की सप्लाई

5090. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री प्रसन्नाभाई मेहता :
श्री गजाधर माझी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि नियंत्रण हटा लेने के पश्चात् स्कूटर तथा "आटो" टायर और ट्यूब खुले बाजार में, उत्तरी क्षेत्र में केवल निर्धारित मूल्य से 60 से 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर ही उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे टायर और ट्यूब नियंत्रित मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से सप्लाई करने अथवा उचित मूल्य पर टायरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये और कोई कदम उठाने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुये हैं कि स्कूटर और मोटरगाड़ियों के टायर एवं ट्यूब निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। टायर कम्पनियों से कहा गया है कि वे इन किस्मों के टायरों और ट्यूबों का अधिकतम उत्पादन करें। इन किस्मों के टायरों का निर्माण करने की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वनियोजन की व्यवस्था

5091. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :
श्री के० मालन्ना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए सरकार ने कोई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम यानी रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974–75 आरम्भ किया है, जिसके लिए केन्द्रीय बजट

में 40 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और सहाय सेवाओं के क्षेत्रों में स्वरोजगार स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :—

1. छोटे उद्यमी आसान शर्तों पर ऋण के रूप में मूल पूंजी/सीमान्त धन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए धन प्राप्त कर सकें।

2. इन उद्यमियों के लिए समुचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संगठित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को राज सहायता उपलब्ध होगी ताकि उनके चुने हुए कार्यकलाप में सहायता प्रदान की जा सके।

3. संचलनात्मक सहायक औद्योगिक बस्तियों और एलैक्ट्रोनिक्स बस्तियों जैसे विशेष औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए सहायता की जायेगी।

4. छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक सेवाओं का समूह (पैकेज) संगठित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहायता दी जायेगी।

5. जिन इंजीनियरों तथा उच्च योग्यता वाले तकनीशियनों ने रोज़गार कार्यालय के पास 31-12-1972 तक अपने नाम लिखा लिये थे और अभी तक बेरोज़गार है उनको रोजगार देने से संबंधित स्कीमों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी।

उपर बताये गये कार्यक्रमों के अलावा, औद्योगिक विकास मंत्रालय की स्कीम यानी इंजीनियरों के प्रशिक्षण और ब्याज राज सहायता को भी कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई और 2 करोड़ रुपये के अस्थायी आवंटन से पांचवीं योजना अवधि में भी जारी रखी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा कतिपय अन्य संस्थानों में, इंजीनियरी के डिग्रीवालों और डिप्लोमा धारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनके रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता तथा अपने लघु उद्योग एक स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत यह भी परिकल्पना की गई है कि स्वरोज़गार उद्यम स्थापित करने के लिए युवा उद्यमी जो ऋण लें उसके ब्याज पर राज सहायता दी जाय।

सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने में कठिनाइयां

5092. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सीमेंट का उत्पादन करने वाले एककों से उनकी क्षमता, कार्य तथा सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के कार्य में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी मांगी थी;

(ख) क्या इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सीमेंट उत्पादन की अड़चनें मुख्य रूप से बिजली की कटौती, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई, तथा सीमेंट बाहर लाने ले जाने के लिये अपर्याप्त रेल वैगनों की सप्लाई हैं। बिजली की कटौती के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों से इस मामले में बातचीत की गयी थी जिसका आमतौर पर अच्छा असर पड़ा है। कोयले की सप्लाई तथा सीमेंट बाहर लाने ले जाने हेतु रेल वैगनों के लिये सीमेंट के कारखानों का दौरा करने और रेल अधिकारियों एवं कोयला खान प्राधिकरण से बातचीत करने के लिये एक विशेष अधिकारी तैनात किया गया था। सीमेंट का उत्पादन अक्तूबर 1974 में हुये 42,400 मी० टन प्रतिदिन की तुलना में नवम्बर, 1974 में बढ़ कर 44,500 मी० टन प्रतिदिन हो गया है।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबंध-ग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5093. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबंध-ग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने संकट ग्रस्त मिलों के प्रबंध-ग्रहण के मामले में इस बीच अपना निर्णय दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या बहुत सी कपड़ा मिलें व्यापारिक मन्दी के नाम पर उत्पादन में कमी करने और बनावटी कमी उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं ताकि असामान्य मूल्य-वृद्धि बनी रहे; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी कपड़ा मिलों के प्रबन्ध को सरकार का अपने अधिकार में लेने का विचार जो पूरी पूरी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करती हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ सूती कपड़ा मिलों में तीसरी पाली को अंशतः अथवा पूर्णतया बन्द करने की रिपोर्ट हालही में प्राप्त हुई है। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल उत्पादन में कमी होने और स्टाक के एकत्र होने की समस्या और इसके लिए सुधारक अभ्युपाय सुझाने के लिए जांच कर रहा है।

(ग) औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के प्रस्तावों की जांच "करती है" उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों को ध्यान में रख कर उनकी आर्थिक जीव्यता और अन्य संबंधित पहलुओं को विचार कर के की जाती है केवल पूर्ण निर्धारित क्षमता को कम उत्पादन के आधार पर नहीं की जाती हैं।

शिक्षण सम्बधी टेलीविजन उपग्रह प्रयोग के लिए गांवों का चयन

5094. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण सम्बन्धी टेलीविजन उपग्रह प्रयोग के लिये हाल ही में देश के विभिन्न भागों में गांवों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनके नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) उपग्रह द्वारा शिक्षण-संबंधी टेलीविजन प्रयोग के लिए गांवों के चयन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिल्म को 'वयस्क' के स्थान सार्वजनिक प्रदर्शन, का प्रमाण-पत्र देना

5095. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल चित्र अधिनियम के अन्तर्गत मंत्रालय को किसी फिल्म को "वयस्क" के स्थान पर "सार्वजनिक प्रदर्शन" का प्रमाण पत्र देने के अधिकार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सेंसर बोर्ड द्वारा हाल ही में एक फिल्म को दिये गये "वयस्क" प्रमाणपत्र के स्थान पर मंत्रालय ने इसे "सार्वजनिक प्रदर्शन" का प्रमाण-पत्र दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस फिल्म का नाम क्या है और मंत्रालय ने किन परिस्थितियों में अनुचित अधिकार का-प्रयोग किया जिसकी अधिनियम में विशष रुप से व्यवस्था नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 6 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड की "होरा" (हिन्दी) नामक फिल्म में तीन कांट-छांट करने के बाद उसके वर्गीकरण को "ए" से "यू" में बदलने का आदेश दिया था।

देशी ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि

5096. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 2-1/2 वर्षों में देशी ट्रैक्टरों के मूल्य दुगने हो गये है;

(ख) क्या छोटे किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युतचालित हलों के मूल्य भी इस अवधि में दुगने हो गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए पूरे मामले की जांच की है कि मूल्यों में इतनी वृद्धि कहां तक उचित है और भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गत ढाई वर्षों में ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों के मूल्य दुगने नहीं हुए हैं यद्यपि मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ।

(ग) तथा (घ) कच्चे माल, हिस्से-पुर्जों और श्रमिक लागत तथा कानूनी लेवियों में हुई वृद्धि के अनुरूप मूल्य बढ़े हैं। इन वृद्धियों से कृषि संबंधी उत्पादन पर कोई अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

विदेशों को इलैक्ट्रोनिक्स-सामान का निर्यात

5097. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को इलैक्ट्रोनिक्स संबंधी क्या क्या मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है;

(ख) आयात-कर्ता देशों के क्या नाम है तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के पृथक-पृथक मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इलैक्ट्रोनिक्स सामान का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख इलैक्ट्रोनिक उत्पाद ये हैं : रेडियो सेट, एम्प्लीफायर्स, दूरसंचार उपस्कर, इलैक्ट्रोनिक्क घटक और न्यास संसाधन उपस्कर ।

(ख) निर्यात प्रमुखत: संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम योरूप, मध्यपूर्व, आस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, मलेशिया, चेकास्लावाकिया और हंगेरी को किये जा रहे हैं। 1972-73 में निर्यात का कुल मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपये था जबकि 1973-74 में यह 9.3 करोड़ रुपये प्राकलित किया गया है। उक्त देशों में प्रत्येक को किये गये निर्यात के आंकड़े पृथक रुप से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) निर्यात को बढ़ाने के प्रयास ऐसी उपयुक्त पार्टियों के परिज्ञान के जरिए किये जा रहे हैं, जो इस प्रकार, निर्यात को हाथ में ले सके विदेशों में व्याप्त मांग पर व्यापारिक प्रज्ञा प्रदान कर सकें तथा नए निर्णातोन्मुख उद्योगों को समर्थन दे सकें। इसके अलावा, सरकार ने बंबई के समीप सांताक्रुज में अनन्य रुप से इलैक्ट्रोनिक्स के लिए एक निर्यात संसाधन क्षेत्र की भी स्थापना की है, जिसमें सितंबर, 1974 से कार्य शुरु हो गया है ।

सस्ते टेलीविजन सैटों का उत्पादन

5098. **श्री भगत राम राजाराम मनहर :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सस्ते टेलीविजन सैटों के उत्पादन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : टी० वी० सैटों का निर्माण करने के लिए सरकार ने संगठीत क्षेत्र में लाइसेंस जारी किये हैं तथा लघु क्षेत्र में अनेक पार्टियों को स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं। संगठित क्षेत्र के 5 यूनिटों में और लघु क्षेत्र के 26 यूनिटों में उत्पादन शुरू हो गया है। सामान्यत: टी० वी० सैटों के मूल्यों में पार्टियों के बीच प्रतियोगिता के कारण कमी आ गयी होती किन्तु इस तथ्य के कारण की इस वर्ष ऊत्पादन शुक्क 10% से 20% तक बढा दिया गया है ऐसा नही हो पाया इसके अलाव ईसमें से अधिकांश यूनिट पिक्चर ट्यूबो की कमी के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इसीलिए मूल्य में कमी नहीं आयी है जो समान्य स्थिति में आ जाती, इसके विपरीत टी० वी० सैटों के मूल्य बढ़े हैं। फिर भी टी० वी० सैटों के उत्तरोत्तर बढ़ते स्वदेशीकरण तथा पिक्चर ट्यूबों के बढ़ हुए उत्पादन से यह आशा है कि भविष्य में टी० वी० सैटों के मूल्य कम हो जाएंगे ।

महाराष्ट्र के थाना जिले के पाईगांव गाव के भूमिपतियों द्वारा आदिवासियों पर गोली चलाना

5099. **श्री मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाना जिले में भिवंडी तालुक में पाईगांव गांव के भूमिपतियों ने अक्तूबर 1974 में आदिवासियों पर गोलियां चलाई थीं ;

(ख) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जब कुछ आदिवासी 18 अक्तूबर, 1974 को थाना जिले में भिवंडी तालुक में पाईगांव में चावल की फसल काट रहे थे तो भूमिपतियों में से एक कुछ व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर आया और अपनी बन्दूक से आदिवासियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप उनमें से तीन घायल हो गये । घायल आदिवासियों को चिकित्सा के लिये सियोन अस्पताल बम्बई में दाखिल किया गया । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/307/34 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत 19 अक्तूबर को एक मामला दर्ज किया गया था । भूमिपति समेत आठ दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की आगे जांच-पड़ताल हो रही है ।

आई० एफ० एफ सी० ओ० के उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन

5100. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एफ० एफ० सी० ओ० के कलोल तथा कान्डला स्थित दो उर्वरक संयंत्रों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इन संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कलोल और कांडला स्थित संयंत्रों की सभी महत्वपूर्ण अवस्थाओं का निर्माण पूरा हो गया है।

(ख) कलोल में अमोनिया और कांडला में एन० पी० के० उर्वरकों का परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया है। कलोल में यूरिया के परीक्षण उत्पादन के दिसम्बर, 1974 में शुरू होने की उम्मीद है।

प्रतिभा पलायन पर कर

5101. श्री बी० बी० नायक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से प्रतिभा पलायन प्रौद्योगिकी का निर्यात नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिभा पलायन पर कर लगाने के लिये उनके परिपत्रों पर लेवी लगाई जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) प्रतिभा पलायन को तकनीकी क्षमता का निर्यात समझना चाहिये न कि प्रौद्योगिकी का निर्यात।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

'इलेस्ट्रेटिड विकली आफ इण्डिया' में धार्मिक तथा साम्प्रदायिक कटुता को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी लेखों का प्रकाशन

5102. श्री बी० पी० नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया "व्हाई आई एम ए हिन्दू" जैसे लेख प्रकाशित कर धार्मिक और साम्प्रदायिक कटुता को प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) लेख में प्रमुख पुरुषों तथा महिलाओं के धर्म संबंधी विचारों का समावेश किया गया है। इसमें हिन्दू धर्म के गुणावगुणों का उल्लेख है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस लेख से साम्प्रदायिक कटुता बढ़ेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता केन्द्रों की संख्या

5103. श्री बी० बी० नायक : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितने उपभोक्ता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाई जाती है और कितने उपभोक्ता केन्द्र स्थापित किये जाने हैं इसका निर्णय राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

(ख) नवीनतम सूचना के अनुसार देश में कुल 2.13 लाख के लगभग उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रही हैं ।

Telephone Facilities in Panchayat Samiti in Rajasthan

5104. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Panchayat Samities in Rajasthan who have not been provided with telephone facility so far ;

(b) whether they are likely to get this facility during the current Five Year Plan period ; and

(c) if not, the time by which they will be provided telephone service ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) There are 9 Panchayat Samities in Rajasthan which have not been provided with telephone facility so far.

(b) and (c) Three Panchayat Samities out of the 9 mentioned in (a) above are likely to get this facility during the current Five Year Plan period. The remaining 6 willbe considered on their becoming feasible in due course.

राज्यों में जिला योजना समितियां

5105. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से सलाह करके जिला योजना समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्थानीय बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, अध्यापक और निर्वाचित प्रतिनिधि इन समितियों से सम्बद्ध होंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 की और ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका उत्तर इसी महीने की 11 तारीख को दिया गया था । योजना आयोग ने राज्य स्तर पर योजना बोर्डों तथा इसकी सहायता के लिए जिला विकास निकायों के गठन का महत्व राज्य सरकारों को समझा दिया है ।

योजना आयोग ने योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के सुविज्ञ व्यक्तियों को सम्बद्ध करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ।

जिला आयोजना समितियों का गठन करने की सिफारिश इस तथ्य पर आधारित है कि एक जिला योजना राज्य योजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । इस प्रकार की समितियों को गठित करने तथा इन समितियों की कार्यप्रणाली से संम्बद्ध संविधान और प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय जो स्थानीय

दशाओं को ध्यान में रखकर करना होता है अंतिम रूप से राज्य सरकारें ही करती हैं। अतः योजना आयोग ने जिला स्तर पर आयोजना तंत्र का कोई अपरिवर्तनशील स्वरुप निर्धारित नहीं किया है।

देश में निर्मित अथवा आयातित ट्रैक्टरों की संख्या

5106. **श्री ओंकार लाल बरेवा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बनाये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या और नाम क्या है; और

(ख) विदेशों से आयात किए जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या और नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश में 1973-74 की अवधि में बनाये गये ट्रैक्टरों की संख्या और मेक निम्न प्रकार हैं:—

ट्रैक्टर का माडेल	संख्या
1. हिन्दुस्तान (50 अ०श०) 2. हिन्दुस्तान (35 अश०)	472
3. इंटरनेशनल बी०-275 (35 अ० श०)	5,965
4. इंटरनेशनल-434 (44 अ० श०)	3,286
5. मेस्सी फर्ग्यूसन (35 अ० श०)	2,056
6. एस्कार्टस-335 (35 अ० श०)	4,448
7. एस्कार्ट-3036 (35 अ० श०)	303
8. आईशर (26.5 अ० श०)	1,082
9. फोर्ड-3000 (46 अ० श०)	2,781
10. ड्यूज-4006 (43 अ० श०)	25
11. जीटर-2511 (25 अ० श०)	4,000
12. स्वराज-724 (23.6 अ० श०)	7
योग	24,425

(ख) इस समय ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर भी, विश्व बैंक निविदाओं के अंतर्गत एक निश्चित संख्या में कुछ ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी जा रही है। हरियाणा निविदा के अंतर्गत जिस पर हाल ही में अंतिम निर्णय लिया गया है निम्नलिखित ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई थी :—

(1) डेविड ब्राउन-990	200 नग
(2) लीलेंड	3 नग
योग	203 नग

मिजो विद्रोहियों द्वारा त्रिपुरा में दुकानों और मकानों का जलाया जाना

5107. श्री राम सहाय पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1974 के अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मिजो विद्रोहियों द्वारा त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों की दुकानों तथा मकानों को जला दिया गया है जो उनके द्वारा लगाए गए लेवी को नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन निवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सीमा सुरक्षा दल तथा राज्य की पुलिस प्रभावित क्षेत्र में गश्त लगा रही है। सीमा सुरक्षा दल ने गोविपिपा पाड़ा में एक चौकी स्थापित की है और जल्दी ही दो और चौकियां स्थापित की जा रही हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 436 के अधीन छाहमनु थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध

5108. श्री राम सहाय पांडे :
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :
श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों ने विशेष अनुशासन के हित में पदों को व्यवस्था के लिए संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नवम्बर, 1974 में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था कि विभिन्न विषयों (डिसीपिलिनों) में उम्मीदवारों को योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा एक परीक्षा ली जानी चाहिए जिससे कि बिना अलग-अलग भर्ती टैस्टों के लिए हो, उपर्युक्त व्यक्तियों की तलाश करने में नियोक्ताओं की सहायता की जा सके। इसके अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक योजना के प्रारम्भिक चरण पर विचार किया जा रहा है। अतः सरकार इस स्टेज में कोई भी मत व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय भाषाओं को अखिल भारतीय परीक्षाओं में माध्यम के रुप में प्रयोग करने के बारे में असमर्थता व्यक्त करना

5109. श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने उसके द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के बारे में असमर्थतता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि

5110. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री 25 नवम्बर, 1974 के अंग्रेजी पत्र में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अध्ययन किया गया था;

(ख) अध्ययन की मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन की सिफारिशें क्रियान्वित करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और देश की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में कहां तक वृद्धि की जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मौजूदा एककों में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी सलाहकारों की एक फर्म ने सीमेंट उद्योग के प्रकरण सम्बन्धी अध्ययन किये हैं । इस अध्ययन के परिणामों से नये अधिष्ठानों या प्रमुख कारखानों का विस्तार करके वही वृद्धि करने की सम्भावनाओं का संकेत मिलता है जो वृद्धि करने के लिए अपेक्षित व्यय से 25–40 प्रतिशत अधिक व्यय करके निर्धारित क्षमता से 15–30 प्रतिशत उत्पादन व्यय करके होती । इस अध्ययन में गीली प्रक्रिया और सूखी प्रक्रिया दोनों प्रकार के संयंत्र शामिल हैं । अध्ययन के परिणाम भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में हुई त्रि-दिवसीय गोष्टी में एक (पेपर) में दिये गये थे । चुंकि अध्ययन में ऐसे विशेष एककों का उल्लेख नहीं था जिनमें परिवर्तन करके और मौजूदा संयंत्रों में कुछ संतुलन साज-सामान लगाकर अपेक्षाकृत कुछ कम पुंजी-निवेश से अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता हो । अतः सीमेंट उद्योग की नाभीका ने सीमेंट के सभी निर्माताओं से अपने मौजूदा एककों में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने की संभावना की जांच पड़ताल करने का अनरोध करने का निर्णय किया है ।

ब्रिटेनिया बिस्कूट कम्पनी

5111. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री नवल किशोर सिंह :
श्री शशी भूषण :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी के विरूद्ध उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम की धारा 13 के उल्लंघन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

(ग) व्यापार विकास के महानिदेशक (डी० जी० टी० डी०) पेशीय क्षेत्र में पंजीकृत उसके प्रत्येक उत्पादन तथा क्षमता सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को उनकी क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क), (ख) और (घ) मै० ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी के मद्रास स्थित एकक में लाइसेंस क्षमता से अधिक बिस्कुटों का उत्पादन करने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(ग) मै० ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० प्रा० लि० का तमिलनाडू, पं० बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक एक कारखाना चल रहा है।

कम्पनी के मद्रास स्थित एकक की बिस्कुट बनाने की क्षमता एक पारी के आधार पर 1200 मी० टन प्रति वर्ष की है और बताया जाता है कि 1973 में उत्पादन 8522 मी० टन हुआ था।

बिस्कुट बनाने के लिए कम्पनी के कलकत्ता और बम्बई स्थित एकक पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अधीन कार्य करते हैं जिनमें क्षमताओं का उल्लेख नहीं होता बताया जाता है कि इन एककों में बिस्कुटों के निर्माण के लिए 1973 में अधिष्ठापित क्षमताएं और उत्पादन निम्न प्रकार हा।

	अधिष्ठापित क्षमता	1973 में उत्पादन
कलकत्ता . . .	15,144 प्रतिवर्ष मी० टन	14277 मी० टन
बम्बई . . .	9312 ,, ,, ,,	8240 ,, ,,

1973 में डबलरोटी के निर्माण के लिए पंजीकृत क्षमताएं और उत्पादन निम्न प्रकार रहा

एकक	अधिष्ठापित क्षमता	1973 में उत्पादन
बम्बई .	11664 प्रतिवर्ष मी टन	8288 मी० टन
कलकत्ता . . .	11664 ,, ,, ,,	----
मद्रास . .	1944 ,, ,, ,,	277 ,, ,,
दिल्ली . .	23328 ,, ,, ,,	21107 ,, ,,

बिस्कुटों का निर्माण एक अनुसूचित उद्योग है जबकि कम्पनी द्वारा निर्माण की अन्य वस्तुएं जैसे डबलरोटी, केक और रस अनुसूचित वस्तुएं नहीं है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू किए जाने वाली नयी धन, ताप तथा अणु शक्ति-चालित विद्युत परियोजना में

5112. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने वालो नई घन, ताप तथा अणुशक्ति चालित विद्युत् परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनकी अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8810/74]

सार्वजनिक परिवहन मोटर गाड़ियों का निर्माण

5113. श्री पी० आर० शिनाय :

श्री बेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1974-75 में सार्वजनिक मोटर गाड़ियों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) गत दो वर्षों में कीतनी मोटर गाड़ियां बनाई गई और चालू वर्ष में कितनी बनाई जाने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) वाणिज्यिक गाड़ियों विशेष रुप से बसों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं। कुल उत्पादन में से बस चेसिसों के उत्पादन की प्रतिशतता में काफी वृद्धि की गई ताकि ये अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

निम्नलिखित आंकड़ों से वृद्धि का पता चलता है :—

वर्ष	बसों का उत्पादन
1972-73	9,418
1973-74	9,935
1974-75 (अनुमानित)	10,500

बम्बई में सान्ताक्रुज स्थित इलैक्ट्रोनिक्स औद्योगिक बस्ती

5114. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सान्ताक्रुज में इलैक्ट्रोनिक औद्योगिक बस्ती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बस्ती की मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) इस समय उक्त बस्ती में कितने एकक काम कर रहे हैं और उनके उत्पाद क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बंबई में सांताक्रुज के निकट एक इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र है, जो न्यूनाधिक एक औद्योगिक बस्ती के रूप में ही कार्य करता है।

(ख) इलैक्ट्रोनिक्स में बढ़ते हुए विश्व व्यापार का पूर्ण लाभ देने के लिए भारत सरकार ने 100% निर्यातोन्मुख इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना की है, जो लगभग 91 एकड़ क्षेत्र में है तथा सांताक्रुझ बंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परियोजना की अवस्था के अनुसार इससे अधिकतम उत्पादन सन् 1977-78 में होने लगेगा जब इससे निर्यात की औसत वार्षिक दर 50 करोड़ रुपये की होगी जबकि आयात माल 50% से अधिक नहीं होगा।

संसाधन क्षेत्र वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पूर्ण नियंत्रण "सांताक्रूज निर्यात संसाधन क्षेत्र प्राधिकार" जिसके प्रमुख निर्यात उत्पादन विभाग के सचिव हैं, में निहित है।

उद्योग-कर्ताओं को 100% निर्यात के लिए इलैक्ट्रोनिको निर्माणी गठित करने हेतु भूमि, पानी और बिजली की सुविधाएं रियायती दर पर दी जाती हैं। क्षेत्र में होने वाले आयात तथा इससे किये जाने वाले निर्यात भी शुल्क-मुक्त हैं।

(ग) सांताक्रुज क्षेत्र में पांच एककों ने पहले ही उत्पादन आरंभ करके निर्यात प्रचालन शुरू कर दिया है। उनके उत्पाद हैं: आसिलीस्कोप, प्रयोगशाला उपकरण, उपभोक्ता उत्पाद तथा इलैक्ट्रोनिक घटक।

तमिल नाडु में कागज का संयंत्र

5115. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिल-नाडू में एक कागज संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां उक्त संयंत्र स्थापित किया जायगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न हो नहीं उठते।

राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा दूर संचार सुविधाओं का विकास

5116. **श्री गिरिधर गोमांको :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के दौरान राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा दूर संचार सुविधाओं के लिये बनाई गई नीति की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : डाक सुविधाएं : मौजूदा नीति के अनुसार बहुत पिछडे इलाकों में डाकघर खोलने के बारे में शर्तों में ढील देकर विचार किया जाता है। किसी नए डाकघर से कम से कम अनुमानित आय जब कि सामान्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत नियत की गई है पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और अन्य बहुत पिछडे क्षेत्रों में 15 प्रतिशत नियत की गई है। किसी नए डाकघर को खोलने में स्वीकार्य वार्षिक घाटा जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये या 750 रुपये है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में यह 1000 रुपये (या विशेष मामलों में 2500 रुपये) नियत किया गया है।

पांचवीं योजना की अवधि के दौरान ऐसा प्रस्ताव है कि बहुत पिछड़े क्षेत्रों में करीब 5,100 ग्राम पंचायत वाले गांवों में, जहां 2 मील से अधिक दूरी पर डाकघर हों, डाकघरों की व्यवस्था की जाए बशर्ते कि उन मामलों में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों और निधियां उपलब्ध हों।

दूर संचार सुविधाएं : दूरसंचार सुविधाएं सामान्यतः उन स्थानों पर दी जाती हैं जहां उनके प्रस्ताव लाभप्रद पाये जाते हैं। अविकसित क्षेत्रों में एक सीमा में घाटा उठाकर भी दूरसंचार सुविधाएं देने के लिए विभाग ने एक नीति निर्धारित की है। इसके अन्तर्गत यह सुविधा देना प्रस्तावित स्थानों के प्रशासनिक और दूसरे प्रकार के महत्व, वहां की आबादी और मौजूदा दूरसंचार जाल से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। तथापि यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुमानित आय, वार्षिक आवर्ती खर्च को कम से कम 25 प्रतिशत होनी चाहिए। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के मामले में इस नीति में ढील दे दी गई है। ढील दी गई इन शर्तों के मुताबिक, अनुमानित आय प्राप्त करने की प्रतिशत कम कर के पहाड़ी इलाकों के मामले में 10 प्रतिशत और पिछड़े इलाकों के मामले में 15 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसे मामलों में आबादी की सीमाएं कम कर दी गई हैं और घाटे की सीमाएं बढ़ा दी गई हैं।

आदि वासी क्षेत्रों में उप योजना

5117. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजना हेतु धनराशि नियत कर रखी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी कर रखे हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजनायें क्षेत्र पर आधारित होंगी और इसलिए उनके वास्ते आयोजन अभ्यास राज्य सरकारों को आरम्भ करने होंगे। योजना आयोग ने राज्यों से अनुरोध किया था कि प्रधान रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम तैयार करें। केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रम क्षेत्र पर आधारित नहीं हैं, इसलिए अलग से उप-योजनायें बनाने के लिए हमने उनसे अनुरोध नहीं किया है। बहरहाल, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लोगों के लाभार्थ यथासंभव, कार्यक्रमों का निर्धारण करें तथा उनके फायदों को आंकें। केन्द्रीय समन्वय समिति, जिसका गठन गृह मंत्रालय ने योजना आयोग के अनुरोध पर किया है, ने ऐसा अभ्यास करने के लिए मंत्रालयों को सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले हो जारी कर दिए हैं। मंत्रालय इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और वे ऐसे निर्धारणों को जानकारी हासिल करने के कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं।

Delhi Bhilai Direct Dialling

5118. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Bhilai has not been connected with Delhi by direct dialling ; and

(b) the time by which this facility will be provided by Government ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Trunk dialling between Bhilai and Delhi has not been provided.

(b) The average daily trunk traffic between Bhilai and Delhi is too meagre to consider provision of Trunk dialling at present.

Telephones in the Country after every one lakh Population

5119. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephones available in the country after every one lakh population;

(b) the State-wise number thereof ; and

(c) the steps Government are taking to provide more telephones to the States where their number is less ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) 227 Direct lines as on 31-3-74.

(b) As per list enclosed.

(c) Provision of telephones is mainly determined by the demand, the economics of opening/expanding existing exchanges and the availability of resources. While determining priorities weightage is also given to the backwardness of the area.

STATEMENT

List showing state-wise distribution of telephone after every one lakh population

State	Direct Exchange lines per one lakh population
Andhra	180
Bihar	76
Gujarat including Daman Diu	346
Jammu & Kashmir	148
Karnataka	214
Kerala including Lakshdeep	247
Madhya Pradesh	110
Maharashtra including Goa	465
North Eastern	
Assam	121
Meghalaya	242
Arunachal Pradesh	72
Mizoram	93
Nagaland	317
Tripura	120
Manipur	135
Orissa	79
Punjab (Telecom. Circle)	258
Haryana, Himachal Pradesh	State-wise break up not available presently
Rajasthan	155
Tamil Nadu including Pondicherry	325
Uttar Pradesh	103
West Bengal including Andaman & Nicobar	317
Delhi Union Territory	2569

Direct Dialling between State Capitals and District Headquarters

5120. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of States whose capitals have been connected with District headqaurters by direct dialling ; and

(b) the time by which the capitals of the States, which are not yet connected with direct dialling to district headquarters will be provided this facility ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) A statement showing the names of State capitals and their District Headquarters connected by Subscriber Dialling is placed on the table of the Lok Sabha.

(b) No time tlimit has been fixed for providing Subscriber Dialling between State capitals and their District Headquarters.

STATEMENT

The names of state capitals and their District Headquarters connected by Subscriber Dialling

Sl. No.	Name of the State	State Capital	District Headquarters connected to the State Capital.
1	Bihar	Patna	Muzzafarpur.
2	Gujarat	Gandhinagar	Ahmedabad, Surat.
3	J & K	Srinagar	Jammu, Anant Nag, Baramula.
4	Karnataka	Bangalore	Dharwar.
5	Kerala	Trivandrum	Kottayam, Quilon, Ernakulam.
6	Maharashtra	Bombay	Poona, Nagpur, Thana*.
7	Orissa	Bhubaneshwar	Cuttack.
8	Punjab	Chandigarh	Jullundur.
9	Tamil Nadu	Madras	Saidapet*, Coimbatore, Madurai, Trichi.
10	Uttar Pradesh	Lucknow	Varanasi, Kanpur.
11	West Bengal	Calcutta	Howrah*, Alipore*.

Post Offices in the Country after every one thousand Population

5121. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices in the country after every one thousand population ;

(b) the State-wise number thereof ;

(c) the steps Government are taking to open more post offices in the States where they are in lesser number ;

(d) the basis on which sub-post offices are opened ; and

(e) the State-wise number of sub-Post Offices ?

*Note : (a) Thana (b) Saidapet and (c) Howrah/Alipore have been included being District Headquarters. They, however, form part of Bombay, Madras and Calcutta Telephone Systems.

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) There is one post office for every 4688 population as on (31-3-74) i.e. 0.21 Post Offices per 1000 population.

(b) The average population per P. O. state-wise is furnished in Annexure. [*Placed in the Library. See No. L. T.* 8811/74].

(c) Post Offices are opened on fulfilment of certain conditions, like distance from the nearest P. O. annual loss that will be incurred by the new P. O., the population to be served anticipated annual income etc. Wherever the conditions are satisfied, post offices will be opened. Due to financial stringency, opening of new P. Os. during current year 1974-75 is restricted to very backward and hilly areas.

(d) Sub Offices are normally opened in large towns where there is justification, provided the work-load is not less than 5 hours and no loss is incurred by the S. O. In rural areas post offices are given the status of branch offices and upgraded into Sub Office when the work load comes to 5 hours or more and annual loss does not exceed Rs. 1000/-. In urban areas B.Os. are upgraded if the annual loss is within Rs. 500 and the workload is 5 hours or more

(e) The information is furnished in the Annexure. [*Plcced in the Library. See No. L. T.* 8811/74].

Religious Conversions

5122. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there have been religious conversions all over the country in 1973-74 ;

(b) if so, religion-wise number of persons converted ; and

(c) the Stare-wise facts thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) According to information available with the Government of India, there is no law providing for intimation or registration of conversions from one religion to another, except for the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968. The information asked for therefore, is not available.

Facilities to the Families of Freedom Fighters

5123. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the facilities, besides grant of pension, given by Government to the families of the martyrs of the freedom struggle ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : For the relief and rehabilitation of such families the various State Governments have evolved their own schemes which provide one or more of the following benefits :—

(a) grant of pension,

(b) grant of land,

(c) refund of fines imposed for participation in national movements,

(d) restoration of confiscated properties,

(e) rehabilitation loans,

(f) educational concessions to children, and

(g) preference in employment.

Disbursements are also made from the Home Minister's Discretionary Grant for giving relief to families of martyres who are in need of special assistance and ask for it.

Production of Silk in Fifth Plan

5124. **Shri M. S. Purti :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have laid stress on the production of silk during the Fifth Five Year Plan and taken some concrete steps in this regard; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (a) and (b) Government have planned to increase the production of raw silk from 28-.94 lakh Kg. in 1973-74 to 45.45 lakh Kg. by 1978-79 and have taken the following measures :—

(1) A provision of Rs. 35.12 crores has been allocated for achieving the Ffith Five Year Plan target as follows :—

(i) Central Projects	Rs. 8.00 crores
(ii) States' Schemes	Rs. 27.12 crores
TOTAL	Rs. 35.12 crores

(2) In pursuance of the recommendation of the Indian Silk Delegation of the Central Silk Board, Jammu & Kashmir State has taken steps to reorganise its Cropping pattern of expansion of mulberry potential and achieve target production of 1.5 lakh Kg. by the end of the Fifth Plan period.

(3) The Government of West Bengal has formulated specific schemes for bringing about large scale expansion of mulberry plantation to the tune of 2,500 acres during the Fifth Plan period

(4) Comprehensive projects for undertaking large scale production of oak tasar in the States of Uttar Pradsh, Himachal Pradesh, Jammu & Kahsmir and Manipur are proposed with a view to ensuring effective exploitation of nature-grown oak trees available in those states.

(5) Besides orgasising extension wings for translating the results of research already achieved by the Central Silk Board and the Board's Research Stations, the activities of the Research Stations are proposed to be further strengthened to bring about further improvement in productivity, improvement of quality and lowering of cost of production.

(6) Rearing of Bivoltine silkworm races is proposed to be popularised on large scale in West Bengal, Karnataka and Tamil Nadu. A scheme for production of 800 M/tons of Bivoltine silk under F. A. O. programme will be put on the ground during the Fifth Plan period.

(7) Apart from the Plan programme, the Government of Karnataka has also taken up a 7-year crash programme for development of sericulture at a total cost of Rs. 61.94 crores to achieve the production target of 35.00 lakh Kg. by the end of the seventh year.

(8) Government of Tamil Nadu have also formulated a 5-year programme at a total cost of Rs. 4.07 crores to achieve production target of 2.25 lakh Kg. by the end of the period in addition to its Fifth Plan programme.

विद्युत संयंत्रों के आयात पर रोक लगाया जाना

5125. **श्री श्यामसुंदर महापात्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् संयंत्र आयात करने के लिये लगाई गई रोग हटा ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी और इस वर्ष कितनी खर्च की जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, सरकार विशेष मामलों में, जहां ऐसा आयात अनुसूचित विद्युत् कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य समझा जाए, विद्युत् उत्पादन उपस्कर के आयात की अनुमति देती है।

(ख) 1973-74 के दौरान विद्युत् संयंत्रों के आयात के लिए 6.90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निर्मुक्त की गई थी। चालू वर्ष के दौरान अब तक केवल 2.27 करोड़ रुपये की राशि नियुक्त की गई है ।

इन्डस्ट्रीज (डिवेलपमेन्ट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट के अधीन गठित जांच समिति

5126. श्री रोबिनसेन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज (डिवलपमेंट एण्ड रैग्युलेशन्स) एक्ट के अधीन गठित जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) किसी औद्योगिक उपक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्र सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 अथवा 15-क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को नियुक्त कर सकती है। ऐसी समितियों की रिपोर्टों की जांच उनके प्राप्त होने पर विभिन्न संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके की जाती है।

आंसुका के अधीन जेलों से बाहर हिरासत में रखे गये व्यक्ति

5127. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "आंसुका" के अधीन कितने व्यक्तियों को जेलों से बाहर हिरासत में रखा गया है तथा कितनों को जेल को अस्पतालों में रखा गया है तथा उनके नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मेघालय तथा त्रिपुरा सरकार से 1-12-1974 को प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

मेघालय :—श्री सितेश राय को जेल के बाहर प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था।

त्रिपुरा :—श्री गोविंदा चन्द्र देव को जेल अस्पताल में दाखिल किया गया था।

आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु राज्यों और अन्दमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ, दादरा तथा नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने 1-12-1974 को "शून्य" सूचना भेजी है ।

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य तथा मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

मिलिटरी इन्जिनियरिंग सर्विस के श्री आर० पी० भाटिया का गिरफ्तार किया जाना

5128. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1974 को अवैध रुप से 2700 डालर से अधिक विदेशी मुद्रा रखने के आरोप में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के एक असिस्टेंट इंजीनियर श्री आर० पी० भाटिया को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(ख) इस संबंध में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभागों के किसी अन्य अधिकारी तथा अधिकारियों को इसी प्रकार के घोटालों में पकड़ा गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 को मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के श्रेणी I के एक सहायक गैरिजन इंजीनियर, श्री आर० पी० भाटिया को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 8(1) के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में ऐडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट नई दिल्ली द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आगे की जांच-पड़ताल चल रही है।

(ग) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों अथवा प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन के वैयक्तिक रूप से उल्लंघनों के अन्य मामले भी हो सकते है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के वैय्यक्तिक रुप से उल्लंघनों के मामले से किसी घोटाले का भिन्न प्रकार होने का कारण, उस में कानून के सुनियोजित तथा व्यावसायिक ढंग से अतिक्रमण किया जाना निहित होता है। गत तीन वर्षो के दौरान रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे एक व्यक्ति का ऐसा ही केवल एक अन्य मामला प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में आया है। यह मामला आर्डिनेन्स डिपो के एक सिविलियन असिस्टैन्ट स्टोरकीपर से सम्बन्धित है, जिस पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारत में भुगतान लेने तथा भुगतान करने के घोटाले में अन्तर्गस्त होने का सन्देह है। उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, और उसके विरुद्ध यह मामला न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

उच्च न्यायालयों के भारतीय भाषाओं में निर्णय

5129. **श्री कुशोक बाकुला :**

श्री भगत राम राजाराम मनहर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी में अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में निर्णय देने के लिए जारी किए गए आदेशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या देश की विभिन्न संस्थायें समय-समय पर इस प्रकार की मांग करती रही है; और

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करने के बाद इस बारे में कोई निश्चित और समान आदेश सरकार ने दिए हैं अथवा देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अथवा पारित

किए गए किसी निर्णय, डिग्री या आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है और जहां कोई भी निर्णय, डिग्री या आदेश ऐसी किसी अन्य भाषा में (अंग्रेजी भाषा को छोड़कर) दिया गया हो अथवा पारित किया गया हो वहां उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया उसका अंग्रेजी भाषा में रुपांतर भी उसके साथ लगाया जाएगा। अतः राजभाषा अधिनियम के उक्त उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय में हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों को स्वयं पहल करनी है।

अभी तक केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि हिन्दी में देने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगी है। राष्ट्रपति ने, इलाहाबाद, पटना, मध्यप्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय आदि हिन्दी में देने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

गुजरात के डाकघरों में डाक टिकटों, पोस्टकार्डों आदि की कमी

5130. **श्री पी० जी० मांवलंकर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात के अनेक डाकघरों को पोस्ट कार्डों, डाक टिकटों, लिफाफों तथा अन्य सामग्रियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कमी से डाक सामग्रियों का उपयोग करने के इच्छुक जरूरतमंद व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) गुजरात के कुछ डाकघरों में एम्बास्ड लिफाफों और डाक टिकटों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस कमी का कारण लिफाफों के बारे में उनके उत्पादन के लिए कागज की कमी और डाक टिकटों के बारे में उनकी पूर्ति में हुई कुछ देरी है।

(ख) और (ग) गुजरात के संबंधित खजानों को इतनी जल्दी सप्लाई देने के लिए सेंट्रल स्टाम्प डिपो, नासिक को निदेश दिए गए हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTIONS

श्री अटल बिहारी बाजपेई (ग्वालियर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। वह केन्द्रीय सरकार की विफलता के बारे में है।

Mr. Speaker : But how can it be an Adjournment Motion because for an adjournment motion, the matter should be of urgent improtance.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Central Government is not exerting its influence for realization of Delhi Municipal Corporation's dues amounting to about five crores of ruppes from New Delhi Municipal Committee and other Government bodies and due to this D. M. C. is facing financial crisis. Now this matter has been referred to the Lt. Governor of Delhi for arbitration. You should ask the Home Minister to give a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। उनमें से एक विधि तथा व्यवस्था के बारे में था और दूसरा, केन्द्रीय सरकार के 28 लाख कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की चार किश्तें देने में केन्द्रीय सरकार की विफलता के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला कई बार उठाया है। यह हाल ही में उत्पन्न स्थिति नहीं है। इसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में नही लिया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : महंगाई भत्ते के भुगतान का मामला गम्भीर है और उस पर स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It should be told to us as to what decision Government has taken in this regard to the payment of dearness allowance to Central Government employees.

Mr. Speaker : As regards Shri Vajpayees' adjournment motion, I have asked the Minister to give a statement. I will ask the Minister to make a statement about Shri Bhaura also. As regards the dearness allowance, it is being raised continuously and it cannot be raised in the form of adjournment motion. But I would request the Minister to announce the decision of the Government on it.

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य नहीं देंगे तो मैं कल से सभा का कार्य नहीं चलाने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। परन्तु स्थगन प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) **:** Shrimati Indira Gandhi said in Lucknow that opposition parties would be suppressed in Uttar Pradesh. Yesterday some opposition Members in U. P. Legislative Assembly were beaten at Shri Bahugunas initiative.

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा में जो कुछ होता है उसे संसद में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** The matter should be enquired into. If the Prime Minister or the Central Government is found responsible for the incidents which took place in U. P. Legislative Assembly, my adjournment motion on the same should be admitted.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का प्रश्न सभा में कई बार उठाया गया है और सरकार ऐसा उत्तर देती है जो टालने वाला होता है। यह कह दिया जाता है कि मामला विचाराधीन है। सरकार इस मामले में इतनी देर क्यों कर रही है। यदि वह दिवालिया हो गई है तो वह स्पष्टतः ऐसा कहे।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री इस बारे में वक्तव्य कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यथा शीघ्र वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको विधि मंत्री के वक्तव्य के बारे में लिखा था। आपने भी कहा था कि उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उस दिन आपने कहा था कि इसे अगले दिन लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप तो इस पर बोल चुके हैं।

श्री आर० एन० गोयन्का के विरूद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न

QUESTIONS OF PRIVILEGE AGAINST SHRI R. N. GOENKA

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध विशेषाधिकार के मामले से है।

अध्यक्ष महोदय : यदि व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं आपकी बात सुनूंगा अन्यथा नहीं। आप भाषण न देना।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कुछ पढना चाहूंगा। यह सी० बी० आई० के उप महानिरीक्षक की रिपोर्ट के बारे में है। "आरोप पत्र की प्रति हमारी जानकारी के लिए भेजते हुए उप महानिरीक्षकने सुझाव दिया था कि एक्सप्रेस ग्रुप कम्पनियों को जो ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे तत्काल बंद कर दी जायें क्योंकि आरोप पत्र के बाद उनके जारी रखे जाने पर न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पनी की जा सकती हैं। अभियुक्त भी ऐसे ही तर्क का आधार ले सकता है कि आरोप पत्र के दिये जाने के बाद भी बैंक ने सुविधाएं जारी रखी . . ."

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नोट मुझे दिया था वह 16 दिसम्बर का था और मैंने उस पर यह आदेश दिया था कि वह नया मामला है और उसे अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री भोगेन्द्र झा : यह एक गंभीर मामला है कि सी० बी० आई० के उप महानिरीक्षक की रिपोर्ट की अवहेलना की गई और पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर चीफ क्रेडिट एड्मिनिस्ट्रेशन ने मैनेजमेंट कमेटी को इस बारे में लिखा था। यह मामला न्यायाधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि उप महानिरीक्षक ने कब लिखा था कि ऋण सुविधाएं बंद कर दी जाये और उक्त रिपोर्ट का उल्लंघन करके बैंकने कैसे . . .

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो जांच के बारे में है।

श्री भोगेन्द्र झा : एक संसद सदस्य ने सी० बी० आई० के उप-महानिरीक्षक की रिपोर्ट का उल्लंघन किये जाने के लिए दबाव डाला है मेरे पास इसका प्रमाण है और उसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं इस मामले की जांच नहीं कर लेता तब तक मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : श्रीमान्, श्री आर० एन० गोयंका द्वारा उत्तर दिये जाने से पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री एल० एन० मिश्र ने अपने विरूद्ध उठे विशेषाधिकार के प्रश्न का उत्तर उस दिन दिया था और श्री श्यामनन्दन मिश्र तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने उन बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था जिनका उत्तर श्री मिश्र ने नहीं दिया था। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री गोयंका के उत्तर के पश्चात हमें उसके बारे में कुछ स्पष्टिकरण मांगने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : उस मामले में स्थिति अत्याधिक जटिल थी। उस समय इतना शोर मचा कि कुछ भी न सुना जा सका और रिपोर्टर उसे लिख न सके। प्रक्रिया का पालन न किया गया और स्थिति बेकाबू हो गई। किन्तु मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना पुनः न घटे। इसे पूर्व उदाहरण न माना जाये और प्रक्रिया का पालन कठोरता से किया जाये। स्वीकार्यता के प्रश्न पर माननीय सदस्यों के विचार सुनना अध्यक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। हां, संदेह होने पर वह स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि तथ्य स्वतः स्पष्ट है तो अध्यक्ष को उनका उल्लेख करने की भी आवव्यश्यकता

नहीं है। आप लोगों ने कुछ बातें उठाई है और उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और कई बातें सामने आई हैं। मैंने सोचा कि स्वीकार्यता पर कुछ सदस्यों के विचार सुने जायें। किन्तु इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री आर० एन० गोयन्का (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने 13 और 16 दिसम्बर, को मेरे पर कुछ आरोप लगाये हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसे आरोप नहीं लगाये जाएंगे जो निराधार हैं। यह देखा जाना चाहिये था कि क्या वे आरोप उस समय से सम्बन्धित है जबकि मैं संसद का सदस्य था। यदि वे आरोप उस समय से सम्बन्धित नहीं है, तो उस चर्चा का आधार ही समाप्त हो जाता है। संसद सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जबकि वह संसद सदस्य के रुप में कदाचार का दोषी है। सभा में मेरे पर आरोप लगाते हुए जो भाषण दिये गये है, उनमे सचाई नही है क्योंकि वे बातें उस समय से सम्बन्धित है जबकि मैं संसद सदस्य नहीं था। उनका सम्बन्ध संसद सदस्य के रूप में दायित्व वहन से नहीं है। अतः उन दो आधारों पर मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की सूचनाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि मेरे विरुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अभियान जानबूझकर चलाया गया है। उक्त प्रस्ताव नियम 222के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है, उसमें एक कारण यह लिखा है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास के न्यायालय में मेरे विरुद्ध प्रथमतः मामला सिद्ध हो गया था। वस्तुतः यह बिल्कुल निराधार है। इन बातों का उल्लेख मैंने उक्त प्रस्तावों के संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण पत्र में भी किया था। 'पेट्रिआट' में जो समाचार छपा था, उसमें भी ठीक नही लिखा था। मेरा मामला नयी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार चीफ मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट को सोंपा गया था जबकि अभियोग पक्ष उसे सत्र न्यायालय को भेजना चाहता था। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। 'पेट्रिआट' में इस तथ्य को नहीं छापा गया था। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति पर आधारित है जिसकी एक प्रति मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा जिसमें इस तथ्य को छिपाया गया है कि मद्रास के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया उनका यह तर्क रद्द किया गया है कि इस मामले को सेशन न्यायालय को सौंपा जाये। यह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया था। यह केवल प्रक्रिया का प्रश्न है और कुछ नही। मेरे पास मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मद्रास के 30-11-1974 के आदेश की प्रति है जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। इससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी। इस प्रकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो और 'पेट्रियट' यह समाचार छापने के लिये तथ्यों को दबाने के दोषी है। अतः आप देखेंगे कि सदस्यों को यह बात गलत है कि दोष सिद्ध हो गया है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 'पेट्रियट' ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रैस विज्ञप्ति 4 दिसम्बर, 1974 को प्रकाशित की थी जिसमें यह लिखा था कि "मामला स्पैशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास ने शनिवार को चीफ मट्रोपोलिटन, मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के न्यायालय में भेजा था। उनका कहना था कि उसको स्थानान्तरित किया गया है। यद्यपि बाद में इसे ठीक कर दिया गया था कि मामला चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास (और नई दिल्ली नहीं) को भेजा गया था, नई दिल्ली में स्थानन्तरित किये जाने के समाचार से मुझे काफी नुकसान पहुंचा है। मैं यह नहीं कह सकता कि 'सुपुर्द किया गया' शब्दों का प्रयोग जानबूझ कर किया गया था जिससे यह गलत धारणा पैदा हो कि आरोप सिद्ध हो गये है। 'पेट्रियट' ने इस समाचार को छापने में जितनी तत्परता दिखाई है और जितना महत्व दिया है उससे सिद्ध हो जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य सभी स्वार्थी तत्वों के बीच मुझे बदनाम करने की सांठगांठ थी। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक को मेरा खाता बन्द करने के लिये कहा है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका काम मुझ पर मुकदमा चलाना है और न्यायालय में तथ्य पेश करना है। वे मेरा कारोबार बन्द नहीं कर सकते। मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने वर्ष 1968 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 40 लाख रुपय की धोखाधड़ी की थी। शायद आपको और माननीय सदस्यों को इस बात का पता नहीं है कि 'पंजाब नेशनल बैंक ने इस बारे में

[श्री आर० एन० गोयन्का]

कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मैं और मेरी ऐक्सप्रैस कम्पनी अभी भी उनके ग्राहक हैं। सरकारी वकील सहित सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी कोई रकम नहीं है जिनका भुगतान न किया गया हो। यह हैरानगी की बात है कि पंजाब नेशनल बैंक ऐसा नहीं कहता परन्तु सरकार कहती है कि मैंने धोखाधड़ी की है। फिर भी इस बात का निर्णय आपको करना है कि समाचार पत्रों में माननीय सदस्यों के विरूद्ध प्रकाशित आरोपों पर इस सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जायें या नहीं। इस प्रकार के कई मामले बतायें जा सकते है जो कुछ माननीय सदस्यों के विरुद्ध चलायें जा रहे है। क्या उनकी चर्चा इस सभा में की जा सकती है? मैं इन सदस्यों के नामों का उल्लेख करना उचित नहीं समझता। एक माननीय सदस्य के बारे में मलयालम के एक समाचारपत्र में सम्पादकीय प्रकाशित हुआ है। उसमें उनपर कुछ घृणित अपराध करने के आरोप लगाये गये है। उसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि माननीय सदस्य ने संसद सदस्य होने के नाते अपने प्रचार का उपयोग करके उस मामले को समाप्त करवा दिया है। क्या आरोप लगाये जाने मात्र से उस माननीय सदस्य के आचार की चर्चा करना उचित होगा? वह संसद सदस्य भी इस प्रस्ताव को पेश करने वालों में है। फिर कई चुनाव याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनमें संसद के वर्तमान सदस्यों के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये गये है। क्या केवल आरोप लगाना ही इस सभा में उनके आचार पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त है। मैं ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहता हूं। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि आप इस प्रकार के प्रस्ताव द्वारा आज समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर किसी सदस्य की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। मैं आरोंपो का उत्तर देने से पहले यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सरकार तथा कुछ अन्य एजेंसिया मुझे परेशान करना चाहती है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी ने उन्हीं बातों को दोहराया है कि 'पेट्रीयट' में प्रकाशित हुई है। मैं इस मामले के गुण-दोष का विवेचन नही कर सकता क्योंकि यह न्यायालय में विचाराधीन है। यह सभा न्यायालय नहीं है। आपको इस प्रकार के आरोप लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये थी। मैं इनका उत्तर न्यायालय में दूंगा? इस सभा का सम्बन्ध केवल दुराचरण के साथ है। माननीय सदस्य ऐसा कोई मामला नहीं बता सके।

श्री भोगेन्द्र झा ने मुझ पर 25 करोड़ रुपय का गबन करने का आरोप लगाया है। पता नहीं ये आंकड़े उन्हें कहां से मिले है। उन्होने वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कोई टिप्पण लिखे जाने की बात कही थी। परन्तु मुझे ऐसा कोई टिप्पण नही मिला और न हीं उसके बारे में मुझ से कोई प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने कलकत्ता में प्रधान मंत्री के भाषण का भी उल्लेख किया था परन्तु मैं उनका नाम इस चर्चा में नहीं घसीटना चाहता। मैं उनके तथा समस्त नेहरू परिवार का आदर करता हूं। फिर उन्होने श्री जय-प्रकाश नारायण की गतिविधियों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। उनकी गतिविधियों का मेरे विरूद्ध लगायें गय आरोपों का क्या सम्बन्ध था? यह कहना गलत है कि मैं विधायकों को रिश्वत देने के लिये पटना गया था। मैं उनसे घृणा करता हूं और वे घृणा करने के ही योग्य हैं। श्री जयप्रकाश नारायण अपने बारे में स्वयं कह सकते हैं। सभा में एक मात्र नियम यह है कि इस सभा में किसी ऐसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप नही लगाये जाने चाहिए जो इस सभा में अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नही कर सकते हो। इस चर्चा में इस नियम की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी ने स्वीकार किया है कि न्यायालय ने मामले के गुणदोषों पर अभी तक निणय नहीं दिया है फिर भी वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे विरूद्ध चार मामले हैं। मेरे विरुद्ध एक मामला है और जो चर्चाधीन है। यदि और भी कुछ मामले बनाये जा रहे हो तो उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनको पता होगा।

श्री उन्नीकृष्णन सरकार के विश्वासपात्र हैं। उन्होने केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच के बार में अनेक बातो का उल्लेख किया है। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया चूंकि मैंने भगवान वेंकटेश्वर देवस्थानक, तिरूपति के धन का दुरुपयोग किया है। यह मामला एक साम्यवादी सदस्य ने वर्ष 1968 में इस सभा में उठाया गया था। तत्कालीन अध्यक्ष ने इस मामले की जांच करवाने के लिय कहा और बाद में तत्कालीन विधिमंत्री श्री गोविन्द मेनन ने 13 मई 1969 को लोक सभा में बताया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि तिरुपति मन्दिर के धन का दुरुपयोग किया गया था। श्री इन्द्र जीत गुप्त द्वारा आरोप लगाये जाने पर भारत सरकार द्वारा की गई जांच से और अच्छी जांच क्या हो सकती है। इस से पता चलता है कि सदस्य कितनी गैर-जिम्मेदारी से आरोप लगाते हैं जो बाद में झूठे सिद्ध होते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये। वे निराधार आरोप लगा देते हैं जो पूरे विश्व में प्रकाशित होते हैं। मुझ बदनाम करने के लिये ये आरोप लगाये गये हैं।

नेशनल कम्पनी लिमिटेड द्वारा कम मूल्य के तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाने का आरोप भी लगाया गया था। यद्यपि मैं इस कम्पनी प्रतिदिन के प्रबन्ध के बारे में सब जानकारी रखता हूं परन्तु मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं मिली। अत: यह आरोप भी झुठा है। श्री उन्नीकृष्णन ने मुझ 'पुराना अपराधी' बताया है। मैं वर्ष 1917 से अपराधी हूं यह बात मैं स्वीकार करता हूं। मैं अंग्रेज सरकार का अपराधी बना जब मैंने महात्मा गान्धी, आचार्य कृपलानी और बाबू बृज किशोर प्रसाद से देशभक्ति का पाठ पढा था। मुझे अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1926 में मद्रास विधान परिषद में नामनिर्देशित किया था। मैं विरोधी पक्ष में बैठा और मैं कांग्रेसियों के साथ देश के हितों का ध्यान रखा। किसी भी अन्य नामनिर्देशित व्यक्ति ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध मतदान नहीं किया था। मैं निश्चय ही अंग्रेज सरकार के साथ वफादारी न करने का अपराधी हूं। मेरे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भूमिका निभाई उसकी सभी देशभक्त सराहना करेंगे। मैं ने यह अपराध देश हित में किया जिसके लिये मुझे उनका कोपभाजन बनना पड़ा। इन अपराधों के लिये मुझ पर अनेक बार मुकदमे चलाये गये। मैंने 'इण्डिया रवेजड' नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था जिसमें वर्ष 1942 के आन्दोलन में अंग्रेज सरकार द्वारा किये गये अत्याचारों का ब्यौरा दिया गया था। मैंने यह भी अपराध किया था। इसी प्रकार का अपराधी व्यक्ति 1946 में कांग्रेस टिकट पर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ और वह वर्ष 1952 तक अस्थायी संसद का सदस्य भी रहा। मैं 50 वर्ष के सक्रिय जीवन में अनेक राष्ट्रीय नेताओं के साथ सम्बन्ध रहा हूं और वर्ष 1927 से आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी रहा हूं। इतनी लम्बी अवधि में कुछ व्यवधान भी हो सकता है। मैने पूरी जिम्मेदारी के पदों पर कार्य किया है परन्तु मेरे चरित्र पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। परन्तु जैसेही मैं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, मुझे पर आरोप लगाये जाने लगे। केवल वर्ष 1969 के बाद मुझ में बुराइयां ढूंढी जाने लगी। सब से अधिक दु:ख की बात यह है कि इस चर्चा में श्री जयप्रकाश नारायण के नाम को भी घसीटा गया है। एक सदस्य ने कहा था कि मैंने उनकी सहायता की है जो लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। उनकी सहायता दिये जाने के बारे में और भी कई आरोप मुझर लगाये गये है। आपने स्वयं असम्बद्ध बातें करने के कारण इन सदस्यों की भर्त्सना की थी। आपने स्वयं कहा था कि जब मै कांग्रेस में था तब कांग्रेसी नेताओं के साथ मेरे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद अन्य व्यक्तियों के साथ मेरे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो गये है।

जहां तक श्री जयप्रकाश नारायण का सम्बन्ध है मैं उन्हें गत 40 वर्षो से जानता हूं। आपने भी यह स्वीकार किया है कि मेरे पटना दौरे पर तथा जयप्रकाश नारायण से भेंट पर आपको कोई आपत्ति नहीं है।

मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेस में विघटन हो जाने के बाद मेरे में कोई बुराई आई है। जब से श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना आन्दोलन चलाया है तब से स्थिति बहुत खराब हो गई है।

[श्री आर० एन० गोयन्का]

मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं किसी न किसी प्रकार श्री जयप्रकाश नारायण के काम आया उदाहरण के तौरपर मैंने उनकी चिकित्सा की उच्छी से अच्छी व्यवस्था करवायी जिसके परिणाम स्वरूप वह अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की यह तुच्छ सेवा कर सका हूं जिसकी देश भक्ति सराहनीय है।

श्री जयप्रकाश नारायण को बदनाम करने का अभियान आरम्भ किया गया है क्या उनको इस प्रकार निरन्तर बदनाम करने का अभियान आरम्भ किया जाना उपयुक्त होगा? मैं चहता हूं कि न्याय स्वयं अपना मार्ग ल लेकिन पक्षपातपूर्ण रवेये से वातावरण विपरित बनाया जा रहा है।

मैं इस तथ्य से सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति को राजनितिक और सार्वजनिक जीवन और विशष रूप से समाचार पत्र में कार्य करते हुए इस तरह की बातों का सामना करना ही पड़ता है और यदि सत्ता अपने दृष्टिकोण से किसी मतभद को नहीं मानती तो इस कार्य को विपक्षी दलों को करना होगा।

इस मामलों पर चर्चा की अनुमति दे कर एक अस्वस्थप्रद परम्परा अपनाई गई है। भावी पीढ़ी इसके लिय हमें कभी क्षमा नहीं करेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (वडगरा) वैयक्तिक स्पष्टीकरण (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने के लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : (कलकत्ता-दक्षिण) : उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का उल्लेख नहीं किया है ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाते हैं उन्हें उसकी स्वीकृति पर बोलने का अवसर दिया जाता है।

अब आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला मैं मंत्री महोदय को भेज रहा हूं। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि आप इस मामले को किस प्रकार निपटाना चाहते है। श्री तुलमोहन राम के मामले से हमें बड़ा कटु अनुभव हुआ है अत: मेरे विचार से और अधिक सदस्यों को इस बारे में विचार प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिय। हमें इस मामले में अपनी पूरी जानकारी सदस्यों को देनी चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में मैंने जो बाते उठाई हैं उनका उत्तर हां या न हीं में स्पष्ट रुप से दिया जाना चाहिये मैंने राधा कम्पनी का उल्लेख किया था उन्होंने उस कम्पनी से जाली नाम से 56 लाख रुपये प्राप्त किये। उन्हें यह बताना चाहिय कि यह बात सच है अथवा नहीं। उन्होंने यह कहा है कि वह न्यायालय में बोलेंगे। उन्होंने यह कहा था कि संसद सदस्य के रूप में मने कुछ नहीं किया (**) उन्हें इस बारे में उत्तर देना चाहिये। इस मामले की

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

जांच की जानी चाहिये। मुझे इस बात की जानकारी है कि 50 लाख रुपये की कमले श्रम की राशि को श्री गोयन्का ने नैशनल बैंक लिमिडेड में जमा किया था।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : **

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपा कर बैठ जायें। मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री मोदी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री पीलू मोदी : **

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : श्री मुंशी द्वारा झुठा आरोप लगाया गया है अतः उसे कार्यवाही बृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने यह कहा था कि श्री गोयन्का नैशनल कम्पनी लिमिटेड के मामले में शामिल थे। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है अथबा नहीं।

मुझे बताया गया है गत वर्ष उन्होंने 50 लाख रुपये का काला धन दिया जबकि कम्पनी में हड़ताल थी।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : As you have allowed Shri Priya Ranjan Das Munshi. Please allow other members also to speak for a minute at least, Shri Goenka used to pay Rs, 3000 per month to Shri Feroz Gandhi , out of which Sbri Gandhi paid Rs, 1500/- to Smt, Indira Gandhi (*Interruptions*)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री गोयन्का द्वारा मलयालम के एक दैनिक में मेरे उपर आक्षेप लगाये हैं जिसके लिये मैं उनका ऋणी हूं। मुझे इन चोरबाजारियों के बारे में जानकारी है। वह या तो उस दैनिक का नाम बताये अथवा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें। यदि श्री गोयन्का को सभा में अपनी अपनी सफाई देनी है . . . **उनमें समाचार पत्र का नाम बताने का साहस होना चाहिये . . . (**व्यवधान**) **

श्री पीलू मोदी : **

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गर जिम्मेदारान टिप्पणियां हैं। आप सब संसद के माननीय सदस्य हैं। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये जो असंसदीय हों।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आरोपों के बारें में उल्लेख कर रहा था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिये। श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् कई बार सच्चाई बड़ी कड़वी होते है। मैं अनुरोध करूंगा कि वह मलयालम के समाचार पत्र का नाम बतायें और अनुवाद की एक प्रति आपको भी द। आपको आरोपों के स्वरूप के बारे में जांच करनी चाहिय। अन्यथा उन्हें गन्दी टिप्पणी करने के लिये माफी मांगनी चाहिये क्योंकि वह उन्होंने सब प्रश्नों तथा लगाये गये आरोपों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैं अभी भी आरोप को दोहराता हूं।

वह स्वभावतः अपराधी हैं। यहां सब रिकार्ड प्रस्तुत किये जाने चाहिये ताकि हम अपने प्रस्ताव को स्पष्ट सिद्ध कर सकें।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं, किया गया।

**Not recorded.

श्री पीलू मोदी : यह अब तक का दिया गया सबसे बुरा वैयक्तिक स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयन्का, यदि आप किसी पत्र से उद्धरण देते हैं तो आपको उक्त पत्र मुझे देना होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**

Shri Atal Bihari Vajpayee : He is telling a lie He has just now stated . . .**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने जो कहा था वह मैं फिर दोहराता हूं। मैंने कहा था **

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला (चितौडगढ) : श्री प्रिय रंजन दास ने सभा में कहा था कि **

अध्यक्ष महोदय : आप सब बहुत जोश में आ रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने सभा में बताया था कि**। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं को इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं जबकि उन्होंने कहा है कि आप वह व्यक्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : **

Shri Madhu Limaye On a point of order, either you expunge every word which he has spoken or let him give his personal explanations.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शान्त रहें। यदि ऐसी बात कभी कभी होती है तो कोई बात नहीं लेकिन यदि ऐसा रोज होगा तो मेरे लिये बहुत कठिनाई होगी। यह विशेषाधिकार से संबंधित सामान्य प्रश्न था कि उन्होंने सदन के सदस्य के रुप में अपने प्रभाव का उपयोग किया। आप ऐसे मामलों पर क्यों झगडने लगते हैं जो चंर्चा के विषय नहीं है अथवा जो तत्संगत विषय नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आरोप लगाये गये थे कि श्री गोयन्का ने अपने संसद सदस्य होने का प्रभाव मंत्रियों तथा अधिकारियों पर डाला है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय :** यदि किसी माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख किया गया होगा तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अत: मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये अथवा झूठ बोलने के लिये आपको उस सदस्य की निन्दा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उल्लेख किये गये सब शब्द वास्तव में तत्संगत नहीं हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं एक ठोस सुझाव दे रहा हूं। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने उल्लेख किया था** इस समय दोनों सदस्य आमने-सामने हैं। श्री मुंशी को उन्हें पहचानने का साहस होना चाहिये अन्यथा आपको उनके शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिये।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : नहीं मेरा अधिकार सुरक्षित है। आप रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। श्री गोयन्का ने एक प्रश्न को छोड़ मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। वह प्रश्न राधा कम्पनी के बारे में था अतः आप इस बारे में रिकार्ड की जांच कर ले और फिर मेरे शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालें। दूसरा आरोप यह था कि कलकत्ता स्थित एक पटसन मिल नेशनल कम्पनी जिसमें गत वर्ष हड़ताल थी श्री गोयन्का ने ** 50 लाख रुपये का काला धन दिया था। यह मामला जांचाधीन है। मैंने जो कहा था आप इस बात की रिकार्ड से जांच करें **

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने यह कहा था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने यह कहा था कि ** मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण सुनकर प्रसन्न हुंगा। मैंने यह कहा था कि इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

श्री पीलू मोदी : आप पहचानिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं गोयन्का के पास नहीं जाता हूं और **

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही के रिकार्ड को देखने का कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : कार्यवाही वृतांत में अगर आपको इससे अन्य कोई बात मिले तो आप मुझसे कहियेगा। मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : आपके विनिर्णय का क्या हुआ? ** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ** . . . कार्यवाही वृत्तांत में से पूर्णतया बाहर निकाल दिया जायेगा . . .

श्री पीलू मोदी : . . . यह असंसदीय शब्द है आज कल तथा परसों . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : हम गरीब लोगों की कठिनायों की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं। आपको सदन का समय इस प्रकार व्यर्थ जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भोगेन्द्र झा को बुला चुका हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : श्री गोयन्का को सुनने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ दिया है। उनके विरूद्ध अपराधात्मक षड़यंत्र तथा धोखाघड़ी का प्रत्यक्ष आरोप लगाया गया है, यह बात मैंने कही थी। परन्तु उन्होंने कहा की यह गलत है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी पूर्णतया आरोप मुक्त कर दिया है क्योंकि वह पहले उसके मालिक थे। मैं उनके विरूद्ध लगाये गये अपने धोखाघड़ी तथा षडयंड़ के आरोप को प्रमाणित कर सकता हूं। उनके विरूद्ध आरोपपत्र तैयार किया गया है और अब यह बात पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य प्रशासक के प्रतिवेदन में भी है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे वक्तव्य को उन्होंने गलत बताया है परन्तु मैं अपने आरोपों को प्रमाणित कर यह दस्तावेज़ सभापटल पर रखना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है। मैं इसे देखुंगा। अब पत्र सभापटल पर रखें जायें।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम की वर्ष 1973–74 की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरिक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8788/74]

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1973 का प्रतिवेदन–संघ सरकार (वाणिज्यिक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, और भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, के बारे में

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(*1*) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन––संघ सरकार (वाणिज्यिक)––के निम्नलिखित भागों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

भाग 2––राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग 3––भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8789/74]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं **श्री जियाउरहमान अंसारी** की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8790/74]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की क्रियान्वित के बारे में 1 जनवरी 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 की अवधि का प्रतिवेदन

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति के बारे में 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8791/74]

केन्द्रीय वक्फ परिषद (संशोधन) नियम 1974

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8 घ की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो दिनांक 7 सितम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2269 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8793/74]

भारतीय तार (10 वां संशोधन) नियम 1974

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (10 वां संशोधन) नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 25 नवम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 665 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8793/74]

भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड नियम 1974

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): मैं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (3 के अन्तर्गत भाखड़ा प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1330 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ०—8794/74]

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारतीय प्रेस 1972 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और सिनेमा के बारे में गुजरात की अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिन्हा): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारतीय प्रेस सम्बन्धी 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8796/74]

(2) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) गुजरात सिनेमा विनियमन (विज्ञापन गाड़ियां) (पहला संशोधन) नियम 1973 जो दिनांक 17 मई, 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच जी/80/बी सी आर 2972-2095 ए में प्रकाशित हुए थे।

(ख) बम्बई सिनेमा (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो दिनांक 14 जून 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र के अधिसूचना संख्या जी एच/जी/115/बी सी आर/3363-चार-ए में प्रकाशित हुए थे।

(ग) बम्बई सिनेमा (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1973 जो दिनांक 29 नवम्बर 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच/जी/303/बी सी आर-3270-7612-ए में प्रकशित हुए थे।

(च) बम्बई सिनेमा (गुजरात चौथा सशोधन) नियम, 1973 जो दिनांक 27 दिसम्बर 1973 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच/जी/330/बी, सी आर/ 3370/9141-ए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8795/74]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

49 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 49 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr, Speaker, Sir, last Friday I gave a notice for the Bill which related to free censorsship or for the exemption of Entertainment Tax, According to clause 117 of the Constitution, Presidents' consent was required and that is why I could not introduce the Bill. In this connection some correspondence was exchanged between the President and your Secretariat' this session is going to end by 20th December; end. I want to know if by that time Prof. S. Nurul Hasan will make a statement in this regard.

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

13 वां प्रतिवदन

डॉ० हैनरी अस्टिन (एरणाकुलम) : श्रीमान्, मैं विशेषाधिकार समिति का 13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

31वां, 32 वां, और 33 वां प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग)—भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण, और उनके नियोजन

तथा भारतीय बीमा निगम द्वारा अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गयी सुविधाओं रियायतों के सम्बन्ध में समिति के 15 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 31 वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)——भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर——में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति के 21 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा कि गयी कार्यवाही के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय——मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खण्डों के सम्बन्ध में समिति के 22 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री बसुमतारी उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं। वह स्वयं अनुसूचित जनजाति के हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आसाम में बोंडा जनजाति के लोगों पर किये गये अत्याचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है। और क्या उन्होंने इस समिति के सभापति होने के नाते इस बारे में कुछ किया है।

श्री डी० बसुमतारी : आपने ही बोंडो जनजातियों को आपस में लड़ने के लिये उकसाया है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

18 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री चन्द्रीका प्रसाद (बलिया) : श्रीमान् मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 18 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान्, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्ध समिति की 27 सितम्बर, 31 अक्तूबर तथा 17 दिसम्बर, 1974 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : आजकल श्री तुलमोहन राम कहां रहते हैं। आजकल वह सदन में दिखाई नहीं देते। उन्हें उनका वेतन तथा भत्ते कैसे मिलते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हर समय श्री तुलमोहन राम का भूत ही इस सदन में छाया रहता है। मैं पता करूंगा कि वह कहां रहते हैं?

भारत सेवक समाज के मामलों में श्री० एल एन० मिश्र द्वारा की गई कथित गंभीर अनियमितताओं तथा कदाचारों के लिये उन्हें सभा की सदस्यता से हटाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: REMOVAL OF SHRI L. N. MISHRA, FROM MEMBERSHIP OF THE HOUSE FOR ALLEGEDLY COMMITTING IMPROPRIETIES AND MALPRACTICES IN AFFAIRS OF BHARAT SEWAK SAMAJ

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि इस सभा के सदस्य और मंत्रिमंडल के सदस्य श्री ललित नारायण मिश्र को गम्भीर अनियमिततायें और कदाचार करने के कारण, जैसा कि भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच करने वाले आयोग, के प्रतिवेदन तथा विशेषकर उक्त आयोग के प्रतिवेदनों के खण्ड 11 (ग्यारह) पृष्ठ 97 पैरा, 29.94, 29.95, 29.96, पृष्ठ 98 पैरा 29.100, पृष्ठ 103 पैरा 29.128, 29.129, पृष्ठ 110, पैरा 29.146, 29.147 पृष्ठ 126 पैरा (इक्कीस) और पृष्ठ 127 पैरा 29.194 में किये गयें उल्लेख से स्पष्ट है, इस सभा की सदस्यता से हटाया जायें"।

[**श्री जगन्नाथ राव जोशी** पीठासीन हुए ।
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI *in the Chair*]

श्री जे० एन० तिवारी (गोपलगंज) : कपूर आयोग प्रतिवेदन का सम्बन्ध उस काल से है जब श्री एल० एन० मिश्रा इस सदन के सदस्य नहीं थे। इस सदन को अब तक चली आ रही परिपाटी के अनुसार किसी भी ऐसे सदस्य के विरूद्ध यहां आरोप नहीं लगाये जा सकते जो कि इस सदनका सदस्य न हो। अतः फिर यह प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और अब तो यह चर्चा के लिए आया है। जब आपकी बारी आवे, उस समय आप अपने विचार व्यक्त कर लीजियेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मुझे माननीय सदस्य के विरूद्ध आरोप लगाने में प्रसन्नता नहीं है और न ही उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत हित है। यदि हम रिकार्ड देखें तो पता चलेगा कि श्री एल० एन० मिश्र ने 28 अगस्त, 1973 को कहा था कि मेरा कोई परियोजना या किसी अन्य सरकारी निर्माण कार्य के लिये ठेकों में कोई आर्थिक लगाव नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम चार भाई हैं तथा हमारी सम्पत्ति का बटवारा हो चुका है जिससे हमारी सम्पत्ति पृथक पृथक है।

हाल ही में उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की 23 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी जिनकी स्मृति में हमने उनकी मृत्यु के बाद ही एक धर्मार्थ अस्पताल स्थापित किया था तथा यह कि उस समय मैं संसद सदस्य भी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे परिवार में पूर्वजों की स्मृति में धर्मार्थ अस्पताल, स्कूल, ग्रंथालय और मंदीर आदि स्थापित करने की प्रथा रही है तथा इन संस्थाओं को परिवारिक संसाधनों से ही स्थापित किया जाता रहा है।

पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि यदि मेरे विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि वे इन आरोपों का खण्डन करने में समर्थ हों या अपने वचन पर अडिग रहें।

समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमा शंकर दीक्षित ने संसदीय सलाहकार समिति को आश्वासन दिलाया है कि श्री एल० एन० मिश्र पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिये निष्पक्ष जांच की जाएगी। किन्तु उसके बाद हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना। इसके बाद मैंने श्री एल० एन० मिश्रा को 25 जुलाई को पत्र लिखा था किन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने इसबारेमें प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था किन्तु उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

पिछले कई दिनों से सभा में जो वाद-विवाद होता रहा है क्या उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अपराध करने के आदि रहे हैं। न्यायाधीश कपूर ने 'अपराध करने के आदी' व्यक्तियों की जो परिभाषा दी है, वह उसके अन्तर्गत आते हैं। चूंकि कपूर आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कपूर ने की थी अतः इस आयोग के निष्कर्षों को उच्चत्तम न्यायलय के निष्कर्ष मानना चाहिये।

आयोग की रिपोर्ट के खण्ड एक के पृष्ठ 10 पर कहा गया है कि लोक लेखा समिति ने अपने 34 वें प्रतिवेदन में भारत सेवक समाज के समेकित लेखापरीक्षित लेखे तैयार न किये जाने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी तथा योजना आयोग से कहा था कि भारत सेवक समाज के प्रारम्भ से ही ऐसे लेखे अवश्य प्रस्तुत कराये जाये। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि उक्त लेखे 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत कर दिये जायें तथा जब तक उक्त लेखे प्रस्तुत न किये जायें तब तक अनुदान देना बंद कर दिया जाये।

श्री एल० एन० मिश्र उस समय भारत सेवक समाज के कनवीनर थे तथा वह केन्द्रीय भारत सेवक समाज के जनरल सेक्रेटरी भी थे। मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि मैं इस बारे में एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि श्री मिश्र की सभा की सदस्यता से हटाया जायें। उस समय उन्होंने उत्तर दिया था किन्तु वह उत्तर निराधार और महत्वहीन है क्योंकि आयोग ने उन लेखों को स्वीकार ही नहीं किया जो उन्होंने प्रस्तुत किये थे। (व्यवधान)।

खण्ड XI के पृष्ठ 126 पर कहा गया है "कि संसद में श्री एल० एन० मिश्र द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार वह 1957 में कोसी परियोजना भारत सेवक समाज के कनवीनर नहीं रहे किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने वर्ष 1959 और 1960 में किसी हैसियत से 2,10,000 रुपये निकाले। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जो राशि निकाली श्री उसको लेखा भारत सेवक समाज को दे दिया था तथा भारत सेवक समाज उस लेखा से संतुष्ट था, किन्तु उक्त लेखा भारत सेवक समाज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया अन्यथा यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती" (व्यवधान)

श्री एल० एन० मिश्र आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाने के भय से वहां से भाग आये। (व्यवधान)

पृष्ट 6 खण्ड एक में कहा गया है कि भारत सेवक समाज के उच्च पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया तथा उनमें से श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री एल० एन० मिश्र, श्री कृष्णा प्रसाद श्री ए० एन० मल्होत्रा और श्री एच० के० डी० टन्डन ने अपने एफीडेविट प्रस्तुत किये। किन्तु केन्द्रीय, मंत्रियों को विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण श्री एल० एन० मिश्र को गवाही के लिये नहीं बुलाया गया।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): यह अनुचित है। मैंने एफीडेविट दिया था तथा मैं आयोग के समक्ष पेश होने को तैयार था किन्तु उन्होंने मुझे नोटिस नहीं भेजा। मैं न्यायाधीश कपूर से कई बार मिला था तथा उनसे कहा था कि मैं पेश होना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! खण्ड 15 के पृष्ठ 4 में कहा गया है कि आयोग को दी गई जानकारी से विदित होता है कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा प्रस्तुत आंकडों के अनुसार मजदूरों को 6, 70, 176, 930.61 रुपयों का भुगतान किया गया किन्तु प्राप्त कर्ताओं के लेखों के अनुसार यह राशि 4,30,07,220.60 रुपया है। भारत सेवक समाज ने यह तर्क दिया है कि कोसी परियोजना के लेखे प्रस्तुत कराने के लिये आयोग को कोई अधिकार नहीं है। आयोग का निष्कर्ष है कि समिति पंजीकरण अधिनियम से अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी समिति को इतनी बड़ी धनराशि के लेखे अवश्य रखने चाहिये, चाहे आयोग को उन्हें देखने का अधिकार हो या न हो।

अगर केन्द्रीय समाज कोसी निर्माण कार्य के लिए श्रेय लेना चाहता है, तो उसके पास पूरा पूरा हिसाब होना चाहिए। श्री ललित नारायण मिश्र बिहार सरकार द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने के भी विरुद्ध थे। श्रम, रोजगार और नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने 9 नवम्बर, 1961 को बिहार के मुख्य मंत्री श्री विनोदानन्द झा को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह धन भारत सेवक समाज की आय है, वह भारत सरकार द्वारा तो अनुदान है, न ऋण और न राजसहायता है। इसलिए समाज के धन पर कोसी परियोजना या किसी सरकारी एजेंसी को कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए भारत सेवक समाज जैसे स्वतन्त्र संगठन के लेखे की लेखा परीक्षा का काम सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए ही भारत सेवक समाज ने लेखे न तो बिहार सरकार को प्रस्तुत किये और न आयोग को ही। हलांकि धन बिहार सरकार के संरक्षण में ही था, जो निर्दिष्ट कार्यों पर खर्च किया जाना था।

पृष्ठ 99 पर पैरा 29.101 में यह कहा गया है कि "7 फरवरी, 1956 को इस खण्ड का संशोधन किया गया था जिसके अनुसार सारी धनराशि को सामुदायिक बचत माना जायगा।"

फिर आगे यह कहा गया है कि किये गये काम की 90% कीमत की अदायगी यूनिट नेता को और काम की शेष कीमत सरकार को समर्पित मानी जायगी। यह राशि सरकार के पास जमा रहेगी और भारत सेवक समाज के संगठनात्मक कार्यों पर खर्च की जायगी। उक्त राशि के बारे में यूनिट नेता कोई भी दावा नहीं कर सकेगा और जमा की जाने की प्रक्रिया के बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। धन सरकार को सौंप दिया गया था, यही इस बात का प्रमाण है कि धन के स्वामित्व पर समाज का कोई अधिकार नहीं था। धन के प्रयोक्ता के रूप में एक ट्रस्ट बनाया गया था, जो केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समाज को अदायगी सहित धन को एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में खर्च करेगा।

पृष्ठ 103 पर यह कहा गया है कि योजना आयोग के निदेशक (जन सहकारिता) ने भारत सेवक समाज के महासचिव को लिखे गये दिनांक 3 जुलाई, 1967 के अपने पत्र में यह उल्लेख किया था कि योजना आयोग के लेखा सैल ने यह पाया था कि कोसी परियोजना के अधिकारियों ने सामुदायिक बचत निधि से श्री ललित नारायण मिश्र को 2.10 लाख रुपये अदा किये थे और श्री मिश्र ने एक विवरण पत्र दिया था जिसमें उन पार्टियों का उल्लेख था, जिन्हें श्री मिश्र ने भुगतान किया था। आयोग यह जानना चाहता था कि क्या यह धन सामुदायिक बचत निधि के नियम और शर्तों के अनुसार खर्च किया गया था। आयोग ने आगे कहा है कि साढ़े चार वर्ष पहले कोसी परियोजना निर्माण समिति ने जांच आयोग गठित किया था, परन्तु बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज की कुछ शक्तियों और केन्द्रीय भारत सेवक समाज के महासचिव ने 1963 में आयोग को कार्य नहीं करने दिया जिसके परिणामस्वरूप कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। 1962 से थोड़ा पहले आम चुनावों में लोक सभा के उम्मीदवार के रूप में काफी आक्षेप लगाये गये थे।

योजना मंत्री श्री (डी० पी० धर) : यह आयोग का अभिमत नहीं है। आप श्री खन्ना के पत्र से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आयोग का अभिमत है।

इस मामले पर भारत सेवक समाज के लेखा अधिकारी ने 28 अगस्त, 1967 को निम्नलिखित नोट लिखा कि मैं एल० आर० पण्डित एण्ड कं० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों ने वर्ष 1962-63 तक के कोसी परियोजना लेखे का अध्ययन किया। उन्होंने श्री एल० एन० मिश्र के नाम तुलन पत्र में राशि पाई, परन्तु उसको समायोजित नहीं किया गया था।

2 सितम्बर, 1967 को योजना आयोग को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा था कि श्री एल० एन० मिश्र ने जो अदायगियां की थी, वे रोकड़ खाते में रसीदों के रूप में दर्ज कर दी गई थी और लेखे लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड लेखाकार के पास भेजे जा रहे हैं। फाइलों में लेखा परीक्षित लेखे न तो तैयार किये गये और न योजना आयोग को ही भेजे गये।

29 अप्रैल, 1959 को श्री मिश्र ने 1,75,000 रु० प्राप्त किये और 25 मार्च, 1960 को 35,000 प्राप्त किये परन्तु विवरण पत्र में यह कहा गया है कि भारत सेवक समाज की रोकड़ खातों में उक्त दोनों राशियों का कोई उल्लेख नहीं है।

2 जून 1971 को श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा संसद में दिये गये वक्तव्य के अनुसार उन्होंने मई, 1957 में ही भारत सेवक समाज के कोसी अनुभाग के संयोजन पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि एक समिति की सिफारिशों के आधार पर ही विभिन्न व्यक्तियों को धन अदा किया गया था। किसने समिति बनाई और क्या वे व्यक्ति धन पाने के हकदार थे भी या नहीं। यह काफी गम्भीर बात है। तुलमोहनराम काण्ड की तरह गलत और जाली रसीदें पेश की गई और अस्तित्वहीन व्यक्तियों को धन दिया गया। **(व्यवधान)** श्री **यमुना प्रसाद** मण्डल ने भी धन प्राप्त किया है।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (समस्तीपुर) : मेरे विरुद्ध माननीय सदस्य ने बड़ी आपत्तिजनक बात कही है। एक अनपढ़ हरिजन संसद सदस्य को परेशान किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आयोग के अनुसार श्री ललित नारायण मिश्र ने पश्चिम तटबन्ध सामुदायिक बचत निधि को पूरा लेखा भेजा। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि बिहार विधान सभा और संसद में आलोचना होने के बावजूद भी ये लेखे समाज ने अपने पास रखे और ये लेखे न तो केन्द्रीय भारत सेवक सामाज को प्रस्तुत किये गये और न ही आयोग को। समाज का यह दावा भी सही नहीं है कि वह धन उसका था। धन जो काटा गया था, वह सामुदायिक बचत और संगठनात्मक कार्यों के लिए था।

2 जून 1971 को विदेश व्यापार मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र ने अपने व्यक्तव्य में कहा कि भारत सरकार में संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति हो जाने के बाद मई, 1957 में उन्होंने भारत सेवक समाज के संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि लिये गये 2,10,000 रु० में से कोई भी राशि लेखा बाह्य नहीं रहती है और समिति के संयोजक ने 15 जून 1963 के अपने पत्र में यह कहा था कि समिति ने एक बैठक में सर्व सम्मति से लेखाविवरण स्वीकार कर लिया था।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

यह अफसोस की बात है कि भारत सेवक समाज ने अपने कागजात न तो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये और न बिहार सरकार के समक्ष ही, जिससे आयोग उनका अध्ययन कर सकता। आयोग ने यह भी कहा है कि हिसाब किताब को प्रस्तुत करना संयोजक का कर्तव्य था, जिससे भूतपूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा लिये गये धन के उचित व्यय की पुष्टि हो पाती।

26 मई, 1971 को एक अधिसूचना द्वारा बिहार सरकार ने जस्टिस के० के० दत्ता को अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिससे श्री ललित नारायण मिश्र और श्री लहटन चौधरी द्वारा नियुक्त यूनिट नेताओं के अस्तिव में न होने के कारण वर्ष 1955 और 1962 के बीच प्राप्त राशियों में से 23 लाख रुपये से अधिक की राशि के वसूल न होने की जांच करने के लिए कहा गया था। यह भी कहा गया था कि क्या श्री ललित नारायण मिश्र और श्री लहटन चौधरी द्वारा लिये गये 8,43,068 रु० में से कोई गबन तो नहीं किया गया और कौन कौन व्यक्ति इसके लिए उत्तर दायी थे ? श्री भोला पासवान शास्त्री को दिल्ली लाया गया और उन्होंने आयोग को ही दबा दिया। आयोग के लिए यह सम्भव ही नहीं हो सका कि वह उचित निष्कर्षों पर पहुंच पाता, क्योंकि केन्द्रीय भारत सेवक समाज और बिहार सरकार ने थोड़े से कागजात ही पेश किये थे।

श्री ललित नारायण मिश्र ने सामुदायिक बचत निधि से 2,10,000 रु० और श्री लहटन चौधरी ने 6,33,068 रु० लिये थे, परन्तु इन्हें लेखे में नहीं दिखाया गया। श्री ललित नारायण मिश्र ने शपथ लेकर यह कहा है कि उन्होंने हिसाब पेश किया था जो समाज ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने उनको किसी भी बात का विश्वास नहीं किया। अब यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय भारत सेवक समाज के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने जब कोसी परियोजना निर्माण समिति के लेखे का निरीक्षण किया, तो इन राशियों की रसीदें नहीं मिल सकी।

आयोग ने यह पाया है कि कोसी निर्माण कार्य के सिलसिले में निम्नलिखित रसीदें पेश नहीं की गई :

(1) 2.26 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य के बारे में धनराशि की प्रप्ति और भुगतान

(2) बिहार सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दी गई अग्रिम धनराशियों को शेष राशि . . . 19,01,520.26 रु०

(3) कोसी निर्माण कार्य के बारे में दिसम्बर, 1962 तक लाभ की राशि . . . . . . 16,00,000 रु०

फिर भी समझ में नहीं आता, प्रधान मन्त्री इस व्यक्ति को क्यों मन्त्रिमण्डल में रखे हुए हैं और क्यों उसे संरक्षण दे रही है ?

भारत सेवक समाज ने लगभग 20 स्थानों पर 2.25 करोड़ की लागत के 18 प्रतिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य कृषकों को रोजगार देना बिचौलियों के लाभ को समाप्त करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन महीने तक चलना था, परन्तु वह केवल 1½ महीने तक ही चला। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उक्त योजना पर खर्च उपयुक्तता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि लखा पुस्तिकायें प्रस्तुत ही नहीं की गई तीन महीने के कार्यक्रम पर अनुमानतः 40,720 रु० खर्च होने थे, परन्तु आधी अवधि तक योजना चलने पर भी 40,024.02 रु० खर्च कर दिये गये। सेवा निवृत्त सहायक लेखा अधिकारी द्वारा लेखा के लिए लेखा परीक्षा का दिया गया प्रमाणपत्र सन्तोषजनक नहीं था योजना सं० 3 में कुछ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्र को छोड़ गये थे, फिर भी उनके लिए अनुदान प्राप्त किया गया। योजनायें

जून, 1957 में हो समाप्त हो गई थी, परन्तु 33,000 रु० जनवरी, 1958 तक भेजे जाते रहे आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण केन्द्र केवल 1½ महोने हो चला, परन्तु लेखा अधिकारी की नियुक्ति चार महीने के लिए की गई। 5 मार्च, 1957 को कोसो केन्द्र द्वारा प्राप्त 8,400 रूपय योजना की जरूरत को अपेक्षा कहीं अधिक थे। रोकड़ बुक में जगह जगह काटा पोटो को गई थी, जो जालसा जो है और एक गम्भीर बात है।

यह भी कहा गया है कि रोकड़ श्री एल० एन० मिश्र के व्यक्तिगत कब्जे में रहा, क्योंकि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 24,000 रु० को दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया गया, परन्तु तथ्यों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। 18,000 रु० श्री मिश्र को अदा किये गये परन्तु उन्हें रोकड़ बुक में नहीं दिखाया गया था।

मैं एक फोटोस्टेट प्रति सदन में पेश करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र भो लिखा है। यह ऐसोसियेटिड इंजोनियरिंग कारपोरेशन से है... परियोजना के एक्जो-क्यूटिव इंजोनियर इन सज्जन के रिश्तेदार हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : क्या यह संगत है ?

श्री डी० पी० धर : यह प्रस्ताव कपूर आयोग को रिपोर्ट में व्यक्त अभिमतों पर आधारित है। क्या इस प्रस्ताव से बाहर ो बातें भो लाई जा सकती हैं ?

सभापति महोदय : मैं भो उनसे यही पूछने जा रहा था।

श्री डी० पी० धर : इस कागजात से उल्लेख करना नियमों के प्रतिकुल है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह कागज आयोग के कार्यवाही वृतान्त का भाग है। यह प्रस्ताव आयोग को रिपोर्ट के कुछ विशिष्ट परागाफों से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन यह है कि चर्चा में बाहरी बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : मैंने आपको बात समझ ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पत्र ऐसोसियेटिड इंजीनियरिंग करपोरेशन से है, जिसमें श्री ललित नारायण मिश्र के भाई मालिक और साझीदार हैं।

मैंने श्री ललित नारायण मिश्र के बारे में ही नहीं कहा है किन्तु अपितु लहटन चौरधरी जो बिहार सरकार में राज्य मंत्री हैं, के बारे में भी कहा है। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : यह किस प्रकार विषय से सम्बद्ध है ?

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव ललित नारायण मिश्र के बारे में हैं आप अपने को विषय तक सिमित रखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सभा के सम्मुख अनुरोध कर रहा हूं। कई स्थान पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि श्री मिश्र ने जननिधि का दुरुपयोग किया है। ऐसी स्थिति में वह सरकार में मंत्री नहीं रहने चाहियें।

मैं आपका ध्यान केवल एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हाऊस आफ कामन्स के सदस्य श्री माडलिंग ने परमार्थ कार्यों के लिये कुछ पसा एकत्र किया था परन्तु उन्हें एक गिरोह में अन्तर्ग्रस्त माना गया। अत: श्री मानलिंग को त्यागपत्र देना पड़ा। हमें बताया जाय कि किन दोषों पर किसी सदस्य को सभा अथवा मन्त्रिमण्डल से निकाला जा सकता है ?

श्री एच० के० एल० भगत (दिल्ली-पूर्व) : श्री बसु चर्चित विषय में भ्रम पैदा करने में दक्ष हैं।

मैंने कपूर आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा है। मैंने श्री मिश्र से सम्बन्धित संदर्भ भी देखे हैं। इस प्रस्ताव में हमें यह देखना है कि श्री मिश्र की भूमिका क्या रही है, उन्होंने क्या किया है और आयोग ने इस विषय में क्या कहा है।

भारत सेवक समाज को स्थानीय शाखा ने कोसी परियोजना के भूमिकार्य का ठेका लिया और उन्होंने इस कार्य पर कुछ स्थानीय नेता लोग नियुक्त किये। यह निर्णय किया गया था कि इन स्थानिय नेताओं को बिहार सरकार से भुगतान किया जायेगा और वे श्रमिकों को भुगतान करेंगे। इन नेताओं ने सरकार से 80 से 90 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने तथा 5 से 10 प्रतिशत राशि भारत सेवक समाज द्वारा क्षेत्र की कल्याण समुदाय योजनाओं पर व्यय किये जाने के लिये सुरक्षित रखने के लिये कहा। इस प्रकार ठेके की अपेक्षाओं के अनुसार वह राशि स्थानीय नेताओं को जो ठेकेदार थे, दी जानी थी।

अब श्री मिश्र की स्थिति क्या है। उन्होंने परियोजना के पश्चिमी तट पर सामुदायिक परियोजनाओं के लिये एक बचत समिति नियुक्त की। एक समय वह इस समिति के संयोजक थे परन्तु बाद में त्यागपत्र दे दिया। वह कोषाध्यक्ष भी रहे। जब वह कोषाध्यक्ष थे उन्होंने 2.9 लाख रुपया ड्राफ्ट और चैकों से निकाला था। यह राशि उस समिति के अधिकार पर निकाली गयी थी जिसे धनराशि निकालने का अधिकार था। भारत सेवक समाज ने यह तर्क दिया था जो बिहार सरकार ने भी स्वीकार किया कि सरकार का इस राशि से सम्बन्ध नहीं है और यह राशि उन्हीं के पास रहेगी। बाद में यह प्रश्न उठा कि क्या 5 से 10 प्रतिशत के बीच की राशी सरकार ने अपने पास रखी है? भारत सेवक समाजने कहा कि यह उनके ठेके की आय है और सरकार से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। बिहार सरकार ने भी यही निर्णय किया परन्तु इस राशि के व्यय पर नियंत्रण रखने पर उन्होंने अपना अधिकार बताया।

श्री मिश्र ने जो 2 लाख 9 हजार रुपये की राशि निकाली थी केवल 1200 रुपये को राशि के अतिरिक्त उसको उन्होंने ड्राफ्ट और चैकों के माध्यम से ही कम किया यह सब रिकार्ड पर है। 1200 रुपये की राशि का भुगतान जो बिना चैक के किया गया है, उसका भी हिसाब है। अत: श्री मिश्र ने जो धनराशि निकाली, उसका उन्होंने हिसाब दिया है। भारत सेवक समाज ने भी कहा है कि उन्हें श्री एल० एन० मिश्रा ने हिसाब दे दिया है। श्री एल० एन० मिश्र ने आयोग से भी कहा था कि यदि किसी बात को आयोग उनसे पूछना चाहे तो वह उसे बताने के लिये तैयार हैं।

आयोग के पूछने पर यह राशि किस प्रकार व्यय की गई, क्या इसे सामुदायिक परियोजनाओं पर व्यय किया गया? भारत सेवक समाज ने बताया कि यह उनकी राशि थी अत: वे इसका हिसाब बताने के लिय बाध्य नहीं हैं।

आयोग ने भारत सेवक समाज के संयोजक के बारे में कुछ कहा है परन्तु श्री एल० एन० मिश्र संयोजक नहीं थे। संयोजक श्री एल० एन० झा थे। लेखा परिक्षा किये गये लेखों को प्रस्तुत करना उन्हीं का दायित्व है। आयोग का विचार यह है कि समेकित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। आयोग ने कहा है कि ये लेखे प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। परन्तु साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि क्योंकि ये चीजें उनके साथ नहीं थी, अत: इन पर वे कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते। अत: यह कहना कि आयोग ने श्री एल० एन० मिश्र के विरूद्ध टिप्पणी की है, गलत है।

अब प्रश्न यह उठता है कि धन राशि एक विशेष रूप से व्यय की गई अथवा नहीं। यदि आप रिपोर्ट देखें तो आयोग ने भी यह कहीं नहीं कहा है कि यह राशि सरकार की थी। सरकार का यह

कहना है कि करार के अनुसार इस राशि को व्यय किये जाने के ढंग को देखने का कार्य सरकार का है। रिपोर्ट में यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह भारत सेवक समाज की धनराशि नहीं थी। परन्तु इससे एक कहानी बना लेना उचित नहीं है। कुछ लोक यहां जानबूझकर ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो हम सभी के लिये घातक हैं।

विपक्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साक्ष्यों के अतिरिक्त इन दस पन्दरह दिनों में इसमें और कुछ नहीं जोड़ पाया है। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कही गई बात को ही दोहरा रहे हैं।

आयोग ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा है। हम आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु के उचित अनुचित कहने से प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बनता बिगड़ता। प्रधानमंत्री को देश के लोगों का विश्वास प्राप्त है। कीचड उछालने तथा चरित्र हनन करने की प्रक्रिया सामान्य हो गई है। यह विषयान्तर है। अपनी इन गतिविधियों से विपक्ष देश की हानि कर रहा है और देश की जनता का ध्यान राष्ट्रीय महत्व के विषयों से हटा रहा है।

सभापति महोदय : श्री मधुकर।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, the main object of the motion is that Shri L. N. Mishra has been found involved in corrupt practices and so he should not continue as a member of Loksabha, We are here not to protect any corrupt man, whosoever, he may be, our economy is a capitalist economy. I am of the opinion that so long as there is Capitalist economy, corruption is bound to be there. Therefore. if we are serious to our desire to eradicate Corruption from our society the very basis of economy needs a change.

Discussion about corruption or corrupt men in high places are not going to serve any purpose, We should create a strong public opinion so that it will become impossible for any person whether he is M. L. A. or M. P. to indulge in corruption.

I have heard the mover of the motion attentively. He has brought extraneous matter in support of his contention. This does not make his case stronger, On the other hand his case has become weaker.

This motion as has been tabled by the mover is politically Motivated with an intention to harm some persons in the authority. such attempts of character assassination of person holding responsible posts in public life should be deprecated. I therefore oppose the motion.

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : Mr, Chairman, Sir, the hon. Member Shri Jyotirmoy Bosu in his speech has blended few lines so beautifully from the recommendations of Kapur Commission that it has become quite difficult to distinguish the Original part from the copied part of the speech.

Sir, with your permission I would like to read a paragraph from the Third Five Year Plan. It has been stated in the Plan that "The Bharat Sewak Samaj was formed to provide a common platform with the object of drawing out the available unused time and energy of the people and directing them into various fields of social and economic activity, The Samaj has adopted a comprehensive programme and has its branches all over the country. It has a large cadre of trained workers. Its association with the Kosi Project during 1955 to 1959 has brought forth evidence of the large possibilities of reducing cost improving quality of performance and speeding up completion of various projects through public participation. Against the original estimates of Rs. 11.5 crores, the actual expenditure on the Kosi Embankment Scheme came down to Rs. 6.5 crores. The work was completed in 1958 against the target date of 1960. i. e. 2 years in advance. This unique achievement was also overlooked by the commission.

[Shri Nawal Kishor Sinha]

During the construction of Kosi embankments, an atmosphere was created where public willingly came forward to extend their cooperation. There was not a single litigation in connection with land acquisition although hundreds of miles of land were acquired for constructing embankments on both sides of the Kosi river.

Sir, being a social worker, I used to look into such matters with rapt attention. Shri L. N. Mishra was a well known social worker in those days. He was the convenor of this project under which public cooperation was sought and people were asked to work on reduced rates. This resulted not only in expeditious completion of the project but saving of considerable amount of money. This money was utilised for road, bridge, school and colle construction.

After sometime Shri L. M. Mishra resigned from the convenorship and he become the treasurer. Naturally every withdrawal and payment was made under his signatures. He withdrew an amount of rupees two lakhs for disbursing to unit leaders who were engaged in the construction of the embankments. These transactions were done through cheques.

As regards the audit of this account, the Kosi Administration and the Government of Bihar have taken a stand that Government has no right to audit this account. In a huge project like this, it is quite possible that some unit leaders may not have worked honestly. But how far it is proper to blame Shri L. N. Mishra for their misdeeds ? He cannot be made responsible for the misdeeds of the unit leaders involved in the misdeed construction of this project.

It is a matter of regret that in the beginning people are always doubtful about the fate of plans in which public cooperates. I submit that if we have to seek cooperation from the people we will have to bear all such difficulties. It is quite possible that all may not turn out honest but the work cannot be stopped on this basis. Today Shri L. N. Mishra is being dragged, tomarrow any other person can also be held responsible. An attempt of character assassination has been made in the motion. I, therefore, oppose the motion.

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (समस्तीपुर) : प्रस्तावक ने भारत सेवक समाज द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य का निरादर किया है। उन्होंने अपनी भारी भरकम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि कोसी नदी ने इस क्षेत्र में क्या तबाही की और उस तबाही को कम करने में भारत सेवक समाज का क्या सहयोग रहा। श्री अटल बिहारी जी और श्री श्याम बाबू इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यह प्रस्ताव देश में निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोगों को निश्चय ही हतोत्साहित करेगा। यदि हम इस प्रस्ताव के विस्तार में जाएं तो हमें पता लगेगा कि इसमें कुछ आशंकाए, आरोप तथा संदेह हैं। इसमें गरीब हरिजनों के विरूद्ध धर्मयुद्ध शुरू किया गया है। इस प्रस्ताव के द्वारा सदन की मान प्रतिष्ठा घटी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य हिन्दी भाषण दें और उनके भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : I am thankful to the hon. Member for encouraging me to deliver the speech in Hindi. Now I want your permission to lay this resolution on the Table of the House. By going through it, you will know all references. Central assistance is there. Shri Jyotirmoy Bosu is acting prejudiciously.

1—45 L.S.S./ND/74

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आयोग के रिकार्ड से पता चलता है कि श्री यमुना प्रसाद मंडल, संसद सदस्य ने भी उसी स्रोत से धन प्राप्त किया। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : मैं इन्हें इस आरोप को सिद्ध करने की चुनौती देता हूं। यदि ये आरोप सिद्ध हो गये तो मैं लोगों की अनुमति से अपने स्थान से त्यागपत्र दे दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा में चर्चाधीन किसी मामले में यदि किसी सदस्य का कोई स्वार्थ नीहित हो तो नियमानुसार इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को देनी पडती है। दुसरी बात यह है कि उसे चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए। आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि श्री मण्डल ने एक ही बार 3500 रुपये प्राप्त किये और हो सकता है कि उन्होंने यह पैसा अपने लोगों के हित में व्यय किया हो। मेरा प्रश्न तो केवल यह है कि क्या इस स्थिति में इनका चर्चा में भाग लेना उचित है?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is amply clear from the report of the Kapoor Commission that Shri Mandal received the money in two instalments amounting to Rs. 3000/- and Rs. 500/-. Even then, he is being allowed to speak.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I will resign if the hon. Member proves that I spent this money for promoting my personal interests.

Mr. Chairman : According to the tradition prevailing here, all members are given opportuniity to put questions and speak on the issue under debate. Each member is given maximum liberty.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Shri Jyotimoy Bosu says that Shri Mandal's name is there in the Report. I request that he may be given sufficient time to explains.

Mr. Chairman : I shall give him full time.

Shri Yamuna Prasad Mandal : Contractors and vested interests are responsible for whole matter. Shri Gulzarilal Nanda, Shri Krishna Sinha and Dr. K. L. Rao started the work through cooperation of the people, Panchayat Samities and peoples' committees. Bharat Sewak Samaj did a commendable work in the Kosi area, otherwise North Bihar would have been completely destroyed. According to 34th report of the PAC, Samanta Committee and Shri Kanwar Sain Chairman of the CPWD praised the work of BSS.

श्री हेमेंद्र सिंह बनेरा (भीलवाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। नियम 356 में लिखा है कि यदि कोई सदस्य असंगत बात कहता है अथवा अपने या दूसरे सदस्यों के तर्कों को दोहराता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने को कह सकता है।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : श्री जवाहर लाल नेहरू भी भारत सेवक समाज के काम से बहुत प्रभावित हुये थे। बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि भारत सेवक समाज द्वारा शुरू किये गये बड़े कार्य की स्वार्थी तत्वों द्वारा निंदा किया जाना स्वभाविक ही है, इसी प्रकार श्री हाथी ने भी भारत सेवक समाज की प्रशंसा की है। भारत सेवक समाज ने काम को अपने हाथ में लेकर लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत की, अन्यथा बचत की यह राशि ठेकेदारों को ही जाती। इस प्रकार सभी वर्गों ने भारत सेवक समाज के कार्य की प्रशसा की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Kapur Commission submitted its report on 14th July, 1973. If would have been better if the Government could give us information about the decision taken on the report of the Commission to the House in terms of sections 3 and 4 of the Commission of Enquiry Act, 1952. According to the Rules, Government should have done so within 6 months of the presentation of the Report.

There can be no difference of opinion about the objectives of the B. S. S. Its constitution was a step in the right direction. If is really distressing that there is a bloc on the fair name of B. S. S. Government gave a sum of Rs. 3 crores to BSS during a period of 15 years for various purposes. B. S. S. is a body engaged in selfless service. It has to give an account of every penny that it receives but it failed to do so. The BSS could not fulfil the objectives for which it was set up. It was PAC which took up BSS in 1965 for the first time. This Committee had the majority of Congress members. The Committee considered the comments of the Auditor General. We were astonished to see the accounts of B. S. S. The PAC made certain recommendations about the affairs of B. S. S.

The Committee has observed that "No Minister of the Central Government should be associated with a private organisation which enters into contracts with departments of Central Government. ... If any exceptions are to be made, they should be made only with the approval of the Cabinet . . ."

Thereupon the Union Government considered and approved the proposal for appointment of a Commission to enquire into the affairs of the Samaj.

Mr. Chairman, Sir, here I wanted to emphasise that Mr. Justice Kapur should not be criticised simply because some of his findings and recommendations are not to the liking of some hon. Members.

Sir, I also wanted the scope of this motion to be wider so as to include not only Mr. L. N. Mishra but others also.

The Commission has referred to the statement made by Shri L. N. Mishra in Parliament in which he had said that the amount held by him was sent to the various persons concerned on the recommendation of the Committee duly constituted for the purpose. Now the Commission has asked : "Who formed the Committee . . . whether the payees were persons who could properly be the recipients of these moneys." The commission has also questioned the statement of Shri L. N. Mishra that "he had given full accounts of Western Embankment in 1963 and the accounts had been accepted."

The point now is how long Shri Mishra kept this huge amount with himself ?

This matter was not only enquired by the Kapur Commission but was considered by Bihar Vidhan Sabha when Estimates Committee report on River Valley Project (Kosi Project) was presented to it on the 24th August, 1973. The Committee observed that there had been excessive undue expenditure on Guide Embankment, flood control and desilting works and the Members of one and the same family had been benefited thereby mostly. A speical Sub-Committee of the Assembly considered this Report and observed that actually most of the contracts were awarded to "Mishra Family" of Balua Bazar . . .

Shri D. B. Dhar : In my opinion we are at present discussing the Kapur Commission Report. Therefore mention of all extraneous matter is hardly proper.

Mr. Chairman : The references made by Shri Vajpayee pertained to B. S. S. I, therefore, cannot prevent him from doing so.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Kapur Commission has made a reference to the action taken by Bihar Government and Bihar Assembly . . .

Shri D. P. Dhar : Not at all.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या आप सभापति के विनिर्णय को चुनौती दे रहे है ?

श्री डी० पी० धर : जी नहीं। मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी उन संदर्भों का उल्लेख न करें जो आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जिस मंत्री के विरोध में यह प्रस्ताव लाया गया है जब वह सभा में उपस्थित हैं तो श्री धर की वकालत की आवश्यकता नहीं है।

Mr. Chairman : The references about B. S. S. cannot be avoided. I cannot change my ruling.

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to Shri Bosu's motion, Shri Mishra is guilty ecause he was concerned with Kosi Project which was executed by B. S. S. I will, therefore, Mr. Dhar to first read the Report and only then interrupt me like this. How can he expect me to mention B. S. S. without bringing in Shri Mishra's misdeeds ?

Shri D. P. Dhar : What I want to point out is only this that Kosi is a State Government project and Kapur Commission enquired into the finances provided by the Centre. Therefore, its jurisdiction ends there.

Mr. Chairman : Before giving my ruling may I know whether B. S. S. was not responsible for the execution of Kosi Project ?

Shri D. P. Dhar : The fact of the matter is that Kosi Project is a State Project under the Jurisdiction of the State Assembly whereas B. S. S. is a voluntary Organisation and it executed the Project with Central Assistance ...(*Interruption*)

Mr. Chairman : If Mr. Vajpayee takes responsibility and says that the Kosi Project, which he is referring to, has been constructed through Bharat Sewak Samaj, then he can certainly speak about it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What I was saying was with full sense of responsibility and the allegations contained in Shri Bosu's motions are more than substantiated by the finding of the Kapur Commission.

The Sub-Committee arrived at the conclusions during the enquiries that most of the distinguished local persons are against the Mishra family. Only three persons appeared for evidence. I do not believe in character assassination but all these scandals cannot do any good to the name of Shri Mishra. I appeal to Shri Mishra to resign his seat in Lok Sabha and save his party and its leader Shrimati Indira Gandhi for all the evils.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : विरोधी दल सरकार की नीति और सिद्धान्तों पर आक्रमण करने में असफल रहने के बाद अब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के चरित्र हनन पर उतर आये हैं। अब कपूर आयोग के प्रतिवेदन को आधार बनाकर श्री मिश्रा पर आरोप लगाये जा रहे हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 103, पैरा 29.129 में कहा गया है कि इन वक्तव्यों में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं, आयोग उनके बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता। आगे पृष्ठ 110 पर कहा गया है कि साक्ष्य पूरा होने के कारण आयोग किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। इसी प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि श्री मिश्र 1951 में 'कनवीनर' नहीं रहे थे और उन्होंने इस्टर्न एम्बैंकमैन्ट कमेटी के 'कनवीनर' को सारा हिसाब

[श्री बी० आर० शुक्ल]

दे दिया था जिसको कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आगे कहा गया है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सेवक समाज ने इस आयोग के समक्ष अपना रिकार्ड पेश करने से मना कर दिया है।

इन सभी बातों से पता चलता है कि श्री कपूर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। मेरा निवेदन है कि कुछ बातों की अभी और व्याख्या होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दिये गये धन के हिसाब की जिम्मेदारी किस पर है। भारत सेवक समाज को इसलिए धन दिया गया था कि वह स्थानीय लोगों का निर्माण कार्य के लिए सहयोग प्राप्त कर सके। यही कारण था कि निर्माण कार्य स्थानीय पंचायतों तथा स्थानीय श्रमिक सहकारी समितियों को ही दिया गया था। ये अभिकरण इस बात पर सहमत थे कि ठेके के धन में से कुछ धन व लोग सामुदायिक बचत निधि में जमा करायेंगे जिसका प्रयोग स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किया जायेगा। श्री मिश्र 1959 से 1963 तक इसके कोषाध्यक्ष थे।

श्री मिश्र को जो धन प्राप्त हुआ उन्होंने उसका हिसाब भारत सेवक समाज को दे दिया था। यही उनकी जिम्मेदारी थी। श्री कपूर ने भी प्रतिवेदन में यह कहा है कि श्री गुलजारी लाल नन्दा ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्री मिश्र ने हिसाब दे दिया है। अब यदि उन लेखों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसका दोष श्री मिश्र पर नहीं डाला जा सकता। समिति के 'कनवीनर' ने भी एक पत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि श्री मिश्र की ओर कोई राशि बकाया नहीं है और कि उन्होंने पूरा और ठीक ठीक हिसाब दे दिया है। मामला यही पर समाप्त हो जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि विरोधी दल श्री मिश्र की प्रतिष्ठा को धक्का लगाने के लिए ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं। प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिससे सिद्ध होता हो कि गबन की किसी प्रकार कोई जिम्मेदारी श्री मिश्र पर आती है।

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : यह आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और इसके चेयरमन श्री कपूर बनाये गये थे। आयोग ने अपना कार्य पूरा करने के लिए छ: महीने के स्थान पर 4 वर्ष का समय लिया है।

यह निर्णय लिया गया था कि कोसी परियोजना के निर्माण के लिए जनता का सहयोग लिया जाना चाहिए और इसके लिए भारत सेवक समाज को चुना गया था। इसका तात्पर्य केवल ठेकेदारों को हटाना था। इस सम्बन्ध में, मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज द्वारा कराये गये निर्माण कार्य कि प्रति 'क्यूबिक फुट' लागत ठकेदारो द्वारा बताई गई प्रति 'क्यूबिक फुट' लागत से बहुत अधिक थी। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रतिवेदन के पृष्ठ 81 में कहा गया है कि अन्य राजनैतिक दल इस सम्बन्ध में इस अवस्था पर भारत सेवक समाज से सहयोग करने को तयार नहीं थे। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि धन के घोटाले की जांच के लिए भारतीय साम्यवादी दल ने एक ज्ञापन दिया था जिसे इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि धन किसी निजी व्यक्ति का नहीं है बल्कि भारत सेवक समाज का है। प्रतिवेदन में आगे पृष्ठ 104 पर लिखा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार विधान सभा तथा संसद में आलोचना के बाद भी इन लेखों को केन्द्रीय सरकार, भारत सैवक समाज अथवा इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवेदन के पृष्ठ 105 पर कहा गया है कि श्री मिश्र ने 2 जून 1971 को लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने सामुदायिक बचत निधि से 2.10 लाख रुपय निकाले थे जो उन्होंने निर्माण कार्य के लिए अनेक व्यक्तियों को दिये हैं और कि इनका लेखा उनके पास है। आयोग ने कहा है कि इस बारे में उसे कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री मिश्र ने स्वयं भी आयोग को यह नहीं बताया कि उन्होंने यह धन किन व्यक्तियों को दिया। अत: इस पर कुछ सन्देह किया जा सकता है।

श्री मिश्र के आचरण की जांच के लिए श्री दत्ता की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। जहां तक भारत सेवक समाज की कोसी यूनिट का सम्बन्ध है, श्री एल० एन० मिश्र को भेद खुल जाने की आशंका थी और इसीलिये उन्होंने श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार को अपदस्थ किया और वह अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करने में सफल हो गये। श्री मिश्र ने यह भूमिका निभाई थी। वह अनेक कांडों में अन्तग्रस्त है। उन्हें सभा में सिद्ध करना चाहिय कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। हमने अपने तर्कों के समर्थन में अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

प्रो० नारायणचंद पराशर (हमीरपुर) : आयोग के निर्देश-पदों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर देना उचित होगा। यह आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया था और आयोग के अपने निष्कर्षों के अनुसार, वे निर्देश-पद अस्पष्ट और अनिश्चित थे। यह जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दिये गये ऋणों, अनुदानों और अग्रिम राशियों तक सीमित है। राज्य से प्राप्त ऋण, अनुदान तथा अन्य सहायता कपूर आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम ने 22 मार्च, 1968 को एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी थी। यह स्पष्ट है कि कोसी परियोजना दो प्रकार की सहायता से काफी समय से चलाई जा रही थी। एक राज्य सरकार द्वारा और दूसरे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज के माध्यम से, सहायता दी जाती थी। कपूर आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दी गई धनराशि के बारे में जांच करनी थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने राज्य द्वारा कोसी परियोजना के लिये दिये जाने की अनुमति नहीं दी थी। केन्द्रीय सरकार ने अनुदान के रूप में राज्य को धनराशि दी थी परन्तु वह उसका उपयोग अपनी इच्छा स कर सकती थी।

कोसी परियोजना एक नया प्रयोग था। भारत सेवक समाज की एजेंसी बिहार की जनता की सहायता करने के लिय थी जो कोसी नदी के प्रकोप से पीड़ित थी। भारत सेवक समाज ने लागत को कम करने और इस परियोजना को कम समय में पूरा करने में सहायता की थी। इस परियोजना पर मूलत: 11.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था परन्तु यह 6.5 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो गई। इसी प्रकार यह परियोजना वर्ष 1960 में पूरी की जानी थी परन्तु यह 1958 में ही पूरी कर दी गई। इस से पता चलता है कि भारत सेवक समाज तथा इस काम से सम्बन्धित अन्य लोगों ने जनता के हित को ध्यान में रख कर काम किया था। श्री एल० एन० मिश्र भारत सेवक समाज के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने राज्य यूनिट के संयोजक के पद से एक तिथि विशेष को त्यागपत्र दिया था। परन्तु वह सामुदायिक बचत निधि के कोषाध्यक्ष है। उस सम्बन्ध में भारत सेवक समाज का शासी निकाय, राज्य यूनिट अथवा केन्द्रीय संस्था धनराशि निकलवाने या वितरीत अथवा खर्च करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है। सामान्य रूप से यह बात मानी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य बन जाता है और यदि वह किसी सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन का सदस्य होता है तो वह अपने सम्बन्ध समाप्त नहीं करता। दूसरे यह भारत सेवक समाज की जिम्मेदारी है और इसी नाते हम उनसे ये बातें जानना चाहते हैं। श्री गुलजारी लाल नन्दा ने आयोग के समक्ष कहा था कि जो हिसाब उनको दिखाया गया था वह उस से संतुष्ट थे। श्री एल० एन० मिश्र ने श्री लक्ष्मीनारायण झा को एक पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2,10,000 रुपये की राशि का हिसाब दे दिया गया है। अब हमें देखना है कि मंत्री महोदय इस सब के लिये कहां तक जिम्मेदार है। इस परियोजना को राज्य तथा केन्द्रीय, अर्थात दो साधनों से क्रियान्वित किया गया। केन्द्र में भारत सेवक समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका यह कर्तव्य था कि इस हिसाब की लेखा-परीक्षा सुनिश्चित करते। यदि भारत सेवक समाज लेखा-परीक्षित हिसाब नहीं दे सकता तो इसकी जिम्मेदारी श्री एल० एन० मिश्र की नहीं है और उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि श्री मिश्र कोषाध्यक्ष के रूप में राज्य के कामों में काफी सहायक रहे है और वह 'चेकों' तथा 'ड्राफ्टों' पर हस्ताक्षर करते रहे है। उन्होंने कोई धनराशि न स्वयं ली है और न किसी को

[श्री नारायणचंद पराशर]

दी है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि 'चेकों' और 'ड्राफ्टों' के माध्यम से ही धनराशि खर्च की जाती रही है और हिसाब ठीक करने के लिये उसकी जांच आयोग या भारत सेवक समाज कर सकता है। आयोग ने अपने निर्णय में कहा है कि इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न था और अधूरे साक्ष्य के आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अत: जब तक इस बात का प्रमाण न मिल जाये कि श्री एल० एन० मिश्र ने ग़बन किया है, हम उनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते। अब यदि बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने क़ोई बात कही है तो उसका उत्तर बिहार विधान सभा में ही दिया जा सकता है। हमें यहां पर किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिय जो कपूर आयोग के प्रतिवदन से सम्बन्धित न हो। मेरे विचार से यह मामला कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिये उठाया गया है। मैं विरोधी पक्ष को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार के फंदे में स्वयं फंस सकते है। कपूर आयोग ने भी श्री मिश्र को दोषी नहीं ठहराया है। अत: इस प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिये।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : It has been alleged that we are indulging in Character assassination. Two personalities are involved in this matter, *viz.*, Shri Tulmohan Ram and Shri L. N. Mishra. It seems that Shri Tulmohan Ram is feeling shy and has not attended the House since this matter was raised. But Shri L. N. Mishra has been coming here shamelessly and keeps smiling. It is far the ruling party to think as to why the name of Shri Mishra is mentioned time and again though there are so many other Members sitting here. That means that there is some thing wrong somewhere.

Bharat Sewak Samaj has been a source of looting. Now, the point is as to how this institution got in to this project? Shri T. P. Singh had mentioned in his statement that Bharat Sewak Samaj was inducted into the construction at the request of the Central Minister or leadership. Mr. Mishra suggested that the works in the different reaches of the Kosi embankment shou d be allotted not only to the Mukhias and to the representatives of the Gram Panchayats but also to the Bharat Sewak Samaj Units. It happened in 1955. Whatever the cause may be, there is some thing wrong some where. It has been stated in the Report that according to the statement made, by Shri L. N. Mishra in the parliament on June, 2, 1971, he has resigned from the convenorhip of the Kosi Section of the Bharat Sewak Samaj in May, 1957. In so far as the question of withdrawal of money is concerned, the Samaj took the position that these moneys belonged to the Bharat Sewak Samaj and it was no concern of the Government to ask for the utilisation and the same according to the Samaj, applied to the Commission. Bharat Sewak Samaj has claimed that that money belonged to it and so neither the Government nor the Commission has the right to go into this matter. It is not a Government Institution. It is an antonomous Body and in case the money has been obtained there cannot be any audit. The Commission has stated in its report that "It is unfortunate that Government has not taken any definite or unequivocal position on the matter and left the Commission to fend for self."

It felt sorry that the Government has not taken any action in this matter. The Government should take action in this regard and it should discharge Shri L. N. Mishra from the Cabinet and the Parliamentary membership. The present Motion should have been brought by the Government and not by the opposition. The Commission has state d that Mr. Mishra has said in his statement that he had given full accounts of the Eastern Embankment in 1963 and the account had been accepted, whether they were audited or not was not shown. It clearly shows that Shri Mishra has given the accounts without their being audited. The amount does not matter. There should be proper audit of accounts. There has been a bungling of crores of rupees in this matter.

Shri L. N. Mishra : I have submitted the statement of Accounts in the capacity of treasurer. The amount was given to the School and not to Shri Jagannath Mishra.

Shri Janeshwar Mishra : It shows how the hon. Minister misused the money. Shrimati Indira Gandhi, is a speech in Lucknow characterised the Ruling Party as an elephant and the opposition parties as a dog. I must say that an elephant, when goes amuck, becomes more dangerous than a dog. Shri Mishra's days exit is now imminent

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : I want your ruling in this regard. I want to know whether the hon. Member speaking in this House has the voice of a dog.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It is incorrect to say that the Prime Minister in her speech termed the Congress party as an "Elephant" and the oppositions parties as 'A dog

Shri Janeshwar Mishra : I can show you that speech in a Lucknow and a Kanpur newspaper.

Shri R. S. Pandey : His allegation is baseless. It should be expunged.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I was also present at Lucknow at that time, The Prime Minister had never uttered these words.

Mr. Chairman : The hon. Members should use polite language in the House. The language used here should be in keeping with the dignity of the House. Any words used in a public speech. by some person can be quoted here. But the hon. Member must produce documentary proof in his support. Shri Janeshwar Mishra may produce that news paper by 6.00 P.M. today and in case he fails to do so, these words would not form part of todays proceedings.

श्री ललित नारायण मिश्र : जो बातें कही गई है उन का उत्तर देने से पूर्व, मैं कुछ गलतफहमिया दूर करना चाहूंगा ।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए ।
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रस्ताव श्री ललित नारायण मिश्र एक मात्र सदस्य के विरुद्ध है । यह सरकार अथवा योजना मंत्रालय के विरुद्ध नहीं है । श्री डी० पी० धर राज्य सभा के सदस्य है । वह इस सदन में केवल एक मंत्री की हैसियत से कार्य कर सकते हैं और किसी हैसियत से नहीं । अतः यह पूर्ण आवश्यक है कि श्री ललित नारायण मिश्र इसका उत्तर दें । श्री डी० पी० धर के लिये चर्चा का उत्तर देना उचित नहीं होगा क्योंकि श्री ललित नारायण मिश्र उत्तर देने की स्थिति में हैं ।

सभापति महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत केवल उन्हीं को प्रस्ताव का उत्तर देने के लिये कह रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं लाया हूं । मैं यह प्रस्ताव श्री मिश्र के विरुद्ध लाया हूं । मैं मंत्रिमंडल को समाप्त करने का आग्रह नहीं कर रहा हूं । मैं चाहता हूं कि उनकी सदन की सदस्यता समाप्त की जाये । आप इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में ले सकते हैं । मैंने योजना मंत्री अथवा योजना मंत्रालय अथवा सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है । अतः मुझे आशा है आप मेरी बात को मानेंगे और उचित निर्णय देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक सुझाव है । यदि श्री ललित नारायण मिश्र ने गम्भीर अनियमितताएं को हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिये । अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है । अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में उल्लेख करें । सरकार अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिये चुन सकती है ।

सभापति महोदय : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु से पूछा है कि वह मुझे कोई ऐसा नियम दिखायें जिसके अन्तर्गत सत्तारूढ़ दल के सदस्य पर प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों का उत्तर देने पर प्रतिबन्ध हो। जहां तक श्री मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है, उन्हें निश्चित रूप से उत्तर देने का अधिकार है और मुझे आशा है वह चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन सरकार का यह अधिकार है कि वह किसी भी मंत्री को अपनी ओर से उत्तर देने को कहे। मैं व्यवस्था के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं समझता।

Shri Janeshwar Mishra : I am producing 'Navjeevan a news paper . founded by Shri Jawahar Lal Nehru and the Hindi Version of 'National Herald' It is Stated in it that The Prime Minister today warning the agitators (without referring to Shri Jai-Prakash Narayan's agitation) characterised Congress as a huge elephant and the agitators as dogs and Cats'.

सभापति महोदय : विनिर्णय यह था कि यदि श्री मिश्र कोई समाचार पत्र प्रस्तुत कर दें जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उक्त शब्द कहे थे तो उनके शब्दों को रिकार्ड में रहने दिया जायेगा। चूंकि अब उन्होंने समाचार-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, अतः वे शब्द चाहे सही हों अथवा गलत, रिकार्ड में रहेंगे। अतः अब इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ललित नारायण मिश्र : भारत सेवक समाज कोसी निर्माण समिति और सेविंग्ज कमेटी को पर्यायवाची संगठन कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है।

मेरे त्यागपत्र देने का भी प्रश्न उठाया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने कोसी निर्माण समिति के संयोजक के पद से मई, 1957 में त्यागपत्र दे दिया था। श्री बसु ने यह पूछा है कि जब मैंने कोसी निर्माण समिति के संयोजक के पद से त्यागपत्र दे दिया था तो मैंने किस हैसियत से उसका हिसाब किताब रखा। कोसी के दो बांध है एक पूर्व क्षेत्र की ओर और दूसरा पश्चिम क्षेत्र की ओर। एक सेविंग्ज कमेटी की स्थापना की गई थी और मुझे पश्चिम की ओर का अधिकार सौंपा गया था क्योंकि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग था... **(व्यवधान)** इस कमेटी की स्थापना की गई और मुझे धनराशि निकालने का अधिकार दिया गया। कोसी समिति बचत निधि बिहार सरकार अथवा भारत सरकार की निधि नहीं है। यह कामगार और श्रमिक की धनराशि है जो कठोर परिश्रम से बचाई गई हैं। उक्त राशि गावों पर व्यय करने के लिये रखी गई थी। इस हैसियत से मैंने पश्चिम बांध सेविंग्ज कमेटी के लिये खजांची के रूप में धनराशि का हिसाब किताब रखा। ऐसा मैंने संयोजक के रूप में नहीं किया क्योंकि मैं दो वर्ष पूर्व ही संयोजक के पद से त्यागपत्र दे चुका था।

कपूर आयोग को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि वह आवश्यक समझे तो मैं उसके समक्ष पेश हो सकता हूं अथवा उसे किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो वह मैं सप्लाई करने के लिये तैयार हूं। मैंने उससे यह भी कहा था कि यदि उसे मुझसे किसी सहायता की आवश्यकता हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूं। लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया। न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक मामलों में विशेषाधिकार का दावा करने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति हूंगा। मैंने एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया और बयान नहीं लिया गया। अतः इसके लिये मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कोसी निर्माण कार्य में मेरा अथवा मेरे परिवार अथवा पुत्र का निजी हित नहीं है।

श्री वाजपेयी ने आयोग नियुक्त किये जाने का प्रश्न उठाया है। जैसाकि श्री धर ने बताया, आयोग की स्थापना लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। लोक लेखा समिति चाहती थी कि भारत सेवक समाज समेकित लेखे प्रस्तुत करें। भारत सेवक समाज ने बताया कि वह केवल राज्यवार लेखे प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसका राज्यवार संगठन है। अतः उसके लिये एक खाता प्रस्तुत करना कठिन होगा। केवल समेकित निधि के लिये ही आयोग की स्थापना की गई।

श्री जनेश्वर मिश्र और सम्भवत: कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मेरा पत्र तो पढ़ कर सुनाया परन्तु उत्तर में संयोजक से जो पत्र मुझ मिला, वह पढ़ कर नहीं सुनाया। मैं 1959 के मार्च या अप्रैल महीने में कम्युनिटी सेविंग्ज कमेटी का कोषाध्यक्ष बना था यह नियुक्ति कोसी-कंस्ट्रक्शन कमेटी द्वारा की गई थी जिसका मैं पहले संयोजक था। मैं स्वयं इस समिति का कोषाध्यक्ष नहीं बना, वरन मुझे वहाँ नियुक्त किया गया था। इस समिति के स्थानीय संसद-सदस्य तथा स्थानीय विधायक थे। मैं कम्युनिटी सेविंग्ज इस कमेटी (वस्टर्न साइड) का कोषाध्यक्ष था तथा श्री लाइटन चौधरी ईस्टर्न साइड के कोषाध्यक्ष थे। मैंने मई, 1963 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया तथा उसके साथ श्री लक्ष्मी बाबू को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि मैं भारत सेवक समाज के कोसी कम्युनिटी सेविंग्स फंड का आज तक के लेखे का विवरण भेज रहा हूं। उस विवरण के अनुरूप केवल 2,09,890.69 रुपये उपलब्ध हुय थे। उस विवरण में पूरी राशि का खर्च भी दिखाया गया था। मैंने यह भी लिखा था कि इस विवरण का समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाये।

श्री लक्ष्मी नारायण झा ने इस पत्र के उत्तर में मुझे पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आप के दोनों पत्र मिल गये हैं तथा 19,126/- रुपये का ड्राफ्ट भी मिल गया है। हमने इसे अपनी कैश बुक में दिखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि लेखे का विवरण स्पष्ट हैं तथा हमारी कैश बुक के अनुसार सही है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा था कि उक्त लेखा समिति के समक्ष रख दिया गया है तथा समिति ने उसे एकमत से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि समिति ने मेरे कार्य की सराहना की है। इससे स्पष्ट होता है कि मने जो लेख भेजे थे उन्हें कोसी समिति ने स्वीकार कर लिया था। मैंने बिहार सरकार को भी इसकी प्रति भेजी है।

जहाँ तक भारत सेवक समाज की और बकाया राशि का सम्बन्ध है, मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता है कि बिहार के सिंचाई मंत्री ने 2–3 महीने पहले यह आदेश दिया था कि पब्लिक रिकवरी अधिनियम के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की और धनराशि बकाया है उन पर मुकदमा चलाया जाये। सम्भवत भारत सेवक समाज की ओर भी 30,000 या 40,000 रुपया बाकी है तथा भारत सेवक समाज के विरुद्ध भी मामला दायर किया गया है। भारत सेवक समाज द्वारा जो कुछ भी किया जाये उसके लिये मुझे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

अब मैं अपने भाषण के मुख्य अंश पर आता हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कई बार ऐसे निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाये है तथा कई बार उनका खण्डन भी किया जा चुका है। निराधार बातों को बार-बार कहने से उन्हें सत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह भाषण मेरे बोलने से पहले ही टाइप हो चुका था।

श्री एल० एन० मिश्र : यह कैसे सम्भव हो सकता है ? श्री बसु ने कपूर आयोग की रिपोर्ट का गलत अर्थ लगाया है तथा उनको तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। यदि आयोग की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें मेरे विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई। आयोग ने यह कहा है कि मैंने कहा था कि मैंने लेख प्रस्तुत किये थे तथा उन्हें भारत सेवक समाज ने स्वीकार कर लिया था। इस सम्बन्ध में यहां पर उल्लेख किया जा सकता है कि मैं उन व्यक्तियों में राशियों के वितरण के लिये उत्तरदायी था जिन्हें कम्युनिटी सेविंग्ज फंड कमेटी, वेस्टर्न एम्बैंकमेंट साइड, द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया था। सभी राशियां बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त की गई थीं तथा वितरण श्री राधाकान्त मिश्र और श्री जे० बी० मंडल, संसद सदस्य को दिये गये 1200 रुपये तथा ईस्टर्न साइड, कोसी को दी गई 23,405 रुपये की अग्रिम राशि के अतिरिक्त चैकों या ड्राफ्टों से किया गया था।

[श्री एल० एन० मिश्रा]

मेरा उत्तरदायित्व सीमित था और चैक भेज जाने के बाद क्या हुआ, उसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं। मैंने कम्युनिटी सेविंग्ज फंड कमेटी, वेस्टर्न एम्बेकमेंट साइड के कोषाध्यक्ष के रूप में 2,09,390.69 रुपये प्राप्त किये थे न कि 2.10 लाख रुपये। मैंने संयोजक को हिसाब का अद्यतन विवरण भेज दिया है और सभा को पता चलेगा कि श्री बसु के आरोप वास्तव में सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बसु ने भारत सेवक समाज और उसकी केन्द्रीय तथा राज्य समितियों के बीच कोई अन्तर ही नहीं किया हैं। इसलिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं। मैंने एक शपथ-पत्र दिया है जिसमें मैंने आयोग से कहा है कि यदि वे किसी विशेष मामले पर कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं आयोग की सहायता करने के लिये सदैव तैयार हूं।

बिहार सरकार ने यह विचार व्यक्त किया कि यूनिट लीडरों के लाभ में सेराशि लेकर निधि बनाई गई है लेकिन यूनिट लीडरों ने इस निधिमें कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान नहीं दिया। इस पृष्ठभूमि में बिहार सरकार ने समझा कि जांच के लिये खाता-बही मांगना बेकार है। आरोप का सार यह लगता है कि मैंने 1959 और 1963 के बीच 2.10 लाख रुपये निकाले थे जिनका मैंने कोई हिसाब नहीं रखा। मने 1957 में भारत सेवक समाज के संयोजक का पद छोड़ दिया था। 1959 से 1963 के बीच मैंने 2,09,890.69 रुपय प्राप्त किये जो बैंक में जमा कराये गये। यह मुल राशि 2.10 लाख रुपये नहीं थी। 109.31 रुपये का अन्तर बैंक के कमीशन के कारण हुआ लगता है। आयोग ने टिप्पणी की है कि यह अन्तर बहुत कम है।

आयोग ने नोट किया है कि मैंने समाज द्वारा स्वीकृत (उपयुक्त कमेटी) को हिसाब दे दिया था। कपूर आयोग ने यह विशेष टिप्पणी की है कि आयोग के समक्ष हिसाब पेश करने का कर्त्तव्य संयोजक या भारत सेवक समाज का था।

कम्युनिटी सेविंग्ज फंड कमेटी (वेस्टर्न एम्बेकमेंट साइड) के हिसाब-किताब का विवरण आयोग के प्रतिवेदन के अंक ग्यारह के पृष्ठ 169–170 पर दिया गया है। यदि किसी कारणवश आयोग के समक्ष पूरे रिकार्ड पेश नहीं किये गये तो मुझ पर आक्षेप लगाना कहां तक उचित है?

अब मैं प्रतिवेदन के उन पैराग्राफों की समीक्षा करता हूँ जिनका श्री बसु ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है।

श्री बसु ने कपूर आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 97 पर पैरा 29.95 और 29.96 का उल्लेख किया है। इन पैराग्राफों को पढने से पता चलता है कि इनमें मेरे विरुद्ध कोई आरोप या प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है। पैराग्राफ 29.55 में मेरे आचरण के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं है।

आगे श्री बसु ने प्रतिवेदन के पृष्ठ 98 के पैरा 29.100 का उल्लेख किया है। इस पैरा में केवल भारत सेवक समाज और कोसी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बातचीत का उल्लेख है। मेरे विरुद्ध इसमें कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त श्री बसु ने पैरा 29.128 और 29.129 का सहारा लिया है। इस पैरा में केवल श्री जे० के० खन्ना के विचार हैं।

यहां यह भी बताया जा सकता है कि पैरा 29.128 में उल्लिखित लेखाकार का नोट गुमराह करने वाला है क्योंकि 23 मई, 1963 को मेरे द्वारा प्रस्तुत हिसाब को वित्तीय वर्ष 1962-63 के हिसाब में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि 31 मार्च, 1963 को वर्ष समाप्त हो जाता है।

यह भी 'नोट' किया जा सकता है कि पैरा 39.129 मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है क्योंकि मैं 1967 में या उसके बाद भारत सेवक समाज या उसकी किसी कमेटी से सम्बद्ध नहीं था।

इसके बाद श्री बसु ने प्रतिवेदन के पैरा 29.146 और 29.147 का सहारा लिया है। इन पैराग्राफों में मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है। प्रतिवेदन पैरा से पता चलता है कि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुचा कि हिसाब पेश करने का कर्तव्य भारत सेवक समाज के संयोजक का था।

इसके अतिरिक्त, श्री बसु ने प्रतिवेदन के पृष्ठ 126 के उप-पैरा (इक्कीस) का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं था कि मैंने वर्ष 1959 और 1960 में किस हैसियत से कम्युनिटी सेविज़ फंड से 2.10 लाख रुपये निकाला जबकि मैंने 1957 में कोसी प्रोजक्ट भारत सेवक समाज के संयोजक के पद को छोड़ दिया था। आयोग ने नोट किया है कि यद्यपि श्री एल० एन० मिश्र ने मई, 1957 में भारत सेवक समाज के संयोजक का पद छोड़ दिया था तथापि वह कोसी सेक्शन के साथ सम्बंद्ध रहे। इन परिस्थितियों में यदि श्री बसु की यह शिकायत हो कि भारत सेवक समाज को कपूर आयोग के समक्ष अपना सारा हिसाब पेश करना चाहिये था तो वह अलग बात है, परन्तु वह मेरे विरुद्ध कानूनी ढंग से आरोप नहीं लगा सकते हैं जो उन्होंने लगाया है।

मैं निवेदन करता हूं कि श्री बसु के आरोप पूर्णतया असत्य और अनुचित हैं। श्री बसु को किसी के प्रति विचार पूर्वधारणा के आधार पर नहीं बना लेने चाहियें। श्री बसु के निराधार आरोप न केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से ही क्षति पहुंचाते हैं अपितु वे संसदीय प्रणाली के लिये भी हानिकारक हैं। श्री बसु के आरोप किसी भोले-भाले नाम की प्रतिष्ठा को भंग करने में भले ही सफल हो जायें परन्तु वे सब निराधार साबित हो गये हैं। मैं सभा का संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदय : निर्धारित समय 6 बज कर 45 मिनट पर पूरा हो जायेगा। सभा कब तक बैठना चाहती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम श्री रघुरामैया के विचार सुनें।

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये को बोलना है, उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे और मैं समझता हूं कि श्री बसु को भी वाद विवाद का उत्तर देना होगा। अतः, तीन भाषण अभी दिये जाने हैं।

Shri Madhu Limaye : It is for the first time that this type of resolution has come against Shri L. N. Mishra. This reslutation will unfold the character and stature of Shri Mishra.

He exercised his influences over the Prime Minister and got the Commission of enquiry set up by the Bihar Govt. against him terminated. In fact he should have facea that Commission boldly and proved that the allegations belevelled up against him are baseless and tha he is not guilty.

The State Government appointed this Commission by issuing a notification. Instead of accepting the challenge, he got the opposition Government in Bihar dismissed through the Central Government . . .

Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : It was dismissed by the popular Government . . . (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : Shri Gulzari Lal Nanda during his tenure as Planning Minister constituted Bharat Sewak Samaj. I want to raise discussion regarding that Samaj on the basis of report of the Public Accounts Committee.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन के बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): यह रिपोर्ट पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की निजी सम्पत्ति नहीं है (**व्यवधान**) । यह श्री बसु की निजी सम्पत्ति नहीं है । इसका तो सीधा संबंध सभा से है ।

Shri Madhu Limaye : The Planning Commission moved beyond its jurisdiction by setting up Bharat Sewak Samaj and it was for this reason that the PAC expressed its concern about the whole matter as a result of which Kapur Commission was set up.

Estimate Committee of Bihar Assembly also expressed its concern over the performances of BSS and its financial transactions. This committee named out Shri Kamal Narain Mishra brothers of the Irrigation Minister, as proprietors "Associated Engineering Corporation."

C. B. I. should be asked to hold an enquiry with the allegation of showing farvouritism in awarding contracts in violation of rules and irregulations in the appointment of officers

Even the Estimates Committee of the Bihar Vidhan Sabha has asked for an enquiry into the irrigularities committed by Shri Mishra.

On page 104, of the Kapoor Commission report it has been maintained that Shri Mishra has stated thathe had sent full accounts to the convenor of the Western Embarkment Community Saving Committee. Shri Kapoor in his report has remarked that unfortunately whatever these accounts, they have been kept back by the Bharat Sevak Samaj. He has further remarked that correspondence on the files of the Central Bharat Sewak Samaj lend to show that those accounts were unaudited. Justice Kapoor has further remarked that these accounts have not been produced either before the Central Bharat Sevak Samaj to before this Commission.

The Public Accounts Committee once remarked that it is wrong to give crores of rupees to an organisation such as Bharat Sewak Samaj because Parliamentory Accountant General has so no cashier on its accounts. Shri L. N. Mishra has itself in his letter advocated that it will not be proper and fair for the Government to take upon itself the work of audit of the accounts of an independent organisation like the Bharat Sewak Samaj. In this connection I would like to say that if they want to run the organisation independently why they depend on Government money. May I know whether there 90 crores of rupees were given to them as donation ?

The report of the Audit Commissioner was not pubished for many years. and Shri Chattopadhay has to tender apology for the misdeeds committeed by Shri Mishra.

योजना मंत्री डी० पी० धर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपसे पहले सभापति ने यह निर्णय दिया था कि वाद–विवाद को प्रस्ताव के विषय तक ही समित किया जाना चाहिए । अमे मैंने श्री मधु लिमये से निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात को प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित पखे ।

Shri Madhu Limaye : I was talking about the report of the Tariff Commission which was kept in the cold storage for many years. It was done deliberatily because many things were involved in it. Shri Mishra should resign his seat and improve the image of his party

श्री डी० पी० धर : श्री मधु लिमये ने जो कुछ कहा उसका प्रस्ताव के विषय से कोई सम्बन्ध नही है । श्री बसु ने अपने आरोपो के लिए प्रतिवेदन के खण्ड 11 के अध्याय 29 को ही आधार बनाया है ।

जिस व्यक्ति ने प्रतिवेदन को पूरी तरह नहीं पढ़ा है वह यही समझेगा कि आयोग ने जो कुछ भी कहा वह श्री मिश्र के विरुद्ध ही है। यह प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण तथा पूर्णतया गलत है। श्री मिश्र ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने धन लिया था। मेरा निवेदन है कि यह धन उन्होंने समिति के कोषाध्यक्ष होने के नाते वसूल किया था। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि श्री मिश्र ने इस धन को कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों के बारे में दिया था और श्री मिश्र ने इसका हिसाब भी दिया है। मेरे विचार में इसके साथ ही श्री मिश्र की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और जिन व्यक्तियों एवं संगठनों ने श्री मिश्र से धन वसूल किया है उनकी जिम्मेदारी आरम्भ हो जाती है।

यह ठीक है कि भारत सेवक समाज ने इस धन का हिसाब आयोग को नहीं दिखाया है। उनका कहना है कि निर्देशपदों के अनुसार आयोग उनका हिसाब मांगने में सक्षम नहीं है। इस पर आयोग ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। मैं इस बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि भारत सेवक समाज ने आयोग के प्रति जो नीति अपनाई है भारत सरकार उससे सहमत है। सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तगत इस आयोग की नियुक्ति की थी और इसे अधिनियम की धारा 4 और 5 विशेषकर धारा 5 के अन्तर्गत यह शक्ति दी गई थी कि वह साक्ष्य के लिए किसी को बाध्य कर सकता है और दस्तावेजों को कब्जे में लेने के लिए तलाशी के वारंट तक भी जारी कर सकता है। परन्तु आयोग ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। यदि उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के बारे में कोई सन्देह था तो वह इसका उल्लेख सरकार से कर सकते थे और स्थिति को स्पष्ट करा सकते थे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम इस बात को नहीं मानते कि भारत सेवक समाज लेखों की जांच पड़ताल नहीं की जा सकती थी। प्रतिवेदन को सभा में रखते समय हमने कहा था कि यह प्रतिवेदन बहुत बड़ा है अत: इसके अध्ययन के लिए कुछ समय चाहिए। जहांतक सम्भव होगा हम शीघ्र ही प्रतिवेदन का अध्ययन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सच्चाई जानने के लिए हमें विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करना होगा। सरकार सच्चाई को किसी से छिपायेगी नहीं। इस धन के प्रयोग के बारे में जो भी सन्देह है उसको देखते हुए सरकार समूचे मामले की उचित जांच पड़ताल करेगी और विचार करेगी कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

यह ठीक है कि आयोग को बिहार की एक सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और सरकार बदलने पर दूसरी सरकार ने मंत्रिमण्डल समिति की सिफारिश पर इसे रद्द कर दिया था। परन्तु यह कहना पूर्णतया गलत है कि ऐसा भारत सरकार के कहने पर किया गया था। बिहार सरकार के इस निर्णय के साथ प्रधान मंत्री का नाम जोड़ना भी गलत है। दत्त आयोग की यह कहानी है।

श्री बसु ने यह प्रश्न भी उठाया था कि इस समिति को, जिस के श्री मिश्र कोषाध्यक्ष थे, किस ने गठित किया था। यह बताया गया है कि इस समिति का गठन उचित प्राधिकारी द्वारा किया गया था और धन का वितरण भी समिति के उचित प्राधिकार के अन्तर्गत ही किया गया था। श्री मिश्र ने अपने वक्तव्य में यह सभी बातें कही हैं और इन पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

श्री मिश्र ने कोसी परियोजना के 'कनवेनर' के नाते 29 सितम्बर, 1956 को 65,000 रुपये और दिसम्बर, 1957 में 24,900 रुपये लिये थे। अब यह कहा गया है कि दूसरी किस्त श्री कृष्णप्रसाद द्वारा जारी किये प्रमाणपत्र के आधार दी गई थी और की श्री मिश्र ने श्री कृष्ण प्रसाद के समक्ष पूरे साथ नहीं रखे थे। इस बात में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि दूसरी किस्त तथ्यों के आधार पर जिनकी श्रीकृष्ण प्रसाद के विभाग में पूरी तरह जांच पड़ताल की गई थी, ली गई थी।

जहां तक प्रशिक्षण केन्द्रों के समाप्त होने के पश्चात धन लिए जाने का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि श्री मिश्र ने सदा यह कहा था कि दूसरी किस्त दी जानी चाहिए क्योंकि कोसी परियोजना के निर्माण

[श्री डी० पी० धर]

कार्य में बाधा पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिपें आवश्यक हैं। श्री मिश्र ने यह भी कहा था कि लेखों की लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय पर जोर भी डाल रहे थे।

जब श्री तुलमोहन राम का इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है तो उसका उल्लेख „आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पृष्ठ संख्या की अभी तक प्रतीक्षा में हूं।

श्री डी० पी० धर : पृष्ठ संख्या 11, पैरा 8.88 और पृष्ठ संख्या 12, पैरा 8.96।

भारत सेवक समाज की कल्पना विकास में जन-सहयोग प्राप्त करने के महान उद्देश्य से की गई थी परन्तु यह भी ठीक है कि गलत किस्म के कुछ लोग इसमें घुस गए।

वास्तव में श्री वाजपेयी द्वारा उठाए गए मूल प्रश्न की मैं सराहना करता हूं अर्थात् यह महान आंदोलन क्यों असफल रहा ? यदि मैं श्री बसु के स्थान पर होता तो श्री मिश्र को घसीटने के उद्देश्य से कपूर आयोग पर बहस का प्रस्ताव कभी न रखता क्योंकि यह न्यायोचित नहीं है। यह कहना कि 7 अक्तूबर, 1957 के स्थान पर यह योजना क्योंकि 20 दिसम्बर, 1957 को पूरी हुई, अतः इसमें घोटाला है—किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं है क्योंकि अनेक योजनाएं 3, 4 या पांच वर्ष में पूरी होने के बजाय वास्तव में 6, 7, 8 या दस वर्षों में पूरी की गई हैं। यदि मान भी लिया जाए कि श्री मिश्र के कदाचारों के कारण इस योजना में विलम्ब हुआ है, फिर भी इसी कारण क्या श्री मिश्र को फांसी दे दी जाय ? इसका मैं और मेरा दल विरोध करता है।

नन्दाजी इस समय यहां बैठे हैं और वही इस योजना के सृजक हैं। क्या कोई भी व्यक्ति उनकी ईमानदारी पर संदेह कर सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही तो है कि इस महान योजना की यह दुर्गति हुई है।

अतः में सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि आखिर इस पूरे घोटाले में कितनी धनराशि आतग्रंस्त हैं ? यह है 1,03,000 रुपये। श्री दयाशंकर की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस राशि के काम का ब्यौरा दिया गया है परन्तु श्री बसु ने श्री दयाशंकर को भी नहीं छोड़ा है और कहा है कि वह चार्टर्ड अकाऊंटेंट नहीं थे, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी आदेशानुसार भारत सेवा-समाज किसी सेवानिवृत्त सहायक लेखा अधिकारी को सेवाएं प्राप्त कर सकता था—अतः यह अनियमित नहीं है।

1,03,000 रुपये की राशि 89,900 रुपये के सरकारी अनुदान और भारत सेवक समाज के अनुदान को वापस की गई राशि से बनती है। क्योंकि समाज लालच में इतना फंस गया था कि वह अनुदान भी वापस करने योग्य हो गया। इस प्रकार श्री मिश्र की नियत में 'संदेह पुष्ट होता है', क्योंकि उन्होंने खर्च न किया गया 9,000 रुपया लौटा दिया। श्री बसु के अनुसार श्री मिश्रा की बदनीमती का यही 'सब से नया प्रमाण है।

अब इन्हीं श्रीदया शंकर का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आन्तरिक वित्त की सहमति से सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पता नहीं मेरे मित्रों को यह कहने के लिए कहां से आधार मला कि इन राशियों के भुगतान में गंभीर अनियमिताएं और कदाचार हुए हैं ?

कपूर आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए एक व्यक्ति श्री प्रोतिरंजन बोस ने कहा है कि इस संस्था द्वारा वस्तुओं आदि के रुपमें 25 प्रतिशत दान द्वारा दूसरी किस्त लेने का अधिकार प्राप्त किया था। पता नहीं आयोग ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया है ?

अत: मेरा विचार है कि 1,03,000 रुपये की इस राशि का उचित व्यय किया गया तथा इसकी लेखा-परीक्षा की गई है और सरकार को इसका पक्का विश्वास है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि श्री मिश्र ने कपूर आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य देने में किसी विशेषाधिकार का आश्रय नहीं लिया है। यदि श्री कपूर के मन में श्री मिश्र के बारे में तनिक भी संदेह होता तो श्री मिश्र के प्रतिज्ञापत्र के अनुसार वह उन्हें (श्री मिश्र को) साक्ष्य देने के लिए बुला सकते थे। इस लिए उन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि सदस्यगण इस पूरे मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपना कर विचार करें और तब वह देखेंगे कि श्री बसु द्वारा बताए गए इस 'प्रासाद' को नींव कितनी कच्ची है और उनका यह प्रासाद कैसे ढ़ह गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड vi, पृष्ठ 7 के अनुसार कोसी परियोजना में प्रत्येक कोर के लिए 125 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है... (**व्यवधान**) अर्थात् कुल 250 व्यक्ति तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह योजना छः मास तक के लिए थी।

अब मैं आगे चलता हूं। श्री धर द्वारा उल्लिखित लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुसार भी उनके और प्रस्तुत आंकड़ों में काफी अन्तर है। सरकार ने 65,000 रुपये 29 सितम्बर को स्वीकृत किए और शिबिर एक निश्चित तारीख को बन्द हो जाने चाहिये थे। फिर इन शिबिरों के बन्द हो जाने के बाद धन कैसे प्राप्त किया गया ? इसका कोई उत्तर नहीं आया। भारत सेवक समाज की फाईल में श्रमिकों को किए गए भुगतान का तरीका भी त्रुटिपूर्ण बताया गया है। यह टिप्पणी भी की गई है कि लेखा अधिकारी 4 मास के लिए नियुक्त किया गया जबकि प्रशिक्षण केन्द्र केवल 1-½ मास के लिए ही था। जून, 1957 में 8,400 रुपये की मांग की गई जो आवश्यकता और समय के अनुकूल नहीं थी। यह भी स्पष्ट है कि कैश-बुक में काट-छांट की गई है जो बहुत गंभीर मामला है।

27 अगस्त, 1957 को श्री मिश्र ने लिखा कि "मेरे विचार में दूसरी किस्त की मांग करते हुए दाम की राशि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है" प्रतिवेदन में लिखा है कि श्री एल० एन० मिश्र ने 27 जुलाई, 1957 को जीपें खरीदे जाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसके लिए अनुदान लेने के लिए भारत सेवक समाज को प्रयास करना चाहिए। श्री एम० डी० मित्तल का अभी तक यही विचार था कि समाज के लिए यह धन मांगना उचित न होगा किन्तु श्री मिश्र ने समाज को धन मिलने पर बल दिया और उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि समाज ने अपना भाग नहीं दिया है। परिणामत: 24,900 रुपय की दूसरी किश्त के लिए आवेदन किया गया और बिना तथ्य बताये प्राप्त किया गया। यह सम्पूर्ण मामला जालसाजी का था। कोसी परियोजना के 'जन सहयोग योजना' का विशेष पहलू भी इसी प्रकार है। उसके लिए भारत सेवक समाज द्वारा कम्यूनिटी सेविंग फंड बनाया गया था। इस फंड के खर्च के बारे में कपूर आयोग का निष्कर्ष यह था कि समाज का यह दावा ठीक नहीं है कि यह राशि समाज की है और उसके बारे में पूछने का किसी अन्य को कोई हक नहीं है। एक अन्य पत्र से पता लगता है कि कम्यूनिटी सेविंग्स फंड में से श्री मिश्र को 2.10 लाख रुपये दिये गये थे और वह राशि मिश्र द्वारा विभिन्न पार्टियों को दी जानी थी। मेरे विचार से यह राशि श्री मिश्र द्वारा अपने लोगों को बांटी गई।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

कोसी परियोजना के वर्ष 1962-63 तक के हिसाब-किताब की जांच मैसर्स एल० आर० पंडित एंड कंपनी द्वारा की गई थी और तुलन-पत्र में श्री मिश्र के नाम राशि पाई गई किन्तु उस राशि का आगे कोई हिसाब नहीं दिखाया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि श्री एल० एन० मिश्र मई, 1957 से कोसी भारत सेवक समाज के कनवीनर नहीं रहे थे परन्तु व उससे सम्बद्ध रहे क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी सेविंग्स फन्ड से 2,10,000 रुपये निकाले थे। मिश्र ने अनेक विवरण में लिखा था कि इस राशि का हिसाब इस्टर्न एम्बैंकमेंट कम्यूनिटी सेविंग्स कमैटी के कनवीनर को दे दिया था। परन्तु भारत सेवक समाज ने वह रिकार्ड आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह पता लगता कि राशि किसके द्वारा और कैसे खर्च की गई। यह भी लिखा है कि श्री एल० एन० मिश्र को गवाह के रूप में न बुलाया जा सका। मैं श्री मिश्र को इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उन्होंने गवाही देने के लिए पेशकश की थी। मिश्र जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री के इस प्रस्ताव को क्यों नहीं माना कि लेखे की लेखा परीक्षा कराई जाये। तुलमोहन राम कांड में इनका ही हाथ है और कर्नाटक स्टेनलेस स्टील से सम्बन्धित फाइलें इन्होंने ही जलवाई।

बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के 53 वें प्रतिवेदन में लिखा है कि कोसी परियोजना में अधिकांश ठेके बलुआ बजार के 'मिश्र परिवार' के सदस्यों या उनके एजन्टों को दिये गये।

श्री जमिलरेहमान (किशनगंज) : श्रीमान्, माननीय सदस्य नये मुद्दे ले रहे हैं जिनका उत्तर देने का अवसर मंत्री महोदय को न मिलेगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे यकीन है कि श्री बसु इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव से परे नहीं जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रकार भ्रष्टाचार उनके जीवन का अंग बन गया है और वे अपने आप और देश को बर्बाद कर रहे हैं। उनके बारे में लोगों में क्या धारणा है इस बारे में विचार किया जाये। केवल बटन दबाकर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देने मात्र से सारी बातें ठीक नहीं हो जातीं। श्री मिश्र के विरुद्ध एक आयोग द्वारा ये टिप्पणी की गई है, और कोसी परियोजना के धन को वह अपने लिए प्रयोग में लाते रहे हैं इसीलिए उन्हें तत्काल ही निकाल दिया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय : क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि इस सभा के सदस्य और मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री ललित नारायण मिश्र को गम्भीर अनियमिततायें और कदाचार करने के कारण, जैसा कि भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच करने वाले आयोग, के प्रतिवेदन तथा विशेषकर उक्त आयोग के प्रतिवेदनों के खण्ड 11 (ग्यारह) पृष्ठ 97, पैरा 29.94, 29.95, 29.96, पृष्ठ 98 पैरा 29.100, पृष्ठ 103 पैरा 29.128, 29 129, पृष्ठ 110, पैरा 29.146, 29.147, पृष्ठ 126 परा (इक्कीस) और पृष्ठ 127 पैरा 29.194 में किये गये उल्लेख से स्पष्ट है, इस सभा की सदस्यता से हटाया जाये"।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived.

निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. FUNCTIONING OF ELECTION COMMISSION

श्री श्यामा नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा निर्वाचन आयोग के कार्यकरण के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में आयोग का विस्तार तथा उसे पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाये जाये।"

सभापति महोदय : इसे हम अगली बार लेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 19 दिसम्बर, 1974/28 अग्रहायण, 1896 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 19, 1974/Agrahayana 28, 1896 (Saka).

GIPN—S4—45 L.S.S./ND/74—16-4-75—200